Viksit Bharat Gurantee for Rojgar and Ajevika Mission (Gramin):VB-G RAM G Bill

माननीय अध्यक्ष : क्या आप सभी पीछे वाले सदस्य आज दादा के नेतृत्व में हैं? दादा से सीखिए, इस उम्र में, तबीयत खराब होने के बाद भी सदन में आते हैं और पूरे समय बैठते हैं।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर - 28, विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) : वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) विधेयक, 2025 ।

? (व्यवधान)

श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा) : सर, गवर्नमेंट का प्लान क्या है?

माननीय अध्यक्ष : आप कितने घंटे बोलना चाहते हैं?

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर सदन में तीन सौ सदस्य रहेंगे तो दस घंटे चर्चा करा दूंगा।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभी दल अपने-अपने सदस्यों की उपस्थिति सदन में तय कीजिए और मुझे इस बारे में बताइए।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आज आप इस बिल पर चर्चा कीजिए और कल माननीय मंत्री जी की रिप्लायी करवा देंगे।

? (व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा (अम्बेडकर नगर) : महोदय, आज भी और कल भी चर्चा करवाइए।

माननीय अध्यक्ष : आप लोग सदन में बैठिए तो सही और बोलिए तो सही।

अगर पूरा सदन बैठेगा तो सभी को मौका मिलेगा। अब आप सब बैठ जाइए। सभी को बोलने का मौका मिलेगा।

माननीय मंत्री जी।

17.41 hrs

VIKSIT BHARAT ? GUARANTEE FOR ROZGAR AND AJEEVIKA MISSION (GRAMIN): VB ? G RAM G (VIKSIT BHARAT- G RAM G)

BILL, 2025

कृषि और किसान कल्याण मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

?कि प्रत्येक ग्रामीण गृहस्थों को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिन की कानूनी गारन्टी मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर, विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ संरेखित ग्रामीण विकास कार्य ढांचे को स्थापित करने के लिए; समृद्ध और समनुत्थानशील ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास अभिसरण तथा संतृप्तिकरण का संवर्धन करने के लिए; तथा उससे ससंक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।?

अध्यक्ष महोदय, यह सदन केवल ईंट-गारों का भवन नहीं है, अपितु लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। यहां चर्चा होनी चाहिए और विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मैं प्रतिपक्ष के मित्रों से यह निवेदन जरूर करूंगा कि मैं जब उत्तर दूं तो मेरा जवाब भी वे ध्यानपूर्वक सुनें। महोदय, मैं हर प्रश्न का उत्तर दूंगा।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप बिल के बारे में थोड़ा बता दें।

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो विस्तार से चर्चा करूंगा। यह बिल विकसित भारत के लिए विकसित गांव का बिल है, जिसमें सौ दिन की रोजगार की गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया जाएगा। हम रोजगार भी देंगे और उसको सौ से बढ़ाकर 125 दिन करेंगे। लेकिन केवल रोजगार देना ही नहीं, अपितु महात्मा गांधी जी का सपना स्वावलंबी गांव बनाना था। स्वावलंबी, स्वयं में पूर्ण, विकसित, गरीबी से मुक्त और रोजगार युक्त गांव बनाने के लिए यह बिल है। मैं निवेदन करता हूं कि इस पर आप विस्तार से चर्चा करवाइए।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

?कि प्रत्येक ग्रामीण गृहस्थों को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिन की कानूनी गारन्टी मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर, विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ संरेखित ग्रामीण विकास कार्य ढांचे को स्थापित करने के लिए; समृद्ध और समनुत्थानशील ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास अभिसरण तथा संतृप्तिकरण का संवर्धन करने के लिए; तथा उससे ससंक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।?

श्री जय प्रकाश। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं, इसलिए आप गरिमा के अनुसार ही बोलिए।

17.42 hrs (Shri Jagdambika Pal *in the Chair*)

***m10श्री जय प्रकाश (हिसार) :** महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण योजना पर बोलना चाहता हूं जो वर्ष 2005 में इस देश में लागू की गयी थी और अब विकसित भारत - रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण) : वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) विधेयक, 2025 में से जिस प्रकार से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम परिवर्तन के प्रस्ताव का मैं स्पष्ट, सशक्त और तथ्यात्मक विरोध दर्ज करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, मंत्री जी कह रहे थे कि मेरे उत्तर को सुनकर जाना। मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं।

माननीय सभापति : जय प्रकाश जी, आपको चेयर सुन रहा है।

श्री जय प्रकाश : मैंने अपनी बात मंत्री जी के लिए कही थी और मेरी बात आपके थ्रू ही जाएगी, आप इस बात को बस मान लीजिए।

जब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल वर्ष 2005 में लोक सभा में आया था तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी, यूपीए की चेयरपर्सन आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और यूपीए के नेताओं ने बड़े फिराक दिली से कहा, जब

विपक्ष के लोगों ने कहा कि यह संसदीय समिति को भेज दिया जाए तो हमारे नेताओं ने उसे संसदीय समिति को भेजा। सभी दलों के नेताओं के विचार-विमर्श के बाद, सभी दलों के हां भरने के बाद सदन में लाया गया। जब सदन में इस पर चर्चा हो रही थी, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज के प्रधान मंत्री और उस वक्त के मुख्यमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी विरोध में बोल रहे थे।

सर, ये लोग किसान विरोधी और मजदूर विरोधी हैं। ये कभी गरीब का भला नहीं चाहते हैं। वर्ष 2005 में यूपीए गवर्नमेंट ने इसको सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया था। कल हमारे नेता चाह रहे थे कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया जाए तो उसमें इनको किस बात का अंदेशा था। आप इसको भेज देते। महात्मा गांधी जी का नाम बदलना देश में सबसे बड़ा अपराध है।

सर, मैं बहुत सारे देशों में गया हूं। हम जहां जाते हैं, वहां महात्मा गांधी जी के स्टैच्यू के ऊपर माला अर्पण करते हैं। दुनिया का जो भी राष्ट्राध्यक्ष है, वह जब हिन्दुस्तान में आता है तो महात्मा गांधी जी की समाधि पर जाता है। कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी जी के नाम से इसलिए योजना चलाई, ताकि गरीब को, दलित को, शोषित को, पिछड़े को, बैकवर्ड को गांव में अधिकार देने का काम किया जा सके। वर्ष 2005 में जब इसको लागू किया गया, तो पूरे हिन्दुस्तान से बहुत सी अवाजें आईं। गरीब और मजदूर की आवाज आई कि देश में एक ऐसा कानून लाया जाए, जिसको रोजगार की गारंटी का कानून माना जाए। मनरेगा से पहले पूरी दुनिया में, मंत्री जी भी मानेंगे कि कानून नहीं था, आज भी जिन देशों में कानून है, वहां यह पूर्ण रूप से लागू नहीं है। यूपीए गवर्नमेंट ने भारतवर्ष में इसको पूर्ण रूप से लागू किया था। सरकार की मंशा खराब है। मैं आपका ध्यान दो-तीन चीजों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। वर्ष 2005 में जब यह लागू किया गया था तो गांव में बहुत परेशानी थी। गांव से गरीब लोगों का पलायन हो रहा था, शहरीकरण बढ़ रहा था। गांव में आजीविका के संसाधन नहीं थे। जब खेती में मशीनरी का उपयोग बढ़ता गया तो गांव में जो गरीब आदमी, दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़े लोग हैं, उनके पास रोजगार नहीं था। उस समय रोजगार की गारंटी का कानून बनाया गया। यह बात अलग है कि हमने रोजगार की गारंटी दी, लेकिन मंत्री जी से हमें बड़ा खेद है, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने तो एमएसपी को भी कानून की गारंटी नहीं दी, जिसकी आपने हामी भरी थी। मनरेगा आदिवासी महिलाएं, दलित, भूमिहीन मजदूरों को केंद्र में रखकर, सामाजिक समानता को बढ़ावा देकर ग्रामीण इलाकों में ढांचागत कमजोरियों को दूर करता है। आज आपने जो लागू किया है, पिछले कुछ सालों से बजट की कमी, भुगतान में देरी, डिजिटल बाध्यताएं तथा जवाबदेही को सिस्टमैटिक तरीके से कमजोर करते हुए अधिकारिक आधारभूत ढांचा धीरे-धीरे खोखला हो गया। इस मनरेगा को कमजोर कर दिया गया। मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा, हमारे सांसद वरुण मुलाना जी ने मनरेगा को लेकर प्रश्न किया था, अभी मनोहर लाल जी चले गए हैं, उन्होंने कहा था कि हरियाणा में 8 लाख मजदूर पंजीकृत हैं, लेकिन केवल 2,10,000 लोगों को काम मिला। यह मंत्री जी का जवाब है। जो मनरेगा थी, उसमें 8 लाख लोगों में से केवल 2,10,000 लोगों को काम मिला। मेरे हिसाब से 25 परसेंट लोगों को ही काम मिल पाया। इससे दु:खदायी बात क्या हो सकती है। कानून का कोई कसूर नहीं था। केंद्र की इच्छाशक्ति किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, दलित विरोधी, और पिछड़े लोगों के विरुद्ध थी, इसलिए लोगों को काम नहीं मिला। मनरेगा का जो कानून है, उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर किसी को 100 दिन का काम न मिले तो 15 दिन के अंदर उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। जिन छ: लाख लोगों को काम नहीं मिला, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने उसको कितना बेरोजगारी भत्ता दिया? माननीय मंत्री जी इसके बारे में बताएं। हम इसके बारे में आपसे सुनना चाहते हैं।

सर, धीरे-धीरे करके मनरेगा को इतना कमजोर कर दिया गया।

मंत्री जी भाषण देते हैं, मैं कई बार सुनता हूं। वे बार-बार यह कहते हैं कि मैंने यह कर दिया, वह कर दिया। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि जब पूरे देश में वर्ष 2006 में यह योजना 200 जिलों में थी और दो वर्षों के अंदर-अंदर कांग्रेस पार्टी की गरीबों के प्रति इतनी इच्छाशक्ति थी कि इस योजना को पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दिया और यह योजना पूरे हिंदुस्तान में लागू हुई। माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधान मंत्री हैं। आज इस कानून को लेकर कि केवल महात्मा गांधी नाम है इसलिए परेशानी है या गांधी नाम से परेशानी है, तो वे क्या जानें, वह तो ये बताएंगे। इस योजना में महात्मा गांधी जी का नाम बदलने की आवश्यकता नहीं थी। माननीय मंत्री जी, अगर आपको 100 दिन बढ़ाकर

125 दिन ही करने थे, तो वह प्रावधान इस योजना में भी ला सकते थे, लेकिन मैं मंत्री जी का ध्यान धारा - 5 के तहत रोजगार के दिनों की संख्या में वृद्धि, मनरेगा योजना में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रस्ताव की ओर दिलाना है। हालांकि, स्थायी समिति ने वर्ष 2024 की रिपोर्ट में इसे बढ़ाकर 150 दिन करने की सिफारिश की थी। आपने अपनी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को भी स्वीकार नहीं किया। मैं इसे अच्छा मानता, यदि आप 150 दिन करते। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। हालांकि, एक्ट के तहत अनमंड कानूनों की संख्या बढ़ाकर 266 होने का हवाला दिया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस यह चाहती है कि 266 दिन कर दें, तब नाम बदलने का लाभ है, नहीं तो इसका क्या लाभ? केवल नाम बदलने से काम नहीं चलेगा। किसानों के साथ धारा - 6 के तहत इसमें बहुत अन्याय होता है। आप भी किसान हैं और माननीय मंत्री जी भी किसान हैं। यानी धारा - 6(2) में कहा गया है कि राज्य सरकारें वित्तीय वर्ष के कुल 60 दिनों की अवधि से पहले नोटिफिकेशन करेंगी, जिसमें बुआई, कटाई के मुख्य कृषि मौसम शामिल होंगे। इस दौरान इस एक्ट के तहत कोई काम नहीं किया जाएगा, जब खेत में काम होगा, तो मनरेगा के लोगों का लाभ किसानों को नहीं मिलेगा, इससे बुरी बात क्या हो सकती है? इसमें बदलाव किया जाए। इस बारे में मैंने पहले भी बात उठाई थी कि इस मनरेगा को खेती के साथ जोड़ा जाए और मनरेगा खेती के साथ जुड़ेगा, तो किसानों को भी लाभ होगा और मजदूरों को भी लाभ होगा। इसमें धारा - 12 में 29 समुदायों को अल्पसंख्यक प्रावधान के सेंट्रल इम्प्लाईमेंट गारंटी काउंसिल में एक तिहाई एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित है। धारा ? 11 में भी स्टेट इम्प्लाईमेंट गारंटी काउंसिल के डायरेक्शन अनिवार्य हैं। हालांकि ?वीबी-जी राम जी? बिल में धारा ? 13 के तहत स्टेट इम्प्लाईमेंट गारंटी काउंसिल के लिए आरक्षण को रखा गया है, लेकिन धारा ? 12 के तहत सेंट्रल ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल के लिए आरक्षण प्रावधानों का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? धारा ? 22 के तहत राज्यों में वित्तीय बोझ बढ़ेगा।

सर, मैं हरियाणा के बारे में आपको बताना चाहता हूं। हरियाणा प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब 65 हजार करोड़ रुपये का कर्ज था, लेकिन उसके बाद 11 साल में आज 4 लाख करोड़ रुपये का कर्ज हरियाणा राज्य पर है। हरियाणा सरकार दिवालिया हो चुकी है और यदि उसके ऊपर 40 प्रतिशत बोझ डाल दिया गया, तो गरीबों का बहुत बड़ा शोषण होगा। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह प्रावधान भी वापस लिया जाए और जो कांग्रेस के समय में था कि राज्यों पर 10 प्रतिशत का बोझ डाला जाएगा।

माननीय सभापति : आज इसकी बात करेंगे।

श्री जय प्रकाश : सर, अभी शुरू किया है, मैं किसान की बात कर रहा हूं, मुझे थोड़ा और समय दीजिए। धारा ? 20, सोशल ऑडिट समुदाय की निगरानी को कमजोर करना, जो इसकी धारा ? 20 है, उसके तहत बिल में कहा गया है कि सभी मजदूरों का सोशल ऑडिट ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। हालांकि, सोशल ऑडिट करने के तरीके और प्रक्रिया बिल में तय नहीं किए गए हैं कि उसका ऑडिट कैसे करना है? सारे बिल का एक थोथा रखा गया है, डरावना रखा गया है, बहकाया गया है। मैं इस बिल की इसलिए निंदा करता हूं, क्योंकि आज देश के हालत क्या हैं? देश में मनरेगा के समय में मजदूरी मिलती थी, अगर मजदूरी नहीं मिलती थी, तो 15 दिन के अंदर उस परिवार को बेरोजगारी भत्ता मिलता था। माननीय मंत्री जी, यह भी बताएं कि जिन परिवारों को रोजगार नहीं मिला, तो भत्ता कितना मिला? हमारे जो मनरेगा मेट हैं। ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shri K.C. Venugopal ji, there are 18 speakers from your party.

? (*Interruptions*)

श्री जय प्रकाश : यह सरकार गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है। मंत्री जी सदन को यह बताएं कि दो साल से मनरेगा मित्रों को तनख्वाहें क्यों नहीं दी जा रही हैं? गरीब के साथ इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? हम इस सरकार को हमेशा कहते हैं, गरीब देश की इस पार्टी को, जिसमें ये सामने वाले शामिल हैं, गरीब देश का मतलब यह ... धन्ना सेठों की पार्टी है, बड़े लोगों की पार्टी है। ? (व्यवधान) गरीब का, मजदूर का, पिछड़े

का, किसान का इस सरकार से कोई लेना-देना नहीं है और न ही गरीबों के हित इनके यहां सुरक्षित रह सकते हैं, इसलिए मैं इस बिल की निंदा करता हूं।

महात्मा गांधी जी का नाम बदलने का ...* रचा गया है। एक योजना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो सभी योजनाएं के नाम बदल दिए। इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधान मंत्री आवास योजना कर दिया ।? (व्यवधान) क्या नाम बदलने से कोई लाभ हो सकता है? क्या नाम बदलने से अर्थव्यवस्था ठीक हो सकती है? अर्थव्यवस्था को आपने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। बेराजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, इसलिए मैं इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं।

माननीय सभापति : गांधी जी भी राम का नाम लिया करते थे।

श्री बृजमोहन अगवाल।

***m11श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर) :** माननीय सभापति महोदय, इस देश के इतिहास में एक ऐसा बिल लाया गया है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ताकत देगा और मजबूत बनाएगा, भारत के गांवों को स्वावलम्बी बनाएगा, भारत के गांवों को बेराजगारी से मुक्त करेगा, भारत के गांवों को साधन से युक्त करेगा, भारत के गांवों को सिंचाई से युक्त करेगा, भारत के गांवों को संसाधन से युक्त करेगा, भारत के गांवों में सड़क पानी बिजली मिलेगी, भारत के गांवों में जल संसाधन मजबूत होंगे।

17.57 hrs (Shri Krishna Prasad Tenneti *in the Chair*)

बाढ़, सुखाड़, भूकम्प या ऐसी कोई महामारी आएगी, तो भारत के गांवों को उसका सामना करने की शक्ति प्राप्त होगी। इस सदन में 2005 के मनरेगा विधेयक को विलुप्त करके एक नया विधेयक लाया जा रहा है। मैं इसके लिए देश के प्रधान मंत्री जी और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।

महोदय, अभी माननीय जयप्रकाश जी बोल रहे थे। 500 साल तक प्रभु राम जी का मदिर नहीं बना था, प्रभु राम जी ने जब चाहा, तो राम जी का मदिर बन गया, अब प्रभु राम जी चाहते हैं कि गांव का विकास हो। प्रभु राम जी चाहते हैं कि विकसित भारत के साथ-साथ विकसित गांव बने। इसके लिए प्रभु राम जी ने इसे कर दिया ।? (व्यवधान) शायद शासन ने भी इसके बारे में नहीं सोचा होगा। वी का मतलब है विकसित, बी का मतलब है भारत, जी का मतलब है गारंटी, आर का मतलब है रोजगार, आजीविका का मतलब है आर, मिशन का मतलब है एम, जी राम जी वी बी। इसमें जी राम जी नाम अपने आप आ गया। इसको किसी को लाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं। इस देश में राम राज लाने के लिए ? (व्यवधान) हमारे गांव-गांव में लोग राम राज की कल्पना करते हैं, उसी राम राज को लाने के लिए ? (व्यवधान) गांधी जी के सपनों को पूरा करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। ? (व्यवधान) आपने तो केवल गांधी जी का नाम लिया है। ? (व्यवधान) उनका ब्रांड के रूप में उपयोग किया है। अगर गांधी जी के सपनों को साकार करने का काम कोई कर रहा है, तो नरेन्द्र मोदी जी की सरकार कर रही है। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं।

18.00 hrs

महोदय, देश के गांवों के बारे में वर्ष 1960 में सोचा गया, वर्ष 1971 में सोचा गया, वर्ष 1980 में सोचा गया, वर्ष 1994 में सोचा गया और वर्ष 1999 में भी सोचा गया। वर्ष 1977-78 में तो एक अजूबा हो गया कि ?काम के बदले अनाज? देंगे। इस देश के प्रमुख अर्थशास्त्री अमृत्य सेन ने कहा था कि अगर गांव के लोगों को दवाई खरीदनी होगी तो कहां से खरीदेंगे?

HON. CHAIRPERSON: My request to the hon. Members of the House is that we may extend the time until 10 p.m., if everybody agrees.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: Okay.

Please carry on.

श्री बृजमोहन अग्रवाल : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि इन्होंने वर्ष 1977-78 में एक बड़ा काम किया कि ?काम के बदले अनाज? देंगे और इसकी पूरे देश के लोगों ने आलोचना की। इस देश के बड़े अर्थशास्त्री अमृत्य सेन ने कहा कि क्या गांव के लोगों को दवाई के बदले अनाज देंगे? क्या उनको दवाइयां मिलेंगी? क्या वे इलाज करवा पाएंगे? देश के आयोग ने कहा कि आप एक रुपये के अनाज के पीछे तीन रुपये खर्च कर रहे हैं जबकि दो रुपये ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो रहे हैं। आज यहां इतनी अनीति करने वाले, लोगों के साथ अन्याय करने वाले खड़े होकर बात कर रहे हैं।

माननीय सभापति जी, मैं कोटा से आता हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगले महीने की तनख्वाह ज़रा कोटा की कचौरी के रूप में इनको दे दीजिए। क्या यह अच्छा होगा? राहुल गांधी जी को तो हरियाणा की जलेबी पसंद है, उनकी तनख्वाह जलेबी के रूप में दी जाएगी तो क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? जब आप इसे स्वीकार ही नहीं कर सकते तो आपने इतना घोर अन्याय क्यों किया? लोगों को ?काम के बदले अनाज? देकर रोजगार छीनने का काम क्यों किया? आपने उनकी अर्थव्यवस्था को ठप किया था। ? (व्यवधान)

सभापति जी, मैं मनरेगा के विषय पर ही बात कर रहा हूं। मनरेगा 100 दिन की जगह 125 दिन रोजगार देगा। क्या आप इसका स्वागत नहीं करते? आजीविका की सुरक्षा की गारंटी देगा, क्या आप इसका स्वागत नहीं करते? 15 दिन के अंदर उनको रोजगार देना पड़ेगा, अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो उनको बेरोजगार भत्ता देना पड़ेगा। क्या आप इसका स्वागत नहीं करते? क्या आप विकसित ग्राम पंचायतों को बनाने का स्वागत नहीं करते? डिजिटल तकनीकी के माध्यम से शासन की जवाबदेही तय होगी, क्या आप इसका स्वागत नहीं करते? टिकाऊ परिसंपत्तियां बनेंगी, क्या आप इसका स्वागत नहीं करते?

महोदय, पहले क्या होता था, गड्ढे खोदते थे और गड्ढे भर देते थे। क्या तब निर्माण का काम होता था? इसके बारे में क्या कोई जानकारी नहीं थी कि कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितनी जांचें हुईं, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? मनरेगा को कांग्रेस ने अपनी जेब भरने का साधन बना लिया था, फर्जी मस्टर रोल का साधन बना लिया था। आज इसमें सुधार करने का काम माननीय शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। वह ग्रामीण परिवेश से आते हैं, खेती-किसानी से आते हैं। वह चार बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सांसद हैं और अब मंत्री हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि वह बहुत अच्छा विधेयक लेकर आए हैं।

महोदय, पहले फर्जी हाजिरी के रजिस्टर होते थे। फर्जी हाजिरी के रजिस्टर को समाप्त करके अब डिजिटाइज्ड मस्टर रोल बनाने की प्रकिया प्रारंभ हो गई है, क्या आप इसका स्वागत नहीं करते? टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, क्या आप इसका स्वागत नहीं करते? यही माननीय नरेन्द्र मोदी की सरकार है जिसने राज्यों की सहायता को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया। क्या आप इसका स्वागत नहीं करते? यही माननीय नरेन्द्र मोदी जी सरकार है जिसने ग्रामीण परिवेश को मजबूत करने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत घर दिए। यही माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है जिसने उज्ज्वला योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गैस के कनैक्शन्स दिए।

यही मोदी जी की सरकार है, जिसने ग्रामीणों को पाँच लाख रुपये का इलाज मुहैया करवाया। यही मोदी जी की सरकार है, जिसने रूफटॉप बिजली लगाने के लिए, सौर बिजली लगाने की लोगों के लिए व्यवस्था की। यही मोदी जी की सरकार है, जिसने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए घर-घर में नल योजना का प्रारंभ किया। क्या आप इसका स्वागत नहीं करते हैं? यह रोजगार गारंटी जी राम जी योजना आ जाएगी, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। गाँव में सड़कें बनेंगी, गाँव में बिजली मिलेगी, गाँव में पानी मिलेगा,

गाँव में पंचायत भवन बनेगा, गाँव में स्कूल भवन बनेगा। पहले इसके लिए पैसे की आवश्यकता नहीं थी। अभी जयप्रकाश जी बोल रहे थे कि आपने 60:40 कर दिया है। हमने तो इसे 32 से भी 42 किया है। इस योजना के माध्यम से राज्यों की बाध्यता होगी कि ग्रामीण विकास के लिए राज्य भी अपना शेयर दें और केंद्र सरकार भी 60 प्रतिशत पैसा देगी, तो गाँव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

माननीय सभापति महोदय, गति शक्ति योजना और विकसित भारत योजना के तहत सभी कामों को एडजॉइन किया जाएगा। सबमर्जेंस के तहत वहाँ पर विकास के काम किए जाएँगे। आजकल हम देखते हैं कि शहरों की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो रही है। लोग अपने काम के लिए और अपने रोजगार के लिए शहरों में पलायन कर रहे हैं। जब गाँव विकसित होंगे, तो वहाँ का नौजवान शहरों में नहीं आएगा। वह अपने गाँव में ही काम करेगा। जब खेती के लिए सुविधाएँ होंगी, तो वह अपने गाँव में ही काम करेगा। यह आर्थिक बदलाव होगा। अभी केंद्र सरकार ने तय किया है। कांग्रेस के जमाने में रोजगार गारंटी योजना के लिए 30 हजार करोड़ से 40 हजार करोड़ रुपये मिलते थे। मोदी जी की सरकार आने के बाद 60 हजार करोड़ रुपये से लेकर 90 हजार करोड़ रुपये तक मिल रहे हैं। अब आने वाले समय में डेढ़ लाख करोड़ रुपये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खर्च होंगे। इन डेढ़ लाख करोड़ रुपये के माध्यम से गाँव का विकास होगा।

माननीय सभापति महोदय, भारत के खाद्यान्न को बढ़ाने के लिए हमारे किसान परेशान होते थे और खेती के समय उनको मजदूर नहीं मिलते थे। यह सबसे बड़ा काम है, इसकी कभी चिंता नहीं की गई। अब यह कर दिया गया है कि राज्य सरकार 60 दिनों का समय खेती के लिए तय कर सकती है और उन खेती के दिनों में ये रोजगार गारंटी के काम नहीं खोले जाएँगे। खेती के लिए मजदूर मिलेंगे। हमारी खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। क्या आप इसका स्वागत नहीं करते हैं? इतना बड़ा निर्णय हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी ने लिया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे विपक्षी साथियों से पूछना चाहता हूँ। अगर आप इसके उद्देश्य पढ़ेंगे, ग्राम पंचायतों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रधान मंत्री गति शक्ति योजना के साथ एकीकृत विकसित ग्राम पंचायत योजना के माध्यम से अभिसरण, संतृप्तिचलन योजना और पूर्ण सरकारी परिदान को संस्थागत करने हेतु भू-स्थानिक प्रणाली, डिजिटल लोक अवसंरचना तथा ब्लॉक, जिला और राष्ट्रीय स्तर पर संचालित ऐसी योजनाओं के साथ जिला और राज्य योजना का तंत्र बनाएँगे। एक केंद्रीय तंत्र बनेगा, एक राज्य का तंत्र बनेगा, एक जिले का तंत्र बनेगा और उसके लिए पूरे नियम, यदि कोई बनाएगा, तो केंद्र की सरकार बनाएगी। उस तंत्र के माध्यम से पूरे देश के गाँवों में विकास की योजनाएँ बनाई जाएँगी।

माननीय सभापति : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल : माननीय सभापति जी, मैं केवल तीन-चार मिनट लूँगा। मैं पहला वक्ता हूँ। कृपया मुझे समय देंगे, तो अच्छा होगा।

माननीय सभापति : आप समय क्रॉस कर चुके हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल : माननीय सभापति महोदय, नहर, बाँध, पत्तन जलमार्ग, मोहरबंध तथा भूमिगत बाँध का निर्माण, तालाब, टैंक पुनर्भरण, गढ़्ढे पुनर्भरण, शाफ्ट, अंतः सिंचन कुँए, सहबद्ध जल संचयन संरचना का निर्माण और पुनरुद्धार, खुले कुँए द्वारा सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई, जलमार्ग तथा क्षेत्रीय जल वितरण प्रणाली आदि काम होंगे। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आप कन्क्लूड कर अपनी बात पूर्ण कीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं जी राम जी बिल के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी को, श्री शिवराज सिंह चौहान जी को ऐतिहासिक बिल लाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। इसमें पूरे सनातन की भावना और हिंदुत्व की भावना है। राम जी का नाम ऑटोमैटिक उभरकर सामने आ गया। इसके माध्यम से, जब भी जी राम जी का नाम लेंगे, भ्रष्टाचार रुकेगा, गलत काम रुकेगा और गाँव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को और शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देता हूँ और आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इससे छत्तीसगढ़ का भी विकास तेजी से होगा, क्योंकि प्रभु राम छत्तीसगढ़ के भाँजे हैं।

जय हिंद।

***m12श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल (फतेहपुर) :** माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे विकसित भारत ? रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका और सामाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का तथा हमारी पार्टी के सचेतक श्री धर्मेन्द्र जी का एवं अपने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ तथा उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ।

मान्यवर, मैं सबसे पहले यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मनरेगा केवल एक योजना ही नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत के लिए एक कानूनी अधिकार है। रोजगार का अधिकार, सम्मान का अधिकार और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है। इसे हटाना या प्रतिस्थापित करना केवल प्राशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक अनुबंध को तोड़ने जैसा है।

महोदय, सरकार कहती है कि इस विधेयक के तहत रोज़गार की गारंटी एक सौ दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि कानून में क्या लिखा है। सवाल यह है कि क्या गरीब को वास्तव में 125 दिन काम मिल पाएगा? चूंकि इस विधेयक की असली तस्वीर इसके अन्य प्रावधानों में छिपी है।

मान्यवर, मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों की पूरी मजदूरी केन्द्र सरकार देती थी। अब राज्यों को भी मजदूरी सामग्री और प्राशासनिक खर्च उठाने पड़ेंगे। कई राज्य पहले से ही वित्तीय संकट में हैं। अगर राज्य सरकार पैसे नहीं दे पाएगी, तो सबसे पहले गरीब का रोज़गार खत्म होगा। इसलिए रोज़गार का अधिकार राज्य की तिजोरी पर निर्भर नहीं होना चाहिए।

मान्यवर, जहाँ तक बात एलोकेशन की है, तो अब केन्द्र यह तय करेगा कि राज्य कितना खर्च कर सकता है। अगर मांग ज्यादा हुई, तो राज्यों को खुद खर्च उठाने पड़ेंगे। यह मनरेगा की मांग-आधारित आत्मा पर सीधा प्रहार है। यह गारंटी नहीं, बल्कि कोटा सिस्टम है। इसके साथ ही, यह सहकारी संघवाद पर भी हमला है।

मान्यवर, कृषि के मौसम में 60 दिनों तक काम रोकने का प्रावधान है। मैं कहना चाहता हूँ कि ग्रामीण जीवन कैलेंडर से नहीं चलता है। वह बारिश, सूखे और मौसम की मार से चलता है। जलवायु संकट के दौर में काम रोकना गरीब को और असुरक्षित बनाना है। नये बिल को और पीएम गति शक्ति को जोड़ना है। ग्राम पंचायतों की भूमिका कागज पर है, लेकिन असली नियंत्रण ऊपर से होगा। लोकतंत्र में विकास बॉटम-टू-अप होना चाहिए, न कि डैशबोर्ड से गांव तक। तकनीक का आत्मनिर्भर प्रयोग, बायोमेट्रिक ऐप ने पहले ही कई मजदूरों की मजदूरी रोकी है। मेरे जिले फतेहपुर में कई जिले, जैसे- गागरा, लोहरी सराय, ब्लॉक अमौली में मोबाइल नेटवर्क नहीं है। तकनीक सहायक होनी चाहिए, न कि सख्त होनी चाहिए।

महोदय, मैं सबसे पहले इस विधेयक के प्रतिकात्मक और नैतिक पहलू पर आना चाहता हूँ, जो नाम परिवर्तन का है। जब भी कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत आता है या जब हमारे प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, तो भारत की पहचान महात्मा गांधी के नाम से होती है। अहिंसा, सत्य, करुणा आदि भारत की आत्मा के प्रतीक हैं। लेकिन जैसे ही बात भारत के गरीबों के रोज़गार की आती है, तो आप उसी गांधी के नाम को योजना से हटा देते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अहिंसा के पुजारी से इतनी नफरत क्यों? गरीबों के अधिकार से जुड़ा गांधी का नाम इतना असहज क्यों लगता है? महात्मा गांधी के नाम को रिप्लेस करने के लिए आप राम का नाम तो ले सकते हैं, लेकिन आप उसे सावरकर से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं।

मान्यवर, गांधी कोई पार्टी नहीं थे, गांधी विचारधारा नहीं थे, गांधी भारत की नैतिक चेतना थे। यह विधेयक सिर्फ नाम नहीं बदलता है, बल्कि यह दृष्टिकोण बदलता है। अधिकार से योजना की ओर और न्याय से बजट की ओर और गांधी से सुविधा की ओर ग्रामीण भारत को नारे नहीं चाहिए। उसे काम चाहिए, मजदूरी चाहिए और सम्मान चाहिए। जब तक यह विधेयक इन तीनों की बिना शर्त गारंटी नहीं देता और जब तक गांधी के विचार को योजनाओं से हटाया जाता रहेगा, मैं इस विधेयक का पूरे दृढ़संकल्प के साथ विरोध करता हूँ।

इस बिल को प्रस्तुत करते हुए माननीय मंत्री जी ने कहा था कि यह ईंट और गारे का भवन नहीं है। यह लोकतंत्र का मन्दिर है।

मान्यवर, पूज्य महात्मा गांधी जी के त्याग और बलिदान से यह देश आज़ाद हुआ था और हमको लोकतंत्र मिला, जिसकी वजह से हम सब इस सदन के सदस्य व मंत्री बने हैं। आप भवनों का नाम और रंग बदलते हैं, लेकिन आपका यह ढंग ठीक नहीं है। इसको पूरा देश देख रहा है। जनता आपकी नीतियों और ढंग से बेहद दुखी है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव में शराब के ठेके खुले हुए हैं। वे युवा पीढ़ी को बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर लोक सभा संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतकर आया हूं। वहां मजदूरों का करोडों रुपये बकाया है। उनका भुगतान कैसे किया जाएगा? माननीय मंत्री जी, मैं स्पष्ट रूप से यह बात जानना चाहता हूं।

सभापति महोदय, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का समय दिया है, मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं।

***m13SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR):** Thank you, hon. Chairperson Sir. I stand on behalf of my party, the All India Trinamool Congress, to stridently oppose both, the renaming of the Bill and the replacement of the MGNREGA Act by the VB?G RAM G Bill, 2025.

In 2005, the Union Government enacted the National Rural Employment Guarantee Act, which revolutionized rural India's idea of livelihood security. There was a historic consensus among all parties in this very House when they passed the Bill, and everyone shouted *?rozgar guarantee zindabad?*. This was the history of the original Bill.

For the first time in law, the Central Government aimed to provide 100 days of assured employment to one single member of every rural household, as long as there was an adult member willing to sign up for unskilled manual work. As long as you wanted it, it was available. It was demand-driven. Women were guaranteed, at least, one half of the jobs made available. The NREGA Scheme was aimed at creating durable infrastructure like wells, ponds, roads, etc. Employment was to be provided within five kilometers of an applicant's residence so as to prevent large-scale rural-to-urban migration. Minimum wage was to apply. Every State was notified with a minimum wage.

On October 2, 2009, Gandhi Jayanti, in keeping with the vision of the ?Father of the Nation?, vision of rural self-reliance in India, the name was changed to the Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Act. That is the history of this.

Now, suddenly, 16 years later, with no consultation with anybody - the Government did not consult the opposition; the Government did not consult civil society; the Government did not consult any stakeholders ? the Government has introduced a Bill to repeal the MGNREGA. This is not an amendment. The Government is replacing it with something called VB?G RAM G Bill.

It was Bengal's great son, Rabindranath Tagore, who popularized the name ?Mahatma?, meaning ?the great soul?, for Mohandas Karamchand Gandhi.

Some historians said tha tother people before Gurudev had called him the Mahatma. But, it is ironic that from the Prime Minister's home State, the Gujarat High Court?s Justice Pardiwala, when he was there, declared in February 2016, once and for all, that it was Rabindranath Tagore who gave the title of Mahatma to Mohandas Karamchand Gandhi, and that all school textbooks should give the credit of naming him the Mahatma to Tagore. What have this Government done today? They have changed the name. They are dishonouring both the Mahatma and Gurudev. Is it any wonder that Bengal and Bengalis call them *Bangla birodi?* Does this Government think it has been very smart by putting the name Ram, by putting the acronym R.A.M. in the name of the Bill? What did Gandhiji say? I am quoting Gandhiji. He said: ?BY RAMARAJYA I do not mean Hindu Raj. I mean by Ramarajya Divine Raj, the Kingdom of God.? Ram Rajya ensures equal rights to a prince and a pauper. It is sovereignty of the people based on moral authority. By changing the name and repealing the Act, you have destroyed Gandhiji's idea of Ram Rajya, both in letter and in spirit.

Now, before the suspension of the fund releases in March 2022, West Bengal was among the top performers of MGNREGA nationwide. Approximately 2.6 crore job cardholders across 1.4 crore rural households were in Bengal. Since March 2022, the Union Government has not released one single paisa to West Bengal. As of today, the Centre has outstanding MGNREGA dues of Rs. 52,000 crore ? Rs. 7,000 crore in unpaid wages and Rs. 45,000 crore in unpaid material and pending liabilities. We, as Members of the Trinamool Congress, representing the people of Bengal, have taken to the streets for our rightful dues. We have sat on *dharna*. Our hon. Chief Minister has written innumerable times.

We have complied with over 150 action taken reports. When we went to meet with the hon. Minister, we, despite being MPs, were dragged like animals by the Delhi Police. We were thrown into prison vans and we were taken to a godforsaken *Thana* on the outskirts of Delhi. This is what we got.

I have got the Bill in front of me. I am looking at page 1. Now, if you look at the Objects and Reasons of the Bill, it says ?to provide an enhanced statutory wage-employment guarantee of 125 days in every financial year to every rural household?. But, actually, there is not one single element of the legal right to work retained in the Bill, which was there in the original Bill. That was a legal right.

The original MGNREGA provided some fundamental guarantees. The first was that it was funded by the Central Government. The wage bill was met 100 per cent by the Central Government. The second was that it was a demand-driven employment program as my hon. colleague Shri Naresh ji from SP said. He said ?when people wanted to work, it was demand-driven. It was bottom-up?. The third guarantee was of 100 days of work across rural India, no matter where you were. There was no notified area, no this and no that. You wanted to work, you lived in rural India, you filled up a form and you were entitled to it. That was the right.

I am looking at the Bill. This Government used the word ?guarantee? 92 times in this Bill. But I am going to go through just four provisions of the Bill which demonstrate that the new G RAM G Bill provides no guarantees at all. Forget about 92, it provides not even one guarantee.

First, I am looking at page 4, Chapter 2, Section 4(5) of the proposed Bill. What does it say? The Central Government shall determine the State-wise normative allocation for each financial year based on objective parameters as may be prescribed by the Central Government. The MGNREGA, which was a demand-driven employment program, has been now replaced by an allocation-based scheme which the Central Government can alter at whim. If the Central Government thinks they want to alter the quantum of allocation, it can. This takes us back; this is retrograde. It takes us back to the pre-MGNREGA days when we had the Jawahar Rozgar Yojana and employment assurance schemes, which basically used to give the people of India only about 10 days of employment. That is what you are taking us back to.

The second provision, which I am looking at on page 4, Chapter 2, Section 5(1) of the Bill, is deadly. It completely destroys the idea of a universal legal entitlement across rural India. What does it say? It says ?save as otherwise provided, the State Government shall in such rural areas, as may be notified by the Central Government?. The Centre is saying that the scheme will run only in those areas which have been notified by the Central Government. The State Government has to provide for 125 days of work, but the Centre is going to prescribe the norms. This is brilliant, this is great. Now, these ?125 days?, that they are saying, is all eyewash.

In the last five years, what has been the reality? Due to squeezed allocations, MGNREGA has not been able to meet demand for work. Average in India has been between 50 and 55 days of work. In Bengal in the last five years, no matter what the demand was, you could not give even one day of work because you stopped the program.

The third provision is Section 4(6) at page 4, Chapter 2. What does this provision state? It states ?any expenditure incurred by a State in excess of its normative allocation shall be borne by the State Government?. Suppose, any State Government has more demand, its people want more work, and it gives them more work, the State Government is on the hook for the bill. The Central Government is not going to go beyond the allocation. That is exactly what my colleague pointed out.

The fourth provision is the deadliest. This is the death knell for the MGNREGA scheme. This provision is the reason for which the MGNREGA is not going to go forward. Let us look at page 11, Chapter 5, Section 22(2). This provision says that for the purposes of this Act, the fund sharing pattern between the Central Government and the State Government shall be 60:40. In the North-Eastern States and Union Territories, it shall be 90:10. Now, under Section 22 of the old MGNREGA, 100 per cent of the wages were provided by the Central Government and in terms of materials and administration, the ratio was 75:25 between the Central Government and the State Government.

Now, let me give a very small example so that you understand what this means. Let me illustrate the funding comparison. Let us take the example of any State. The total MGNREGA expenditure *per annum* is Rs. 10,000 crores. Out of that, say ?wages? is Rs. 7,000 crores and ?materials? is Rs. 3,000 crores.

Under the old MGNREG Act, the Central Government bears 100 per cent of the Rs. 7000 crore as wage costs, and out of Rs. 3,000 crore against the material costs, the Central Government bears 75 per cent, which is Rs. 2,250 crore, and the State Government bears Rs. 750 crore. So, what was the situation? The Central Government's total bill is Rs. 9,250 crore, and the State Government pays Rs. 750 crore. This was under the old MGNREGA.

What is it like under the new VB-GRAM G Bill? Let us take the example of the same expenditure of Rs. 10,000 crore. Sir, I have got 12 minutes. I am the first speaker. Please do not ring the bell. Under the new situation, what is happening? For the same expenditure of Rs. 10,000 crore, it is 60-40 share of the total bill. The Centre has to bear Rs. 6,000 crore and the State Government has to bear Rs. 4,000 crore. In the old MGNREGA, the State Government for the same expenditure was only liable for Rs. 750 crore, but now the State Government is liable for Rs. 4,000 crore. So, the State?s share has gone up by Rs. 3,250 crore, which is 430 per cent higher. Now, the State Government has to give additional Rs. 3,250 crore. What does it mean for the States? This means the loss of wage protection because you are on the hook for the wage bill. There is a budget cap risk. If there is expenditure beyond the allocation, the States have to bear it.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SUSHRI MAHUA MOITRA: Sir, please let me finish. The unemployment allowance will continue. There is a structural shift, where you are moving to a ?fiscally devolved model?.

HON. CHAIRPERSON: Please listen to me for one second. You have already exceeded 11 minutes. I am giving you another 40 seconds. Please conclude.

SUSHRI MAHUA MOITRA: Sir, let me finish. Sir, you have increased the time to 10 hours. MGNREGA was a people's law, the popular slogan was ?हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो?. What is happening today? The Calcutta High Court has directed the Union Government to resume MGNREGA in West Bengal as of 1st August. Not only did you not do it, you went to the Supreme Court, and the Supreme Court dismissed your petition saying the Calcutta High Court's order stands. Even till today, the legal position is clear but you have not increased it. I will request the hon. Minister, who is present here, to give a very clear indication to the State of West Bengal and to all of us sitting here on how you propose to clear the rightful dues of Rs. 7,000 crore of unpaid wages and Rs. 45,000 crore of our projected liabilities. This is our legal entitlement. We are not begging for it. You are in contempt of both the court of law and the court of the people. ?ना किसी का साथ, ना किसी का विकास, ना रहीम का ना राम का? is the truth of this Bill.

***m14SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI):** The Supreme Court of India in 1985 said, ?The right to life includes the right to live with human dignity and all that goes along with it?. Amartya Sen, during a

discussion on NREGA, said that the social security arrangements like employment guarantees are crucial in protecting people from extreme deprivation. The Viksit Bharat G RAM G Bill, which is being brought today, takes away human dignity and fails to protect the legal right of our people to work. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act now has been changed to the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin). Sir, just reading this vexes me. This is not a Viksit Bharat, it is a vexed Bharat because in every Bill, you try to impose Hindi and Sanskrit on the people of South India. Why do you not name one Bill in any South Indian language? You keep saying that you care about the Indian languages. Can you tell us about one Bill which you have named in Tamil, Telugu, Malayalam, Marathi, or Odia? There is nothing. It is either in Hindi or in Sanskrit. ? (*Interruptions*)

Hon. Chairperson Sir, Vanakkam. This is not a Developed Bharat. This is a Bharat with adversity. This is a Bharat which is betrayed. On behalf of the Dravida Munnetra Kazhagam, I totally disagree and oppose this Bill which is brought by the ant-labour Government against the farm labourers of this country. Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Scheme. This name itself ensures guarantee for work for sure. But the Bill you have brought in this august House, is not a demand driven one, but it is allocation based. Earlier this Scheme was providing work to those who were in need of work. But now this Bill tries to put all the powers relating to this in the hands of the Union Government. You should understand Federalism is sharing power and not hoarding power. You should understand that it is centralisation of powers. In rural areas this Scheme is called a 100 days employment Scheme. Old aged persons, those who have no other options of work, women, and disabled persons are all given employment through this Scheme. But the Bill which you have brought today is against the interests of all these sections of the people. This Bill is against the self-rule in States. I wish to register that this Bill is brought here is anti-poor and anti-people.

Section 4 (5) says that ?The Central Government will determine the State-wise normative allocation for each financial year based on objective parameters as may be prescribed by the Central Government.? You the Union Government will decide how much employment opportunities may be provided to each of the States. You do not know who *Chekkizhuththa Semmal* V.O.C. is. He was the Hero who pulled the Oil Press during the freedom struggle of our country. When will you get remember Tamil Nadu? If elections are round the corner, you will come to Tamil Nadu. During election campaigning, you will say that you are worrying that you are not born as a Tamil. At the same time, if there is election in Bihar, you will go on to say that Tamils are against the Bihar people. If there is election in Odisha, you will spread the message that Tamils go to Odisha and try to snatch away powers from Odia people. In such a way, you talk bad about Tamil people in other States of the country. You have no care and concern about our people of Tamil Nadu. You do not know villages near places like Nagappattinam, Thanjavur, Tirunelveli, Nanguneri, Tuticorin, etc. Just tell me how will you understand the needs of the people living in these areas and accordingly allocation be done? The State Government as per the requirements and local needs, provided employment in all these years. Today, you have snatched away that right even through this Bill.

I wish to register here that in all the Bills you bring, the rights of the States and self-rule in States are affected. Not only that, as mentioned by Shrimati Mahua Moitra, for several years, the wages are fixed and borne completely by the Union Government. This was implemented through the Scheme brought out by the then UPA Government. But now you have changed this fund sharing ratio as 60:40 through this Bill. So far you have not released the dues under MGNREGA to the non-BJP ruled States well in time. How can we trust that now through this Bill the wages would be given in full to the State Government? This 75 percent cost sharing was for the material cost against 25 percent being spent by the States concerned. Now this has been completely changed as 60:40 ratio between the Union and the States. Not only that, if the States are providing more employment than the prescribed limit, this Bill says that the extra expenditure should also be borne by the State concerned. How is it fair? If that?s so how can we accept this Bill? You have been reducing the funds that are given to the States. What has to be devolved to the States has been reduced. This has been reduced from 89 percent to 71 percent. Every year, you take all the amount collected by way of Cess. At a time when the revenue meant for the State is reduced, we look at the Government increasing the expenditure without any thought to it. You say it is 60:40 per cent. I ask something, there is a Scheme called Prime Minister Housing Scheme, but 61 percent of the funds for construction of Houses is provided by the State Government. The Union Government gave only 39 percent. Under the Prime Minister Matsya Sampada Yojana, the Union Government gives only 27 percent; whereas the Tamil Nadu Government provides 63 percent. Old aged persons are given pension every month. You as the Union Government give only Rs. 200 and the remaining part is borne by the State Government. Jal Jeevan Mission. You said the fund sharing would be 50:50 percent. This rule is betraying the State Government in every Scheme of the Union. Through this Bill also, you have started to betray the State of Tamil Nadu and its people. You have tried to utilise this opportunity as well for your growth. I am ashamed of this.

60 days of work ? when there is agriculture activity, you claim to say that there would not be any work given. We should understand the basis of agriculture. The sowing season. Trans-planter season, are some of the situations when leaving aside two or three days in that 60 day period, no work is available for the farm labourers. Have you even thought that what is the fate of farmer who will be with our work for 60 days. Have you ever thought of what will happen to the labourers who can have work for only 2 days during the time of 60 day period? Not only that we are not for wages alone. Beyond that, the negotiating power of a worker has completely been destroyed. I want to ask that whether have you ever thought about this? Beyond all these obstacles, when UPA was in power the then Union Government brought this Atchaya Paaththiram, (inexhaustible vessel) and gave it to the farm labourers. This was given in the hands of agricultural farmers. You have snatched away the Inexhaustible vessel and gave them a bowl for begging. I should say that the new Director will make us ashamed and feel sorrow. You have assured to give 125 man-days of work. After you came to power, have you ever given during any year, 200 days of work? If that?s so, our total man days of work do not exceed 40 days or 46 days in any State. We have an adage being used in Telugu. If you cannot go to the top of the House to catch hold of a hen; you think that you cannot climb up the skies to go to Vaikuntham. This is the situation prevailing here. But beyond everything you have removed

Mahatma Gandhi?s name in a shameful manner through this Scheme. *Thanthai Periyar* referred India as the Gandhi country. He wanted to keep the name of this nation as Gandhi country. But you the Union Government has removed the word Gandhi from the project name. I strongly condemn this. I condemn. Thank you. Vanakkam.*

माननीय सभापति : श्री दिलेश्वर कामैत जी।

***m15श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल) :** सभापति महोदय**,** धन्यवाद। विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन वीबी-जी राम जी विधेयक, 2025 जो सरकार के द्वारा प्रत्येक ग्रामीण गृहस्थों को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिन की कानूनी गारन्टी मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर, विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ संरेखित ग्रामीण विकास कार्य ढांचे को स्थापित करने के लिए; समृद्ध और समनुत्थानशील ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास अभिसरण तथा संतृप्तिकरण का संवर्धन करने के लिए; तथा उससे ससंक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को लाया गया है। मैं उसका समर्थन करता हूं।

महोदय, यह विधेयक किसान हित तथा राष्ट्र हित में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के धरोहर को संजोने वाला विधेयक है। भारतीय संविधान के कई ऐसे अधिनियमों में अभी भी बहुत ऐसे संशोधन होने हैं, जो बहुत पहले ही होने चाहिए थे। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि समयानुसार अधिनियमों में लोकहित एवं राष्ट्रहित के लिए सरकार को आवश्यक संशोधन करते रहना चाहिए।

महोदय, वर्तमान में यह एक भारतीय सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो ग्रामीण परिवारों को कम से कम 125 दिन के अकुशल शारीरिक श्रम की कानूनी गांरटी देती है, जिससे ग्रामीण गरीबों की आजीविका सुरक्षित होती है। महिलाओं को सशक्त बनाया जाता है और ग्रामीण संसाधनों का विकास होता है, जिसमें रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान भी है और इसका उद्देश्य पारदर्शिता एवं विकेंद्रीकरण के साथ ग्रामीण विकास करना है।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं हैं ? हर वित्तीय वर्ष में हर ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को पहले 100 दिनों का रोजगार मिलता था, अब 125 दिनों के वेतन-रोजगार की गारंटी है। यह एक अधिकार आधारित कानून है। यदि 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता देय है। कार्यबल में कम से कम एक-तिहाई महिलाएं होनी चाहिए और इसे 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है। सामाजिक ऑडिट और इलैक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। स्थायी संपत्ति बनाने वाले कार्यों पर जोर दिया जाता है जैसे जल संरक्षण और ग्रामीण बुनियादी ढांचा। आधार कार्ड और बैंक खाते के विवरण के साथ ब्लॉक कार्यालय में पंजीकरण कराया जा सकता है तथा भारत का गांव स्वावलंबी होगा, विकसित होगा। मेरा सुझाव है कि इस योजना में किसानों को भी जोड़ा जाए।

महोदय, यह योजना ग्रामीण भारत में गरीबी कम करने, ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन आधार को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को भी बढ़ावा मिलता है।

महोदय, आजादी के बाद भारत में ग्रामीण विकास नीतियों ने गरीबी को दूर करने, कृषि उत्पादकता में सुधार करने, विभिन्न वेतन-रोजगार योजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त और कम रोजगार वाले ग्रामीण श्रमिकों को काम देने, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने आदि पर ध्यान केंद्रित किया। दशकों से ग्रामीण समुदायों को ऊपर उठाने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रमों से लेकर रोजगार सृजन योजनाओं तक के दृष्टिकोण विकसित हुए हैं। विकसित हो रहे सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य के आधार पर ग्रामीण रोजगार सृजन योजनाओं की प्रकृति में लगातार बदलाव आया है।

भारत की ग्रामीण रोजगार स्कीम कई अवस्थाओं से गुजरी है, जिसकी शुरूआत ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम और ग्रामीण रोजगार संबंधी स्कीम जैसे शुरूआती कार्यक्रमों से हुई। वर्ष 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसको वर्ष 1993 में जवाहर रोजगार योजना में मिला दिया गया, ताकि ग्रामीण रोजगार की कोशिशों को आसान बनाया जा सके। किसानहित में अन्नदाताओं के लिए खेती के कमजोर मौसम में काम देने हेतु वर्ष 1993 में रोजगार आश्वासन योजना शुरू की गई।

महोदय, सबसे पिछड़े जिलों को खाद्य सुरक्षा और रोजगार दोनों में सुधार करने के लिए वर्ष 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसे वर्ष 2004 में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम के तौर पर बढ़ाया गया, जिसमें सार्वजनिक कामों पर हाथ से काम करने के लिए मजदूरी के तौर पर अनाज दिया।

महोदय, जिस प्रकार ऊंचे मकान बनाने के लिए मजबूत नींव डाली जाती है, उसी प्रकार विकसित भारत @ 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नींव के रूप में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की नीतिगत सोच के द्वारा विकसित ग्राम पंचायत योजना की मजबूत शुरूआत कर योजना को कार्यान्वित करने के लिए विशेष ढांचा तैयार किया गया है, जिससे विकसित भारत बनाने में अहम योगदान मिलेगा।

महोदय, योजना के लिए राज्य सरकार के द्वारा कार्यान्वयन कार्य अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छः महीने के भीतर, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों तथा उसमें दी गई विशेषताओं से संगत स्कीम बनाई जाएगी। योजनाओं को मजबूत, सफल एवं भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए चार अहम क्षेत्राधिकार बनाए गए हैं। पहला अधिकार, जल संबंधी संकर्मों के माध्यम से जल सुरक्षा। दूसरा, कोर ग्रामीण अवसंरचना। तीसरा, आजीविका संबंधी अवसंरचना और चौथा, कोर मौसम घटनाओं के न्यूनीकरण के संकर्म को क्षेत्राधिकार दिया गया है। साथ ही बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, स्थानिक प्रौद्योगिकी सक्षम योजना, मोबाइल और डैशबोर्ड आधारित निगरानी और साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रणालियों के माध्यम से पारदर्शिता और जबाबदेही सुनिश्चित की जाएगी तथा समाजिक लेखा परीक्षा तंत्र को मजबूत किया जाएगा। मूल रूप से यह विधेयक विकसित भारत @ 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से लाया गया है।

महोदय, महात्मा गांधी जी के राम राज्य का सपना इस बिल से साकार होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन के आखिरी शब्द 'हे राम' से प्रेरित होकर महात्मा गांधी जी के सपने को साकार बनाने तथा उनको श्रद्धांजलि देने के रूप में इस विधेयक की चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं पुनः विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी), विधेयक 2025 का समर्थन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

***m16SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET):** Thank you, Sir, for allowing me to speak on the Viksit Bharat ? Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Bill, 2025.

I have been listening to various Members speaking for the last one hour. One word that everyone keeps talking about is ?change?. One thing that is constant is ?change?. What we have seen here is a change introduced because of a change in the scenario, a change in the aspirations of the people, and a change in the economy that the country has experienced over the last 15 years. In the 1960s, the call was ?Jai Jawan, Jai Kisan?; in the 1970s, it was ?Garibi Hatao?; in 1980s, it was ?Roti, Kapda, Makaan?; in the 1990s, it was Liberalization, Privatization, and Globalization; in the 2000s, it was ?Right to Work?; in the 2010s, it was ?Sabka Saath, Sabka Vikas?; and in the 2020s, it is ?Atmanirbhar Bharat?. With the change in the aspirations of the people, the change in economic status,

and the development that is taking place, this will obviously keep changing. The need for a change in the scheme also arises mainly because poverty has come down from 25 per cent in 2011-12 to 4.8 per cent in 2023-24. This necessitates a change in the scheme.

So, not only in this, if you look at the Rural Employment Programme, it is not something that is being introduced in 2005. It is there from 1969 in various forms, in various focus areas and various targets that have been established in various decades. In 1969, it was Rural Employment Programme; in 70s and 80s, it was Jawahar Rozgar Yojana and in 90s, it was Jawahar Gram Samridhi Yojana. So, there were a lot of iterations that have gone through before it became NREGA in 2005. So, again, another new iteration has been coming to place in 2025 under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Why has this iteration to come? This is because a lot of people have spoken about this in this House also. A lot of hon. Members have spoken about it. I have been hearing it for the last six years or so in this House. A lot of hon. Members have complained about the proliferations in the scheme. The intended benefit that is supposed to happen with this scheme is not happening in the constituencies. A lot of hon. Members have spoken about it. Even Shrimati Kanimozhi Karunanidhi, who has spoken just now, has headed a Committee in 2024, rural employment through MGNREGA. She was chairing that Committee. In that Committee, there was a recommendation under number 12. It states that the Committee recommends the Department of Rural Development to look into the issue with a practical approach and undertake a study for reviewing the need and justification for increasing the number of guaranteed days of work under MGNREGA from the present 100 days to 150 days because people have been experiencing this. They have also explained the need for the change, increasing the dates, the days of the work and scope of work and various other things. So, based on these recommendations, a lot of other people also commented on it. There is an hon. Member who is in Rajya Sabha. I should not be naming because it is in the other House. But this is his comment -- How many ditches will you dig? How many ponds will you build? How many forestations will you do? There has to be a limit. We will have to see for one to two years, whether 100 days of work will continue. These are the comments that have also come into existence because hon. Members are very experienced. They go into the constituency, involve with the villagers and talk to the officers where the scheme is working and where the scheme is not working. So, they made a lot of suggestions to the Government. Based on the suggestions, they made these new amendments to this. There are a lot of investigations also done by the Union Government. In 19 districts of West Bengal, they found non-existent works. The hon. Member who has spoken earlier should be looking into this. Also, they monitored 23 States in the financial year 2025-2026. It was found that there was no work that has been done, but still there are a lot of large-scale wages that have been taken out under this scheme. So, there are a lot of issues that have been raised under this scheme. But based on these recommendations and based on the suggestions by various hon. Members, the Government has taken into account. So, they have recommended to increase the number of days from 100 to 125. This is a move in the right direction.

The budget has also been increased. If you see the budget of the Scheme, in 2005 and 2006, when it started, it only started with Rs. 5,400 crore. But last year, it was increased to almost Rs. 86,000 crore. I have seen during the time of COVID, it was increased to almost Rs. 1,10,000 crore to help the people in need and to provide them with work and everything. So, this has worked well for a certain time and needs some change. So, these iterations have been coming into place. We welcome these new changes that have been made. But we also want to make a statement here with regard to Andhra Pradesh. Regarding Andhra Pradesh, we have made a lot of requests in this House also. We have made the position clear of our economic status of Andhra Pradesh in this House. Our revenue deficit stayed from 2014 itself after the unscientific bifurcation that has happened. We have come to this House and explained the situation of Andhra?s financial position on many occasions. In the last one and a half year, after the Telugu Desam Party came into power, one major thing that has been achieved is this. There were 92 schemes of the Central Government, which from 2019 to 2024 were all defunct. The Centrally Sponsored Schemes were not being utilised by the State Government from 2019 to 2024 in the previous regime. But what have we done in the last one and a half year, with the support of the Union Government, with the support of the various Ministries and with the support of the Prime Minister to restrict these 92 schemes?

The Centrally-sponsored schemes are now working well in Andhra Pradesh. But our request is, as the State is a revenue-deficient State and when we have to cough up 40 per cent from the State?s side to fund the scheme, then we request the same amount of support that has been extended by the Central Government for the last one-and-a-half years to be extended so that this scheme also can be implemented well in the State. This is the request from Andhra Pradesh side.

I am now coming to the suggestions regarding this scheme. I want to make five suggestions. The first one is that we need to strengthen the laws to prevent fraud. In the last 10 years, in Andhra Pradesh itself, there have been 1,11,932 cases of fraud under NREGA involving Rs. 82 crore which have been found. Of this, only Rs. 48 crore has been recovered. But the problem with this is that recovery is one thing, but making sure that whoever has been involved in this has to be taken to task. I have searched for a long time across the country based on a lot of data that has been provided, but nowhere do you see these people, who have been doing these frauds, being taken to task. As we are amending this law, I think that we need to amend this in such a way that such fraudulence does not happen. I am saying this because that is the main reason why we are going ahead with this, that is to make sure that whoever does such fraud would be taken to task.

The second suggestion is to increase the number of Technical Assistants. At present, one Technical Assistant is assigned to four Gram Panchayats and he has to measure 16 working sites in these four Gram Panchayats in three days. Imagine him travelling to 16 sites. It is nearly impossible for them to do it. Ultimately, what will happen is that they will try to fraudulently map the working sites and not enter the right work. So, I would request the Ministry to increase the number of Technical Assistants. I would suggest that instead of four, there can be one Technical Assistant per two Gram Panchayats.

The third suggestion is with regard to wage indexation. Right now, wage indexation is linked to the CPI of agriculture. The request is to link it to the CPI of rural, so that actual wages can be realized in due course.

The fourth suggestion is, as the Ministry has made it clear in their new Bill that, going forward, they will be investing more on creating durable assets rather than just normal works that is not to be seen. It is a welcome sign, but we have seen in the survey, that has been done that in the Financial Year 2014, 9.6 per cent of the works have been utilized by them, but by 2024, it has increased from 9.6 per cent to 73.3 per cent. Our request is to make sure that whatever fund is being used, going forward, is used for creating assets for the community rather than individual so that the asset can be used properly by the community.

The fifth suggestion is about social auditing. Although, social audits are mandated under the NREGA, yet the establishment of independent social audit units is not statutorily mandated. So, we would request you to make sure that every State is mandatorily doing social audits and making sure that these bodies are also constituted. I am saying this because most of the States have not even constituted these bodies. Hence, these audits are not completely happening.

We request the Ministry to take these five suggestions into consideration. We support the Bill, and I thank you very much.

<u>**19.00 hrs**</u>

***m17SHRI RAJABHAU PARAG PRAKASH WAJE (NASHIK):** Honourable Chairperson, I rise today to draw your attention to the ambitious the Bharat Vikas and Aajeevika Mission (Rural) Board, 2025 (VB?G RAM G Bill). The basic structure of this Bill, especially in the financing, control over the right to work and the method of implementation, has serious flaws, which compromise the rights of rural workers and weaken the foundation of cooperative federalism.

I would like to bring to the attention of the House three fundamental concerns about this bill. 'Normative Allocation' system that weakens demand-driven guarantees. Honourable Speaker, this new framework will be implemented as a centrally sponsored scheme, with expenditure being shared 60:40 between the Centre and the States. This has the serious potential to end the entitlement nature of employment and transform it into a budget-controlled obligation.

According to Section 22(4) of the Bill, the Central Government will fix a 'fixed allocation' for each financial year for each State based on certain objective criteria. But the most crucial and worrisome part of the Bill is in Sections 22(5) and 22(6), where it is clearly stated that "any expenditure incurred by the State in excess of the fixed allocation shall be look after by by the State Government only."

This means that if the demand for work in a State increases beyond the limit set by the Centre due to drought, heavy rains, natural calamities, economic slowdown or migration, the entire responsibility for the additional expenditure will be borne after by the state government. This provision defeats the very concept of employment guarantee. By shifting the financial risk to the states, many states will be forced to artificially limit the amount of work rather than meet the increased demand ? and this will directly affect rural families.

In addition, if an eligible applicant does not get work within 15 days, the responsibility of paying unemployment allowance as well as compensation for delayed wages has been shifted entirely to the State Government. This is particularly unfair, as many times the delay can be due to technical glitches in the digital system developed by the Centre.

Mandatory ban on work during peak agricultural season - Honourable Chairperson, this bill directly impacts the livelihood security of rural families. As per Section 6 and Schedule-1, every State Government is required to notify a period of maximum 60 days every year, which shall include the agricultural season of sowing and harvesting, during which no work under this Act shall be commenced. This provision takes away the right of the labourers to choose work as per their own needs. During these 60 days - if no work is available in agriculture, or if the wages are very low, then the families are prevented from earning the income guaranteed by the Act.

Honourable Chairperson, the purpose of the Employment Guarantee Act is to provide employment to people, not to forcibly provide cheap manpower for the agricultural sector. Such a forced ban on work is a direct violation of the right to guarantee.

Honourable Chairperson, despite concepts like the 125-day employment guarantee claim and the Developed India National Rural Infrastructure Stack, the financial constraints and restrictions imposed on the right to work undermine the very purpose of this bill.

Therefore, I strongly request the Central Government to make the following amendments. First, the 'Normative Allocation' system should be abolished immediately and the Central Government should bear all the additional costs incurred under the demand-driven statutory guarantee. Second, the mandatory 60-day work ban during the agricultural season should be lifted, so that rural families can benefit from employment guarantees according to their needs.

If we want to build a truly developed India, it must be one that empowers, not imposes restrictions on, the fundamental rights of vulnerable workers.

Thank you.

***m18SHRI NILESH DNYANDEV LANKE (AHMEDNAGAR):** Honourable Chairperson, I thank you and our party leader, the respected Supriya Tai Sule, for giving me the opportunity to speak on the Developed India G Ram G Bill

2025.

Hon. Chairperson, today I rise in this House to present my views on the Developed India G RAM G Bill 2025 on behalf of my Nationalist Congress Party, led by respected Shri Sharadchandra Pawar. After reading the name of this bill, one thing becomes clear: this government is more interested in playing politics with names than in doing actual work.

Hon?ble Chairperson, when this scheme was launched during the UPA Government's tenure, it was named the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. The reason for naming this employment guarantee scheme after Mahatma Gandhi was the underlying principle of "Go to the villages and develop the rural areas." But today, this government, driven solely by political motives, is trying to erase the name of the Father of the Nation from this scheme and is renaming it G Ram G. Changing names does not change the fate of the labourers. For that, honest implementation is necessary.

Hon?ble Chairperson, this Bill makes a deceptive promise of 125 days of employment. This government is talking about 125 days of employment, but what is the reality? Hon?ble Chairperson, Today, in many states, labourers don't even get 50 days of work in a year. This government, which couldn't provide 100 days of work under the old scheme for 11 years, is now giving assurances of 125 days to whom? This is merely preparation for creating an election event.

Hon. Chairperson, is this bill meant to provide employment or to mislead the people? It is said that the country is in its Amrit Kaal (golden age), but the reality is that the youth of the country are unemployed. There is no work in rural areas, inflation is rising in cities, and unorganized workers are struggling to survive. The youth are unemployed. There is no legal guarantee of employment anywhere in this bill. Then why is the government giving false promises? Until there is a legal guarantee, this bill is merely a declaration.

Hon?ble Chairperson, running a mission without funding is a mockery. This mission requires transparency and funding. How will the training centers function without funds? How will rural employment be generated, and how will women's self-employment increase? This bill is a development vehicle without an engine. Even after receiving skills training, young people are unemployed; they are being deceived. The government talks about skill development, but there are no job opportunities for them. Today, millions of young people are unemployed despite receiving training.

Hon?ble Chairperson, there is no coordination of skills with local industries, agriculture, and MSMEs. This bill places the responsibility of job creation on private companies. The government is not providing government jobs. Private companies only look at profit, but social responsibility rests with the government.

Hon?ble Chairperson, due to unorganized labour, 90% of the workforce is in the unorganized sector. But this bill lacks social security, health insurance, pension, and a guarantee of minimum wage. Ordinary Indians feel that

this is an unjust India that is unfair to them. The India of women, rural areas, and tribal communities exists only on paper. There are no jobs for women, no opportunities for rural youth, and no development in tribal areas. State governments are receiving secondary treatment. The employment problem is local, but the states do not have the authority. All these decisions are made at the center. This is an attack on the federal system. If the government is serious, it should guarantee employment for every family and provide sufficient funds. Link skill training with employment, organize unorganized workers, and provide security to the people. Give more power to the state governments. Until these demands are met, we do not accept this bill. The people want a developed India.

Thank you! Jai Shivray!

***m19SHRI BHUMARE SANDIPANRAO ASARAM (AURANGABAD):** Honourable Chairperson, Today, in this august house I rise to express my views on the Developed India - Employment and Livelihood Mission for Rural VB - G RAM G Bill 2025, introduced by the Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare and Rural Development, Shri Shivraj Singh Chouhan. As a member of my Shiv Sena party, I fully support this historic bill.

Honourable Chairperson, the development of rural India is the backbone of the dream of Developed India 2047. Through this bill, we are not only guaranteeing employment but, are also creating a strong legal framework to change the face of the rural economy. On this occasion, I would like to remind you of the Employment Guarantee Scheme. At that time, there was a scheme, but it had a limit. During the Congress period, the limit was only 100 days, but our government has increased this limit to 125 days.

In the past, local needs were often ignored in a work plan, but today, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the NDA government has focused on development by preparing a developed Gram Panchayat plan. During the Congress period, there was a delay in getting wages for the workers and the money was not received regularly. Today, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, we have deposited the money of the workers in their accounts through digital India and biometrics.

Honourable Chairperson, the legal guarantee of giving 125 days of work to the workers instead of 100 days has been given. This additional 25 days will give financial strength to the families of the workers. Also, the wages of the workers are being deposited directly into their bank accounts without any intermediary, so corruption has been completely curbed.

The benefit of other schemes of this government is not only employment for every worker in the country, but also the workers are getting their rightful house under the Pradhan Mantri AwasYojana, toilets under the Swachh Bharat Yojana, life insurance under the Ayushman Bharat Yojana, gas under the UjjwalaYojana. The laborers of the country are at the center of the NDA Government.

Honourable Chairperson, when I was the Minister of Employment Guarantee and Horticulture in the Maharashtra Government, I combined the MGNREGA scheme with horticulture and planted orchards in the fields of

farmers on a large scale. Today, this new bill is also focusing on the development of various departments. This will benefit the farmers and the labourers.

I would like to tell you about the revolutionary changes in this bill and its future benefits: that the increased 25 days will increase the efficiency of the rural family and help with poverty eradication, as well as provide labourers for the farms and maintain the pace of agricultural development. The plan of each village will be linked to PM Gati Shakti, so that modern infrastructure will be created and also in this bill, special provisions have been made for water security and special provisions to deal with the effects of climate change.

Honourable Chairperson, I would like to make some suggestions to the Central Government through you that, in view of the drought situation in my Lok Sabha constituency, Chhatrapati Sambhajinagar, more than 70% of the funds should be allocated for water conservation work, skill training should be provided for rural youth and employment should be provided to them, and women, disabled and elderly people should be given work according to their capabilities and appropriate labour rates so that their participation increases.

Honourable Chairperson, barbed wire fences and wire fences have been prohibited even when it is necessary to prevent damage to farmers' farms from wild animals. If the farmers' wells are damaged or clogged for some reason, no permission has been given to repair them. Many such works cannot be done, so I request the Central Government to help in completing such works in a legal manner.

Thank you.

***m20SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA):** Sir, VB G RAM G Bill, 2025 that is introduced to replace the MGNREGA, is a dangerous step that the economic reality and financial limitations. Therefore, I strongly oppose this change. This house should remember the history of MGNREGA. MGNREGA is one of the populist measures of Congress led UPA Government. This programme came out of the vision of UPA President Smt. Sonia Gandhi. It was first UPA government led by former PM Dr. Manmohan Singh who gave legal framework to the idea that ?work is a right?.

Chairperson Sir, not only the MGNREGA, but then were several revolutionary reforms during the period of UPA-I, and UPA-II and that should be remembered. MGNREGA, RTI Act, Forest Right Act, Rural Health Misson, Sarva Shiksha Abhiyan, Mid-Day Meal, Right to Education Act, Food Security Act etc. are the popular Acts that came into existence during the period of UPI-I and UPI-II. These are the symbols of human centric development. MGNREGA is a symbol of governance approach that reduces the poverty and made citizen?s right as a focal point.

Chairperson Sir, in the State that I represent Kerala, MGNREGA is not an ordinary government programme. MGNREGA is a financial life line of rural economy. In Kerala state, more than 40 lakh families are registered for this programme. Official statistics shows that 10 to 12 lakhs families are actively involved in this. In the financial year

2024-25 alone, more than 5.5 crore mandays were created by MGNREGA. The expenditure of these wages is 1600 to 1800 crores.

This amount is going directly to rural market, small shops, agricultural input market, service sector etc. The multiplayer effect of MGNREGA plays a crucial role in maintaining the rural economy of Kerala. Chairperson Sir, the soul of MGNREGA is clear.

The Central Government used to bear the 100% wages of the unskilled workers. The NDA led government, through this bill has reduced the 100% to 60:40 and 90:10. This financial transaction model is imposing upon states. For states like Kerala, which experience financial crisis, this will create financial burden.

As of now, due of wages in crores of rupees to state governments like Kerala are pending from the Central Government. Because of the new system, annually 600-700 crores of extra burden is given to Kerala. What is the result of this? The mandays will decrease, wages will be delayed, poor laborers? jobs will be taken away. This is the consequence of this law. Sir the claim of 125 days guarantee of labour is financially impossible false promise only. Because this is not demand driven budget oriented then the demand driven states like Kerala is being punished by this is a fact. Mr. Chairperson Sir, the system of stopping the work during the farming season will affect the Kerala?s social structure very badly. 90% of Kerala?s workers are women. Most of them are the single earning source of the family. The loss of 60 days? work will cause 15000-18000 for a family. This will increase the debt and poverty.

The Government says that wages will be given on weekly basis. But this cannot be implemented unless the government allocates the fund in a time bound manner. Even in Kerala there are dues of crores of rupees. There exists a situation where even the unemployment allowances that are to be given as per the law is not getting.

This is a naked violation of the constitutional rights of those people. MGNREGA is the Magna Carta of SC/ST people. The poverty and backwardness of the SC/ST was reduced at least to an extent only after the implementation of the scheme. I would like to say that if the SC/ST people are food, not having poverty is only because of MGNREGA. I would like to thank once again Sonia Gandhi and Dr. Manmohan Singh led government, because they made a life for them by providing food through this scheme of the Congress government.

Sir, the removal of the name of Mahatma Gandhi from this Act is not a constitutional change but a ideological attack. The NDA government is trying to finish the Gandhian principle that ?the work is a right, not a charity?, Sir, this is a first step to completely scrap the MGNREGA. Sir, I would like to bring to the notice of you and this house the problems being faced by the MGNREGA workers.

Sir, it has been years after the implementation of MGNREGA. But till now government has not taken any steps to protect the MGNREGA labourers. ESI was not implemented. To bring MGNREGA labourers under the purview of

ESI is a long pending demand raised by them. It is a genuine demand raised by them to include them in Employees State Insurance Corporation for getting treatment which is not considered by the central government.

Moreover, the demand to include the MGNREGA labourers in Provident Pension Scheme is also not yet approved by the central government. Along with that, even after working for years, central government has not introduced a system for giving pension to these labourers. There no uniform, no basic safety gadgets.

If any injury or death happens due to accident, these labourers are not given any compensation. Sometimes the wages is even below the minimum wages. So, now, the working hours is 10am to 5pm. Labourers are demanding to reschedule the working hours as 9am to 4pm which is not approved by the central government.

This august House should not accept this bill in this form. MGNREGA scheme should not be weekened, rather it should be strengthened financially and socially. So, our demands are clear. Central government should bear the wages cost of the unskilled labourers. Mandays should be provided as per demand. Moreover, timely payment and compensation as per law should be given. Labourers should be included in social security schemes like ESI and EPF.

These are the demands that I want to raise while participating in the discussion on this Bill.

***m21श्री गणेश सिंह (सतना) :** धन्यवाद सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत- जी राम जी), 2025 प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में यहां पर अपनी बात रख रहा हूँ। यह बहुत ही सराहनीय कदम है। ये विधेयक मनरेगा, जो वर्ष 2005 में बना था, उसमें संशोधन करने का विधेयक है। इस योजना का संक्षिप्त नाम पहले मनरेगा था, अब इसका संक्षिप्त नाम विकसित भारत- जी राम जी हो गया है। कांग्रेस के मित्र इसमें कड़ी आपत्ति कर रहे हैं, लेकिन जब वर्ष 2005 में यूपीए-1 ने मनरेगा का कानून बनाया था, मैं उस समय भी था। उसमें जो प्रावधान किए गए थे, उस समय के लिए हो सकता है कि वे उपयोगी रहे हों, लेकिन जैसे-जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकताएं बढ़ती चली गईं, मुझे लगता है कि पंचायती राज संस्थाओं को मनरेगा के पुराने कानून में काम करने में जो कठिनाई जा रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए ये लगातार मांग हो रही थी और उनकी डिमांड भी घटती जा रही थी। इस वित्त वर्ष 2025-26 की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि लगभग सौ जिलों को जो काम मिला है, वह मात्र 7.61 प्रतिशत परिवारों को मिला है। इस वजह से इसमें सुधार की जरूरत है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को एक विकसित भारत के साथ और पीएम गति शक्ति योजना के साथ जोड़ने का जो एक अनोखा प्रयास किया है, वह वाकई में बहुत ही प्रशंसनीय है। अभी तक मनरेगा में जो शिकायतें आई हैं, वह बहुत ही स्पष्ट हैं, मजदूरी नहीं दी जा रही है।

सभापति महोदय, आज मजदूरी कम मिल रही है। काम के मूल्यांकन के आधार पर मजदूरी तय हो रही है। पहले जॉब कार्ड पंचायत में जमा रहते थे। भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतें आती थीं। ऐसी कई पंचायतें थीं, जहां हमारे सरपंच ईमानदारी से काम करते थे, वे भी कहीं न कहीं कानूनी अड़चन में फंसकर, उनके खिलाफ तमाम जांचें शुरू हो गईं और धीरे-धीरे मजदूरों की रुचि मनरेगा के कामों से घटती चली गई। किसानों का जब खेती का समय आता था तो मजदूर नहीं मिलते थे। उससे खेती प्रभावित हो रही थी। कहीं न कहीं किसानों की अर्थव्यवस्था पर भी उसका सीधा असर हो रहा था। गांवों में जलाशयों की जो पुरानी संरचना थीं, वे अनुपयोगी होती चली गईं। पूरे देश में माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया और वह जन आंदोलन भी बना, लेकिन ग्राम पंचायतों में अक्सर देखा गया है कि वहां कचरे के ढेर लगे हुए हैं। ऐसी

स्थिति में मनरेगा के बनाए हुए पुराने कानून में बदलाव की जरूरत थी। इस संशोधन में विकसित भारत पीएम गति शक्ति के अनुरूप कार्यों का चयन किया जाएगा। ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, अभी हमारे साथी लोग बोल रहे थे कि मनरेगा का वास्तविक रूप से बदलाव का कारण क्या है तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जो धारा 4 है, उसमें चार बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं, जिनमें अब पंचायतों के अंदर काम होगा और जिससे ग्रामीण जीवन भी बेहतर होगा और हम रोजगार की गारंटी भी बेहतर तरीके से दे पाएंगे तथा नए रोजगार भी सृजित कर पाएंगे।

इस बिल में पहला कंपोनेंट जल सुरक्षा है। जल संरक्षण संरचनाएं अब पंचायतों में बनना शुरू हो जाएंगी। इससे सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी और भूजल का पुनर्भरण होगा। अभी बारिश का जो पानी है, उसे हम अभी रोक नहीं पाते हैं। अभी पानी बरसता है और नदी-नालों के माध्यम से बहकर चला जाता है। दूसरी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें जोड़ी जा रही है, वह है ? मूल ग्रामीण अवसंरचना। हमारी जो ग्रामीण सड़कें हैं, चूँकि बहुत सारी सड़कें हैं। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भी बहुत सड़कें बनी हैं। उसके अलावा भी गांवों में सड़कों की जरूरत है। उनको अब इसके माध्यम से बनाने का काम होगा। सामुदायिक भवन, जो अन्य गतिविधियों के लिए पंचायतों में आवश्यक होते हैं, वे भी बनेंगे।

स्वच्छता बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अब उसे भी इस विधेयक में शामिल किया गया है। ऊर्जा और डिजिटल सुविधाएं की बात की जाए तो जिस तरह से डिजिटल सुविधाएं अब गांव-गांव में पहुंच रही हैं, उनका किस तरीके से लोग उपयोग कर सकें, कैसे हम उनको योजनाओं के साथ जोड़ने का काम कर सकें, उसका इस विधेयक में प्रावधान किया गया है।

तीसरा, आजीविका अवसंरचना एक महत्वूपर्ण बिन्दू है। अब एक तरफ हम रोजगार की गारंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी आजीविका को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं इसलिए कृषि प्रसंस्करण के काम इस विधेयक के माध्यम से अब पंचायतों में शुरू हो जाएंगे। पशुपालन का काम शुरू हो जाएगा। आज किसान परेशान हैं। किसानों की फसल पशुओं से खराब हो रही है और वे कहते हैं कि जो सक्षम किसान हैं, वे बाड़ लगा लेते हैं, लेकिन जो गरीब और छोटे किसान हैं, वे बहुत परेशान हैं। अगर हमारा पशुपालन की तरफ ध्यान जाएगा, जैसा कि इस विधेयक में प्रावधान किया गया है तो स्वाभाविक रूप से इससे लोगों को फायदा मिलेगा।

एसएचजी के आधार पर हमारे जो ग्रुप्स हैं, वे आज गांव-गांव में बहुत बड़ी संख्या में अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाना पड़ेगा, जिससे नए रोजगार सृजित हो सकें और उनकी आमदनी बढ़ सके। यह प्रावधान भी इस विधेयक में जोड़ा गया है। भंडारण एवं विपणन की बात की जाए तो आज बड़ी संख्या में हमारी सरकार एमएसपी के माध्यम से किसानों की उपज को खरीद रही है और अभी उसका भंडारण और विपणन कॉपरेटिव के हाथों में है। अगर मनरेगा में भी इसका प्रावधान हो जाएगा तो मुझे लगता है कि इसका सीधा लाभ गांव के लोगों को मिलेगा।

चौथा बिन्दु जलवायु आपदा का है। जब कभी कोई आपदा आती है तो पुराने कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि हम लोगों की मदद कर सकें, लेकिन अब बाढ़ एवं सूखा में हम उनकी मदद कर पाएंगे। हीट वेव आ जाए, गर्मी का समय आए और उससे जिस तरह से जनहानि होती थी, उसको भी बचाने का काम हम इसमें कर पाएंगे।

प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की बात की जाए तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे पास गांवों में हैं, जिनका हम पूरी तरह से संरक्षण करने का काम कर सकते हैं। ये सभी काम पीएम गति शक्ति और जीआईएस से जुड़े हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण हैं। धारा 5 में प्रावधान किया गया है कि पहले के कानून में 100 दिनों का रोजगार देने का प्रावधान था और अब उसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। अब विपक्ष के हमारे साथी कह रहे थे कि यह खत्म किया जा रहा है। 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। यह बहुत बड़ी बात है।

इसमें एक काम जरूर किया गया है कि जो किसानों की बुआई का 60 दिन का समय है, उस 60 दिन में इस योजना के जो काम चलेंगे, उस समय पर उसको रोका जाएगा, ताकि किसानों को जो श्रमिकों की जरूरत पड़ती है, उनको आसानी से उपलब्ध हो जाए। धारा 11 में बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान किया गया है। अगर मांग के आधार पर 15 दिनों में काम नहीं मिला तो उसे बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। लगातार पूरे महीने की मजदूरी का एक चौथाई हिस्सा देना पड़ेगा। अगर इसके बाद और ज्यादा दिन तक काम न मिले तो पूरे महीने की मजदूरी का आधा हिस्सा बेरोजगारी भत्ते के रूप में देने का प्रावधान किया गया है। धारा 22 में शेयर किए गए हिस्सों का प्रतिशत पूर्वोत्तर हिमालयी राज्य में 90:10 का, जो अन्य राज्य हैं, उनमें 60:40 का और केन्द्र शासित राज्यों में 100 प्रतिशत वहन केन्द्र सरकार खुद अपने फंड से करेगी। धारा 12 में केन्द्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद का गठन किया गया है। उसमें जो प्रावधान होंगे, उसमें पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि भी होंगे, श्रमिक संगठन भी होंगे तथा एससी-एसटी-ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग एवं महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है।

माननीय सभापति : माननीय श्री सनातन पांडेय जी।

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सर कंक्लूड करने दीजिए।

श्री गणेश सिंह : सर, मैं महत्वपूर्ण मुद्दें पर बोल रहा हूं। मैं बिल पर बोल रहा हूं। जो प्रावधान हैं, उन पर बोल रहा हूं।

माननीय सभापति : आप कंक्लूड कीजिए।

श्री गणेश सिंह : वर्ष 2014 में राष्ट्रीय स्तरीय कमेटी बनायी गयी थी, उसी तरह से राज्य में भी बनेगी और इसको पूरी तरह से संभालने की जिम्मेदारी जिलों को दी गयी है। ब्लॉक स्तर तक कमेटी बनेगी, ताकि इसकी देख-रेख भी ठीक ढंग से हो सके। ग्राम पंचायत की भूमिका इसमें तय होगी, उनको जो काम करने होंगे, वे प्रस्ताव भेजेंगे और इसमें पूरी तरह से 50 प्रतिशत तक के कार्य ग्राम पंचायतें करेंगी। यह बहुत बड़ी बात है, जिससे ग्राम पंचायतों को आगे काम करने का मौका मिलेगा। इससे टिकाऊ परिसंपत्ति का निर्माण होगा, योजनाओं का आपसी समन्वय होगा और परियोजना आधारित चर्चा होगी।

***m22श्री सनातन पांडेय (बलिया) :** माननीय सभापति जी, मैं आपको और अपने नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल पर बोलने का अवसर दिया है।

महोदय, सरकार जो बिल लेकर आयी है, मैं खास तौर से उत्तर प्रदेश की चर्चा करूंगा। उत्तर प्रदेश में इस काम में 40 हजार मनरेगा कर्मी लगे हुए हैं। उन्हें मनरेगा कर्मी कहा जाता है। वे उनका अटेंडेंस लेते हैं, उनकी रोज की हाजिरी लेते हैं। उनका आज तक मानदेय तय नहीं हआ है। इनकी पूरे देश में चार लाख पचास हजार की संख्या है। इस बिल में कोई चर्चा नहीं की गयी है कि इनको मानदेय कब मिलेगा ? कितने दिन बाद मिलेगा? क्या मिलेगा? इस पर कोई चर्चा नहीं की गयी है।

दूसरी तरफ आपने इसका नाम बदला है। नाम बदलने से भारत के गरीब-मजदूरों का कल्याण नहीं होने वाला है। आप भारत के मजदूरों के प्रति, गरीबों के प्रति चिंतित होते, तो मनरेगा नाम पर ही अपनी योजनाओं को सुधार करके देश के गरीबों का भला कर सकते थे। आपने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदल कर यह साबित किया है कि आजादी के बाद जो गांधी के हत्यारे थे, जिनको हमने समझा था, जिनको हमने बचपन में सुना था, आज मैं देख रहा हूं कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग महात्मा गांधी से कितनी नफरत करते हैं।

मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि महात्मा गांधी से नफरत करने वाले लोग चाहे वे पक्ष में बैठे हों या विपक्ष में बैठे हों, इस बिल पर अगर सहमति प्रकट करते हैं, तो वे महात्मा गांधी के विरोधी हैं और ? हैं। यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है।

आप महात्मा गांधी को भूल जाइए। ? (व्यवधान) लेकिन यह देश महात्मा गांधी को भूलने वाला नहीं है।? (व्यवधान) महात्मा गांधी हमारी रगो में है।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Kindly address the Chair.

? (*Interruptions*)

श्री सनातन पांडेय : आप यह सुन लीजिए -

?गांधी न पोस्टर है न योजना का शीर्षक है,

गांधी वह सवाल है जो हर भूखे पेट से उठता है।

जब तक सवाल जिंदा है, तुम्हारी हर कोशिश के बावजूद गांधी जिंदा है।?

माननीय सभापति : आप कनक्लूड कीजिए।

श्री सनातन पांडेय : महोदय, मेरा चार मिनट का समय है। आप कितने संवेदनशील हैं, यह पूरा देश देख रहा है। उत्तर प्रदेश के किस कोने में 252 रुपये में मजदूर मिलता है। वर्ष 2006 में जब मनरेगा लागू हुआ था, उस समय ग्रामीण मजदूरों को 50-60 रुपये मिलते थे और जब मनरेगा चालू हुआ तो सौ रुपये प्रतिदिन देने का काम किया गया। मजदूरी में दोगुना वृद्धि हुई। लोगों को आजीविका मिली, लोग उससे आगे बढ़े और रोजगार से जुड़ने का काम किया। आज गांव में मजदूर 500 रुपये में मिलता है और उत्तर प्रदेश में मजदूरी 252 रुपये है। 252 रुपये से 125 दिन की मजदूरी से 31500 रुपये होती है।

माननीय सभापति : श्रीमती वीणा देवी।

श्री सनातन पांडेय : प्रति महीने 2625 रुपये होती है? (व्यवधान)

***m23श्रीमती वीणा देवी (वैशाली) :** आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूं कि आपने मुझे आज ग्रामीण भारत की तकदीर बदलने वाले एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी विधेयक पर बोलने का अवसर दिया।

मैं अपनी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की ओर से 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' विधेयक, 2025 का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं।

सबसे पहले, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूं। आज उन्होंने महात्मा गांधी जी के 'ग्राम स्वराज' और 'राम राज्य' के सपने को सचमुच साकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम उठाया है।

सभापति महोदय, हमें यह समझना होगा कि यह वर्ष 2005 का भारत नहीं है। आज वर्ष 2025 का भारत है। जब 20 साल पहले नरेगा (मनरेगा) लाया गया था, तब देश के हालात अलग   थे। उस समय गांवों में न पक्की सड़कें थी, न बिजली थी, न पानी था और न ही इंटरनेट की कोई सुविधा थी। उस समय गरीबी का स्तर बहुत ऊंचा था। लेकिन आज, वर्ष 2025 में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ग्रामीण भारत की

तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। गरीबी 25.7% से घटकर अब 4.86% रह गई है। यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। आज गांवों में औसतन 22.6 घंटे बिजली रहती है। अंधेरे में डूबे रहने वाले गांव अब जगमगा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2014 से अब तक लगभग 4 लाख किलोमीटर सड़कें बनी हैं, जिससे गांव और शहर की दूरी कम हुई है। जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंच रहा है।

माननीय सभापति : मैडम, आप कनक्लूड कीजिए।

श्रीमती वीणा देवी : महोदय, मैं इस विधेयक की उन खूबियों पर विस्तार से बात करना चाहती हूं जो हमारे गांव, गरीब, मजदूर और किसान भाई-बहनों की जिंदगी में खुशहाली लाएंगे। यह बिल सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि सम्मान और आजीविका की गारंटी है।

महोदय, पुराने कानून में साल में केवल 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी, लेकिन हमारी सरकार ने गरीब मजदूर की पीड़ा को समझा है। इस नए विधेयक में रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गरीब मजदूर की जेब में अब पहले से 25 परसेंट ज्यादा पैसा आएगा। उसकी कमाई बढ़ेगी। यह है असली 'सबका साथ, सबका विकास'।

महोदय, पुराने कानून में काम बिखरे हुए होते थे, कोई ठोस योजना नहीं थी। लेकिन नया बिल चार प्रमुख क्षेत्रों पर काम करेगा। अमृत सरोवर जैसे तालाब बनाए जाएंगे, जिससे भूजल स्तर सुधरेगा और किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। पक्की सड़कें और संपर्क मार्ग बनेंगे। गोदाम और बाजार जैसी सुविधाएं बनेंगी, ताकि किसान अपनी फसल रख सकें और बेच सकें। बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए काम होंगे। मजदूरों की हाजिरी डिजिटल होगी, जिसे कोई बदल नहीं सकता। पैसा सीधे मजदूर के खाते में जाएगा। बिचौलिए पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। काम की जानकारी भी जियो टैगिंग से होगी, ताकि यह पता चले कि काम सच में हुआ है या नहीं। ? (व्यवधान)

***m24श्री अभय कुमार सिन्हा (औरंगाबाद) :** धन्यवाद सभापति महोदय। मैं औरंगाबाद, बिहार से सांसद हूं। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से विकसित भारत- रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) बिल, 2025 का मैं विरोध करता हूं।

महोदय, सरकार इस विधेयक को विकसित भारत के नाम पर पेश कर रही है। लेकिन, सच्चाई यह है कि यह विधेयक ग्रामीण भारत की रोजगार सुरक्षा पर सीधा हमला है। यह विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम की आत्मा को नष्ट करने का प्रयास कर रही है। सरकार ने रोजगार की गारंटी को कमजोर किया है और उसे भगवान राम के नाम से ढकने की कोशिश की जा रही है। यह नीति परवर्तिन नहीं है, बल्कि केवल नामाकरण की राजनीति हो रही है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि यूपीए के मनरेगा कानून में 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी। काम मांगों, काम पाओ, यदि 15 दिनों में काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता देना सरकार की कानूनी जिम्मेवारी थी। लेकिन, इस विधेयक में इस कानूनी अधिकार को खत्म करके रोजगार को केंद्र सरकार की नार्मेटिव अनुमति और बजटीय आवंटन पर निर्भर बना दिया गया है। अब केंद्र सरकार मनमाने ढंग से अधिसूचित क्षेत्र तय करेगी, जो इस दायरे से बाहर, वह काम से बाहर, सुरक्षा से बाहर और सम्मान से बाहर होगा।

सभापति महोदय, इस विधेयक में ग्राम सभाओं की ताकत छीनकर ग्रामीण रोजगार का निर्णय अब गांव नहीं, बल्कि दिल्ली तय करेगी। यह संघीय ढांचे और पंचायती राज व्यवस्था दोनों के खिलाफ है।

सभापति महोदय, यह सरकार महात्मा गांधी जी के पंचायत स्वराज का सपना उनका नाम हटाकर पूरा करना चाहती है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपकी एनडीए गठबंधन की सरकार 2014 में आई थी। आप वर्ष 2014 में क्या बोलकर आए थे? आप वर्ष 2014 से वर्ष 2025 के अनुपात में महंगाई को देख लीजिए। अगर आप उस अनुपात में महंगाई कर रहे हैं तो कम से कम गरीब मजदूर का मानदेय भी उस

अनुपात में बढ़ा देते। आज उनका मानदेय 252 रुपये है। इस मानदेय को आप कम से कम 400 रुपये कर देते। इस विधेयक में आपने 365 दिन में से केवल 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी है। क्या मजदूर को चार महीने ही कमाकर साल भर पेट पालने का हक है? मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यदि आप सचमुच में स्वराज चाहते हैं तो नाम परिवर्तन करके नहीं बल्कि बापू का जो पंचायती स्वराज का सपना था, उस सपने को उन्हीं के नाम से पूरा करें। आप जो 125 दिन के रोजगार की गारंटी दे रहे हैं, इसे आप कम से कम 12 महीने में से छ: महीने की गारंटी दीजिए। आप 180 दिनों की गारंटी दीजिए।

मैं एक और आग्रह माननीय मंत्री महोदय जी से करना चाहता हूं। आज हमारे बिहार राज्य पर लगभग तीन लाख करोड़ रुपये के आस-पास कर्ज है। यह योजना पहले पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित योजना थी, जिसे आपने 60:40 के रेशियो में बांट दिया है। जो गरीब राज्य हैं, जो पिछड़े राज्य हैं, वे इस योजना को कैसे पूरा कर पाएंगे? इसलिए अगर आप वास्तव में यह बिल मजदूरों के हक में लाए हैं, तो इस 60:40 के मापदंड में बदलाव करते हुए पूरी तरह से जैसे पहले यूपीए सरकार में योजना का मापदंड 90:10 का था, आप उसे उस रूप में लागू करने का काम करें। मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं। अगर यह चीज लागू नहीं होती है, तो इस बिल को आप समिति में भेजकर पास कराएं।

धन्यवाद।

***m25SHRIMATI JUNE MALIAH (MEDINIPUR):** Sir, it was Gurudev Rabindranath Tagore who first used the term Mahatma to pay tribute to the ?Father of our Nation?, Mohandas Karamchand Gandhi. What this Government is doing with regard to the title of this Bill is insulting and humiliating two of India's greatest luminaries, Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore. You have insulted Gandhi ji by erasing his name from the title of the Bill. But I am not surprised at all because you are the same people ... into the sacred body of our ?Father of the Nation?.

You have made a habit of insulting great Indians. You insulted Kobi Guru by saying he was born in Shantiniketan. You insulted Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar by destroying his statue. You insulted Raja Ram Mohan Roy just recently. You insulted Sahitya Samrat Bankim Chandra Chattopadhyay by calling him ?Bankim Da?. Yet you come to West Bengal seeking votes, like a bird longing for an open sky. To whom do you entrust this hope? Only Lord Rama would know.

Not only the greatest luminaries of our country, you have also insulted the scheme itself. In 2015, someone said on the floor of Lok Sabha about MGNREGS, and I quote ?गड्ढे खोदने की स्कीम?. I would like to remind the Treasury Benches. I am sure they prefer not to remember it, but let me remind who it was. It was none other than our hon. Prime Minister of India, Shri Narendra Damodardas Modi. He was the one who said, ?गड्ढे खोदने की स्कीम?. You hate the poor. You hate the marginalised. You hate the weak. This is the true brand of your politics and you hate the people of West Bengal. When you could not defeat us politically in the last six elections, you deprived us of the funds which were genuinely owed to our State. Basically, you are anti-federal in the truest sense.

Prior to the suspension of fund release in 2022, West Bengal was among the top-performing States under MGNREGA, with approximately 1.37 crore rural households receiving employment. Since March, 2022, you have not released funds to West Bengal. Sir, 59 lakh registered MGNREGA workers in West Bengal have been deprived of wage payments for over three years, directly impacting rural livelihoods and household income security.

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude.

SHRIMATI JUNE MALIAH: Sir, I have seven minutes. You owe us Rs. 52,000 crore, just on the MNREGA account. If you do not want to listen to us, at least, listen to the highest courts of the land. You have deprived people of their rightful wages. They have worked honestly; you have not paid them. It is inhumane. You owe West Bengal a total of Rs. 2 lakh crore. First, you clear MGNREGA dues, then talk about Bills with new names and clauses.

I must point out the funding pattern of this Bill. Earlier, the funding pattern was 90:10; 90 per cent by the Union Government and 10 per cent by the States. But, now, you have changed it where States will need to pay 40 per cent of the funds. It does not matter for West Bengal. You did not pay the labourers in our State their rightful wages under the 100 days? work guarantee scheme. Our Honourable Chief Minister, Smt. Mamata Banerjee, has paid the entire amount from the State treasury.

You have given a mandatory 60-day off-period. You are imposing 60 days of forced unemployment on them. You have made a National Level Steering Committee to determine how much employment will be given in which State. However, you have not included any representation from the States.

Sir, I will just conclude. When three out of 10 workers are not eligible for the Aadhaar payment system, why are you forcing a payment system that deprives workers? Most importantly, you could have increased the wages for the workers, but you choose not to. This reveals your true intentions. Hence, you must send this Bill to a Parliamentary Committee, as you have a terrible track record of passing Bills without scrutiny. So, we insist that the Bill be sent to a Parliamentary Committee. Earlier, eight out of 10 Bills would go for scrutiny; now, sadly, only two out of 10 Bills are scrutinized. Please do not insult the Parliament like this. I am opposing this Bill on the floor of the House. My leader, Shrimati Mamata Banerjee, and Shri Abhishek Banerjee will oppose you on the streets of Delhi and Bengal time and again. ? (*Interruptions*)

Sir, please let me conclude. I come from a Party whose Chairperson went on a 26-day hunger strike against forceful land acquisition, fighting for the rights of the farmers. Come to Bengal in 2026. The people of Bengal will deliver an appropriate answer to you. Joy Bangla!

***m26श्री दिलीप शइकीया (दारंग-उदालगुड़ी) :** महोदय, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण), वी बी - जी राम जी (विकसित भारत - जी राम जी) के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, यह बहुत ही महत्वूपर्ण विधेयक है। विकसित भारत की नींव ग्रामीण भारत है। विकसित ग्राम के बिना, विकसित भारत का सपना अधूरा है। इस विधेयक में विकसित ग्राम के विषय के ऊपर जोर दिया गया है। आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी हमेशा ही ग्राम, गरीब और किसान के प्रति संवेदनशील रहे हैं। आदरणीय पंचायत ग्राम उन्नयन विभाग के मंत्री, जो हम सबके नेता भी हैं, श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने काफी सालों तक मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के नाते अच्छे काम किए। इसके कारण आज वे पंचायत ग्राम उन्नयन विभाग के मंत्री के तौर

पर पूरे भारत की दिशा और दशा में परिवर्तन करने के लिए नेतृत्व दे रहे हैं। मैं प्रधान मंत्री जी और शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

महोदय, इस बिल का प्रधान लक्ष्य सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स हैं। व्यवस्थागत आधारभूत संरचना परिवर्तन, संस्कारमुखी परिवर्तन इस विधेयक का मुख्य लक्ष्य है। इस देश में 7 लाख से ज्यादा ग्राम हैं। ग्रामों में जो मजदूर हैं, उनके लिए पहले 100 दिनों के रोजगार का मापदंड था। अब इसको बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। इससे अपोजीशन पार्टी के लोग नाराज हैं कि आप क्यों गांव के लोगों को 100 दिन के बदले 125 दिन रोजगार दे रहे हैं? इनको नाम से कोई मतलब नहीं है।

पूज्य बापू ने ग्राम स्वराज के बारे में बताया। पूज्य बापू का जो सपना है, उसे हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी साकार कर रहे हैं। ये लोग गांव को भूल गए थे, ग्रामीण विकास को भूल गए थे। गांव के जो गरीब किसान लोग हैं, गरीब मजदूर लोग हैं, उनके बारे में ये भूल गए थे। इस विधेयक में बहुत बड़ा बदलाव लाने का प्रावधान रखा गया है।

मनरेगा में एकीकृत योजना प्रणाली का अभाव था। इस अभाव को यह विधेयक पूरा कर रहा है। मंत्रालय, विभाग योजनाओं पर अलग-अलग कार्य करते थे, जिसके परिणामस्वरूप अलग-अलग योजनाओं पर आधारित प्रावधान बनते थे। अब नए ढांचे के अंतर्गत एक स्थानिक स्पेशल प्रौद्योगिकी पीएम गति शक्ति के साथ एकीकृत करके तैयार की गई है।

<u>20.00 hrs</u>

हमारा सपना केवल विकसित ग्राम नहीं है, हमारा संकल्प इसे साकार करना है और माननीय नरेन्द्र मोदी जी इसे आगे बढ़ा रहे हैं।

महोदय, मैं इस सदन में माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस विधेयक में परिवर्तन किया गया है, 60:40 रेश्यो है जबकि नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 90:10 का रेश्यो ही रखा गया है। नार्थ-ईस्ट की भावनाओं को कोई समझ सके, संवेदना के साथ कोई सोच सके, अभी तक ऐसे कोई प्रधान मंत्री नहीं हुए हैं, लेकिन माननीय नरेन्द्र मोदी जी ही ऐसे प्रधान मंत्री हैं जिन्होंने इसके बारे में सोचा है। मैं माननीय अटल जी का भी नाम लेना चाहता हूं। माननीय अटल जी के कार्यकाल में भारत के टोटल बजट आउटले का दस प्रतिशत नार्थ-ईस्ट को देने का बहुत बड़ा फैसला हुआ था।

सभापति जी, मैं फिर से एक बार नॉर्थ-ईस्ट के प्रति माननीय प्रधान मंत्री जी का जो अपनापन है और मैंटरशिप लेकर णयाऊ नॉर्थ-ईस्ट को, अष्टलक्ष्मी स्टेट्स को विशेष स्थान दिया है, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। इसके अलावा बाकी कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर है, इनके लिए भी जो प्रावधान किए गए हैं, इसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी और यशस्वी प्रधान मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं।

महोदय, विकसित भारत ग्रामीण विकास के बिना संभव नहीं है, इसलिए मैं इस विधेयक का पूरे नॉर्थ-ईस्ट की ओर से हृदय से समर्थन करता हूं। इसके साथ ही मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इस बिल को जल्द से जल्द पास करें।

***m27SHRI Y. S. AVINASH REDDY (KADAPA):** Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Viksit Bharat ? Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Bill.

MGNREGA is a key livelihood security scheme which guarantees employment to the rural poor. The proposed Bill raises serious concerns. This Bill will lead to insecurity and confusion among crores of rural poor people. Till now, employment has been a right under MGNREGA. If the proposed Bill is passed, there is every possibility that the rural poor will lose this right because of the uncertainties in this Bill. Under MGNREGA, the Central Government

supports 90 per cent, and the State has to bear 10 per cent, whereas if the new Bill is passed, the Central Share will be only 60 per cent and the State?s share will increase from 10 per cent to 40 per cent. In addition to this, the Government of India will reimburse their share of money to the State only after the State deposits its 40 per cent of wages or material component bills.

Sir, knowing very well the financial situation of the States, any common man can understand that the proposed Bill will make the MGNREGA scheme defunct. What was once guaranteed employment will now become unguaranteed, uncertain employment due to fiscal stress at the State level. One good aspect about this Bill is the increase of guaranteed workdays from 100 to 125 days. However, when it comes to reality, the Government of India will pay only 60 per cent share, but the States, due to fiscal stress, are unlikely to pay their share of 40 per cent. It is only because of this that 125 guaranteed workdays are only for namesake, and practically unimplementable. For example, in my State, the average of the last three years' spending under the MGNREGA scheme is about Rs.8,000 crore. That means, the State has to bear its 40 per cent share, which comes to Rs.3200 crore *per annum*. Is it practically possible for a State Government to bear that much of an amount?

Sir, due to the above-mentioned reasons, I request the Government to refer this Bill to a Joint Parliamentary Committee or a Select Committee so that a wider consultation with all the stakeholders, including the State Governments and local bodies, can be done, and necessary changes are made to the proposed Bill to protect and strengthen the right of the rural poor to the guaranteed employment.

With these words, I conclude. Thank you.

<u>20.05 hrs</u> (Shri N. K. Premachandran *in the Chair*)

***m28SHRI TAMILSELVAN THANGA (THENI):** Thank you Chairperson, Sir, My question to the BJP Government is that what is the need for changing the name of the Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme as Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Aajeevika Mission (Gramin) Bill, 2025? There is no use of changing the name of this Bill. You say that the number of man days will be increased from 100 to 125 days. This is the main point you highlight in this Bill. Earlier the Union Government made 90 per cent contribution and the State Government provided 10 per cent contribution to this Scheme. But now you have changed this to 60:40 per cent between the Centre and the State. You also say that you cannot provide work for 60 days. Our DMK Parliamentary Party Leader Hon Madam Kanimozhi explained that in a candid way. Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme is a Scheme for providing guarantee for 100 days of employment. 100 days of work. But the BJP Government is working with the intention to completely block this Scheme. This was a Scheme brought by the Congress Government during the year 2006. But BJP during its 11 years of Governance, has been trying to rename this Scheme and try to make it a standstill. Whatever be the programme, you say that you will just rename the

Scheme and give in a new form. If you have any interest in this Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme, you should have regularly released funds every year. You did not release. You failed to provide funds. The reason behind this failure is to remove this Scheme from use. For example, during 2021-22, you gave Rs 98, 468 Crore. During the period 2022-23, this amount was reduced to 73,000 Crore. Again during the year 2023-24 the allocation got reduced to Rs 60,000 Crore. You see the difference by yourself. There is no balanced allocation every year. I want to say that BJP in the name of a conspiracy wanted to block this Scheme and as a result it started reducing the allocation of funds to this Scheme, year after year. 100 days of employment. We all have come from rural areas. We are now discussing here in an air-conditioned Chamber of Parliament. Keeping in view the hardships faced by the poor labourers due to non-availability of work, Congress Government brought this Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme aimed at providing 100 days of assured employment to such people. We gave employment for 100 days for sure. But with an aim to block this Scheme, you have renamed this Scheme. You have changed names of several other Schemes as well. This MGNREGA Scheme gave livelihood to several Crores of people of this country during Corona period. Throughout India, this Scheme provided livelihood to at least 11 Crore people during that period. We should not forget this. You brought demonetisation scheme and another scheme for bringing back black money stashed in foreign banks. You termed that 1000 Rupee notes will no longer be valid. We exchanged those notes through Banks. Whether this Union Government have the details of black money brought to the fore? The answer is no. They assured that all the black money stashed in Swiss Banks would be brought back to our country and Rs. 15 lakh each would be deposited by the Government in each of the Indian citizen?s bank accounts. This was stated by BJP in their election manifesto. Eleven years have passed. No concrete action has been taken by this Government. You also assured to provide 2 Crore jobs every year. You gave assurance to provide Rs 15 lakh money in the Bank account of Indian Citizens after recovering black money from Swiss Banks. Nothing has happened so far. There is no result. I can list out the betrayals made by Modi Government to Tamil Nadu. They have not given the GST dues to Tamil Nadu. Dues as regard education funds are not released by them to Tamil Nadu. You have not released the Disaster relief fund. You have not given the fund of Rs. 4000 Crore under MGNREGA to Tamil Nadu. Hon Chief Minister of Tamil Nadu *Thalapathi* Shri M.K. Stalin gave assurance during the Lok Sabha Elections. Sir Just give me a minute. He assured that the number of man days of work provided under MGNREGA would be increased from 100 man days to 150 man days, if INDI Alliance came to power. *Thalapathi* Shri M.K. Stalin also assured that if INDI Alliance came to power at the Centre, the daily wages would be increased to Rs 400 per day under MGNREGA. But INDI Alliance did not come to power. After BJP came to power, there are several issues. During Congress Rule the price of 8 gms of Gold stood at Rs. 20,000 but currently it stands at more than Rs 1 lakh during the BJP rule. Prices of Diesel and Petrol have not come down. There is a steady increase of prices of Petrol and Diesel. This is a Government with biased nature which wants to create a deadlock by renaming this Scheme brought by the previous Congress Government. I therefore strongly oppose this Bill. Thank you.

***m29श्री अमरा राम (सीकर) :** माननीय सभापति महोदय, मनरेगा को रिप्लेस करने के लिए सरकार ?विकसित भारत ? जी राम जी बिल, 2025? लेकर आई है, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की ओर से उसके खिलाफ बोलने के लिए इस सदन में खड़ा हुआ हूं।

जब खेती में बुवाई से लेकर कटाई तक मशीनीकरण हुआ और मजदूरी कम होने लगी, तो यूपीए सरकार के वक्त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) किसान और मजूदर के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ी थी। यूपीए फर्स्ट में इंटरवेंशन के कारण देश की आजादी के इतिहास में पहली बार ग्रामीण मजदूर को रोजगार की गारंटी के लिए कानून लाना पड़ा था, जिसमें 100 दिन की मजदूरी देने का काम किया गया था।

भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। निश्चित रूप से वह उससे दूर भागने का काम कर रही है। इसमें केन्द्र सरकार पिछले 20 सालों से 100 प्रतिशत मजदूरी वहन कर रही थी, आज उसे 60-40 के रेशियो में बांटने का काम हो रहा है। अभी कहा गया कि 125 दिन की मजदूरी दी जाएगी। वर्ष 2024-25 के वित्तीय वर्ष में मात्र पांच प्रतिशत लोगों को 100 दिन का रोजगार मिला है।

मैं समझता हूं कि अगर सरकार गांव के गरीब से इतना ही मोह रखती है, तो केवल केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) की सरकार है, जिसने मनरेगा मजदूरों के लिए कल्याण बोर्ड बनाया है। डेढ़ दर्जन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और उनके मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं उन मजदूरों के लिए कल्याण बोर्ड बनाया जा रहा है? सरकार निश्चित रूप से उससे दूर भागने का काम कर रही है। वह 125 दिन का ढकोसला कर रही है। अभी 10 साल से उनकी केन्द्र में सरकार है, उन्होंने कोई काम नहीं दिया है।

सभापति महोदय, केन्द्र सरकार का जो बजट था, जब आधी दर थी, तब 1,20,000 करोड़ रुपये का बजट था, लेकिन जब दर दोगुनी हो गई, तब 68,000 करोड़ रुपये का बजट है। भारतीय जनता पार्टी का यह नजरिया है। गरीब के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। आज न केवल कटौती की गई है, बल्कि पूरे साल भर जब भी उसको जरूरत होगी, वह 100 दिन काम कर सकता है। इस कानून में लिखा है कि वह 60 दिन कोई भी काम नहीं मांग सकेगा। उनके साथ इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है?

आप उस नरेगा के कानून को और समृद्ध करते, उसमें और मजदूरी बढ़ाने का काम करते तथा उनके कल्याण के लिए देश में विभिन्न बोर्ड्स बनाते, तब बात समझ में आती। उनको जो कुछ मिल रहा था, उसको छीनने का काम किया जा रहा है। जो 100 प्रतिशत था,

उसको आज 60 और 40 प्रतिशत में बांट दिया गया है। राज्य सरकारें 40 प्रतिशत वहन करेंगी।

मैं समझता हूं कि आज सरकारों की जो हालत है, मैं कह सकता हूं कि बाकी योजनाओं में 50-50 प्रतिशत रेशियो है। राजस्थान पेय जल जैसी समस्या से सबसे ज्यादा परेशान है। आप कह रहे हैं कि पानी की समस्या का भी समाधान हो जाएगा, पक्की सड़कें भी बन जाएंगी और स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। आप पिछले 11 सालों से क्या कर रहे थे? मनरेगा का कानून तो था, कहीं कोई मनाही नहीं थी। जब जगह सफाई हो गई होगी, सब जगह कानून बन गया होगा, लेकिन सरकार केवल और केवल लोगों के साथ विश्वास घात करने का काम कर रही है।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि शेयरिंग करने का काम किया गया है। इस माध्यम से जो प्रोग्राम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी जी के नाम से जो रोजगार की गारंटी की योजना थी, उसको हटाने का काम कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि आज भी वह महात्मा गांधी जी की बजाय गोडसे की तपस्या करने का काम कर रही है। ? (व्यवधान) इसलिए गांव के गरीब को जो कानून मिला था, जो हक मिला था, ये उसको छीनने का काम कर रहे हैं। मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। इस कानून को वापस लेना चाहिए या सेलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिए।

***m30SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT):** Thank you, Chairperson, Sir. I rise to speak on, and oppose, this Viksit Bharat ? Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) VB?G RAM G BILL, 2025. Thank you for giving me this opportunity. Sir, when the Bill was circulated, there were lot of calls which came to me. People called me and they were a bit surprise like how they brought the Bill.

सर, मैं इसे डेढ़ साल से बहुत करीब से देखता आ रहा हूं। इन लोगों की मंशा यही थी कि मनरेगा को कैसे खत्म कर दें। प्रधान मंत्री जी ने बोला था कि मनरेगा ऐसी स्कीम है, जिसे कांग्रेस ने गलत तरीके से बनाया है और वे यह दिखाते हैं कि लोगों को गढ्ढा खोजने के लिए मजबूर किया गया। जहां भी हम जाते हैं, हम देखते हैं कि एक-एक करके हर जगह मनरेगा बंद कर दी गई। बंगाल में भी मनरेगा बंद कर दी गई। हरियाणा के कुछ मनरेगा वर्कर्स आए थे। उनके जो लिस्टेड आइटम्स थे, उन्हें डीलिस्ट कर दिया गया। इस टाइप की इनकी कोशिशें रही हैं। 86 करोड़ रुपए का जो पिछला बजट था, उसमें 27 परसेंट तो पिछली पेंडिंग वेजेज़ एंड मेटेरियल लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए था। Nearly 27 per cent went into fixing that and making the payments. अब सवाल यह आता है कि आज की डेट में यह बिल ये क्यों लेकर आए हैं? यह सरकार बिना किसी वजह के कोई बिल नहीं लाती है। क्या सुप्रीम कोर्ट का वह ऑर्डर, जो बंगाल के सिलसिले में आया था कि मनरेगा को कोल्ड स्टोरेज में नहीं रख सकते हैं, क्या आप इस चक्कर में यह बिल लेकर आए हैं?

Clause 29(2) - suspension of funds-allows the unilateral stoppage of funds based on a Central enquiry. So, I think, this Bill is for West Bengal elections and they want to subvert the Supreme Court?s decision. जब हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की सीसीटीवी के लिए राय आ गई, तो कानून चेंज कर दिया गया और सीसीटीवी फुटेज देने की जरूरत नहीं पड़ी।

Under MGNREGA, there is a very very clear and enforceable right to work. It has been systematically weakened by this Government. The budgets were repeatedly cut. The funds are released late, leading to chronic wage delays. अनइम्प्लॉयमेंट अलाउन्स तो देते ही नहीं थे, demands were also suppressed through procedural hurdles, job card deletions, delayed approvals and arbitrary technical requirements. मनरेगा में आधार-बेस्ड पेमेंट सिस्टम और ई-केवाईसी लेकर आए। इन्होंने बहुत अच्छा नाम चुना है ? ?जी राम जी?। मनरेगा के जितने वर्कर्स थे, वे राम भरोसे ही थे। एनएमएमएस एप्लीकेशन चलेगी या नहीं, अगर चलेगी तो जॉब कार्ड है या डिलीट हो गया, नया जॉब कार्ड बनेगा या नहीं बनेगा। अगर वह बन गया, तो काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। काम मिला, तो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए, ये राम भरोसे ही थे।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो ?जी राम जी? नाम है, वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ही नाम है या आप किसी नाथूराम का नाम लेकर आए हैं? यह आप डायरेक्टली तो ला नहीं सकते हैं। मंत्री जी जवाब दें, यह स्पष्टीकरण दें कि यह नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ही नाम है या आप नाथूराम का नाम लेकर आए हैं?

MGNREGA is one of the biggest rural employment cushions. It provides 309.1 crore persondays. जब बिजनेस होता है, तो गांव में shock absorber होता है। It is like a shock absorber. यह हम कोरोना कॉल में देख चुके हैं। महिलाएं, जो वर्ष 2023-24 में 58.9 परसेंट थीं, वे पहले 54 परसेंट थीं। महिलाओं के लिए यह लास्ट रिज़ॉर्ट नहीं है। It is the primary source of their income, their dignity and local work. आप लोगों के जो कुछ प्रोविजन्स हैं, उनमें से पहला है - Gandhian principles of dignity of labour, decentralisation and survival with self-respect. Erasing the name of Mahatma Gandhi from the employment guarantee scheme is symbol of a deeper effort to erase his ideas from public public policy. गांधी जी ने आखिर में ?हे राम? ही बोला था। आप उनका नाम हटाकर ?जी राम जी? नाम लेकर आए हैं। मैं इसके क्लॉज़ 3 और क्लॉज़ 5 के बारे में बोलना चाहता हूं।

Sir, Clauses 3 and 5 promise employment guarantees but this so-called guarantee is contingent on notifications, plans and allocations determined by the Executive. Under Clause 4, rural works must first be identified and approved. Under Clause 5, employment is guaranteed only within those identified works. Under Clause 6, even identified works may be suspended by law. Therefore, if no work is identified or notified under Clause 4, no enforceable right arises under Clause 5, regardless of workers? demand.

The second point is regarding Clauses 4(5) and 4(6) which talk of normative allocation and budget ceiling. ? (*Interruptions*).

Sir, I just started. I will wrap in two-three minutes. I will finish in two-three minutes.

HON. CHAIRPERSON: Each Member is given five-minute time.

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA: Sir, in two minutes, I will wrap up.

Sir, this normative allocation and budget ceiling is very very dangerous.

यह एक्सपेरिमेंट ये लोग ट्राई कर चुके हैं। The Ministry of Expenditure said that they will have a 60 per cent cap on the MGNREGA demand. MGNREGA is right to work, right to job. If anyone demands job, he will get job. लेकिन, यह जो नॉर्मेटिव एलोकेशन है, बजट सीलिंग है, उसे पहले पश्चिम बंगाल में लागू करेंगे, फिर तेलंगाना में लागू करेंगे और फिर कर्नाटक में करेंगे। ऐसा चलता रहेगा।

Its mandate says a statutory suspension of all works for 60 days. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Saptagiri ji, please try to conclude now.

? (*Interruptions*)

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA: Sir, I will conclude. I will just mention one last point and then I will come to the conclusion.

This directly contradicts the principle of work on demand. It legally prohibits workers from seeking public employment during peak distress periods.

Sir, since you are not giving me time, I will just come to the conclusion.

HON. CHAIRPERSON: It is not me. It is from your Party.

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA: MGNREGA is not just another scheme, it is the primary fallback for the poorest households when agriculture fails and markets disappear. ? (*Interruptions*)

Sir, I am just concluding with two sentences. Instead of strengthening the law, ensuring timely payments and restoring trust, the Government has systematically weakened MGNREGA through under-funding, delays and

exclusions. Having hallowed it out in practice, it now seeks to abolish it in the law.

I want to end with two lines.

?एक ही दिन में सब नहीं हुआ खत्म,

हम कई रोज से बिछड़ रहे थे ।?

Sir, this law, if passed, would be killing MGNREGA in its entirety. Thank you so much.

***m31श्री पी. पी. चौधरी (पाली) :** सभापति महोदय, धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं विकसित भारत - जी राम जी विधेयक, 2025 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक संरचनात्क पुनर्गठन और विकसित भारत, 2047 के अनुरूप है। जब मोदी सरकार ने सत्ता संभाली थी, तो उसे केवल यह कल्याणकारी योजना नहीं मिली थी, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था विरासत में मिली थी, जो रिसाव, भुगतान में देरी और विकृतियों से ग्रस्त थी। मोदी जी के सामने चुनौती रोजगार गारंटी की अवधारणा को त्यागने की नहीं थी, बल्कि उसे सुधारने, आधुनिक बनाने और भारत की बदली हुई ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुरूप ढालने की थी।

सभापति महोदय, वर्ष 2013 में जब सीएजी की रिपोर्ट आई थी, तो उसमें साफ लिखा हुआ था, मैं बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि जॉब कार्ड जारी करने में हमेशा देरी होती थी, एक ही व्यक्ति को कई जॉब कार्ड्स मिलते थे, मजदूरी का भुगतान गरीबों को नहीं होना, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) में आंकड़ों की विसंगतियां और धन का दुरुपयोग, ये सारी चीजें हुई थीं। यही नहीं, ये जब धन की बात करते हैं? इनके द्वारा धन के उपयोग के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि एक तरफ मजदूरों को भुगतान नहीं करना और न ही उसका उपयोग हुआ। यूपीए सरकार की अक्षमता का प्रमाण धन के अक्षम उपयोग में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

वर्ष 2006-07 में अप्रयुक्त शेष राशि 3,250 करोड़ रुपए थी, जो उपलब्ध कुल धन का 26.92 परसेंट थी। इस राशि का गरीबों को भुगतान होना था, लेकिन इन्होंने उस समय भुगतान नहीं किया। यह अपर्युक्त राशि वर्ष 2012-13 में बढ़कर 13,715 करोड़ रुपए हो गई, जो कुल उपलब्ध धन का 32.2 परसेंट थी। यूपीए शासन के अंत तक उनकी प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटित कुल धन का लगभग एक-तिहाई खर्च ही नहीं हुआ। खर्च कैसे होता? इन्होंने गरीबों को मजदूरी ही नहीं दी।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2005 में योजना की शुरुआत से अब तक सरकार ने मनरेगा पर 17 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लेकिन, एनएसएस, 2009-10 के आंकड़ों के अनुसार इस राशि का केवल एक-पांचवां हिस्सा - 3,40,000 करोड़ रुपए ही मजदूरी के रूप में वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचा। 17,00,000 करोड़ रुपए सरकार के खजाने के उठ गए, लेकिन, मजदूरों को केवल 3,40,000 करोड़ रुपए ही पहुंचे। इसीलिए, मजदूर चिल्लाते थे कि उनको यूपीए - कांग्रेस सरकार में मनरेगा का पैसा नहीं मिल रहा है। शेष राशि कहां गई? राजनेताओं, नौकरशाहों और बिचौलियों के द्वारा हड़प ली गई। यह न केवल इस योजना के क्रियान्वयन में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करता है, बल्कि यूपीए नेतृत्व की भ्रष्ट प्रवृत्तियों का भी प्रमाण है।

सभापति महोदय, गांधी जी ने कभी नहीं सोचा था कि ये मेरे नाम पर कानून रखेंगे और लूटमार करेंगे और भ्रष्टाचार करेंगे। ये तो मोदी जी आए हैं, जिनके कारण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा सीधे गरीबों के खातों में पहुंचता है। मैं राजीव गांधी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पब्लिकली यह स्वीकार किया कि जो राशि भारत की तिजोरी से गरीबों के लिए जाती है, उसमें से 15 परसेंट उन तक पहुंचती है, 85 परसेंट राशि बीच में लोग खा जाते हैं।

अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का काम सही मायनों में किया है, तो वह मोदी जी ने किया है। यूपीए सरकार ने मनरेगा को कैसे कमजोर किया, आप देखिए। वर्ष 2010?11 में मनरेगा का जो 40,000 करोड़ रुपये का बजट था, उसे घटाकर 2012?13 में 33,000 करोड़ रुपये कर दिया गया, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि मनरेगा के स्वयं के विचारक भी इसके क्रियान्वयन से असंतुष्ट थे। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य और मनरेगा की अवधारणा से जुड़े जीन द्रेज ने भी स्वीकार किया कि राजनीतिक प्रतिबद्धता की कमी है और यूपीए सरकार को मनरेगा से कोई चुनावी लाभ नहीं दिख रहा था, इसलिए उन्होंने राशि कम की।

महोदय, जब मोदी सरकार ने सत्ता संभाली, तो उसे कोई प्रभावी सामाजिक सुरक्षा तंत्र विरासत में नहीं मिला, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था मिली, जिसमें विश्वास की कमी और जो रिसाव तथा कमजोर विश्वसनीयता से ग्रस्त थी। हमारे सामने वैचारिक चुनौती नहीं थी, बल्कि प्रशासनिक और संरचनात्मक चुनौती थी। पहला कदम पारदर्शिता और भरोसे की बहाली था। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में तकनीक का उपयोग कर मनरेगा को पुनर्जीवित किया गया, अन्यथा मनरेगा वहीं समाप्त हो जाती। तकनीक में सुधार करके आधार आधारित प्रणाली लागू की गई और लगभग 13 करोड़ लोगों को इसमें सम्मिलित किया गया। यही नहीं, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सर्विस, जीआईएस आधारित योजना, तकनीक ने रिसाव रोकने, वितरण के सुधार में मदद की, लेकिन वह गहरी संरचनात्मक खामियों को दूर नहीं कर सकती। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार केवल अशक्तता हटाने तक सीमित नहीं, बल्कि ग्रामीण गरीबों के हित में नीति को प्रभावी बनाने के लिए संरचनात्मक सुधार करने के लिए भी सकंल्पबद्ध है।

महोदय, इस योजना से दो लोगों को स्पष्ट फायदा है। एक तरफ किसान हैं और दूसरी तरफ मजदूर हैं। मैं आपको उनकी मजदूरी बताऊँगा। मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ। मैं खुद किसान हूँ और मैंने बैलों की जोड़ी से खेती की है। हमने वह समय भी देखा है। जब आज हम गाँवों में जाते हैं, तो किसान कहता है कि जो इसका सिस्टम है, उससे हमें लेबर नहीं मिलती और कृषि बर्बाद हो चुकी है। मैं कहना चाहूँगा कि अब योजना के अंतर्गत कार्यों के दायरे का विस्तार हुआ है। जो जन सुरक्षा, ग्रामीण मूलभूत कनेक्टिविटी, आजीविका-समर्थक और अवसंरचना, जलवायु अनुकूल एवं सहनशीलता परियोजनाओं का विस्तार हुआ है। इस योजना के तहत कुल 60 दिन का प्रावधान है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूँगा कि इसे 90 दिन किया जाए, क्योंकि खरीफ और रबी की दो फसलें हैं। इनमें जुताई और बुवाई का काम होता है, फिर निराई-गुड़ाई का काम होता है, उसके बाद फसल कटाई का काम होता है। इसमें 15-15 दिन चाहिए होते हैं, तो 45 दिन हो गए। दूसरी फसल के लिए भी 45 दिन चाहिए। इसलिए यदि इसमें 90 दिन का प्रावधान किया जाता है, तो इससे सीधा फायदा मजदूर को होगा। वह कृषि की मजदूरी भी कर लेगा और नरेगा की 125 दिन की मजदूरी भी उसे मिल जाएगी। इससे उसे बहुत बड़ा लाभ होगा। ? (व्यवधान)

सर, मैं अपनी बात अभी समाप्त करता हूँ। मेरी पार्टी का समय भी है। मुझे कहा गया है कि आपको 15 मिनट बोलना है, लेकिन आप दस मिनट कर दीजिए।

माननीय सभापति : चौधरी जी, आपकी पार्टी का डायरेक्शन है।

? (व्यवधान)

श्री पी. पी. चौधरी : सर, मैं यह कहना चाहूँगा कि 57 प्रतिशत ग्रामीण परिवार कृषि से जुड़े हुए हैं और 46.1 प्रतिशत कार्यबल कृषि क्षेत्र में संलग्न है। इतने लोगों को इस बिल के द्वारा फायदा होगा। मैं कांग्रेस और विपक्ष को कहूंगा कि यह बिल किसानों और गरीबों के लिए है, आप इसका समर्थन करें और इसको पास कराने में मदद करें। ? (व्यवधान)

मैं अपनी बात को एक मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। अब आप समय नहीं दे रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। मैं किसानों और गरीबों के लिए बोल रहा हूँ। आप समय नहीं दे रहे हैं। अब आप सुन लीजिए, मैं चार-पाँच लाइन बोल रहा हूं, लेकिन धीरे बोलूँगा, क्योंकि वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भाजपा सरकार ही गांधी जी के मूल्यों, भावना और शिक्षाओं को शासन में उतारने

का कार्य कर रही है। स्वच्छ भारत से लेकर गौ संरक्षण तक इस सरकार ने राष्ट्रपिता के नाम का केवल उच्चारण नहीं किया है, बल्कि उनके आदर्शों को धरातल पर साकार किया है। गांधी जी के आदर्श केवल योजनाओं के नामकरण से नहीं, बल्कि गाँवों को विकास की मूल इकाई बनाकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मार्ग प्रशस्त करने से साकार होते हैं। मैं यही कहूँगा कि गांधी जी ने कभी यह नहीं सोचा था।? (व्यवधान)

***m32SHRI NAVASKANI K. (RAMANATHAPURAM):** Chairperson Sir, Vanakkam. I thank you for allowing me to take part in the discussion on Viksit Bharat G RAM G Bill. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme provided livelihood to poor people and farmers who lived particularly in rural areas of our country. This is a Scheme which mitigated their unemployment problem. This was a grand Scheme brought during the rule of Congress Government. You have brought a new Bill to totally destroy the National Rural Employment Guarantee Scheme which provided livelihood and social security to the poor and downtrodden people of rural areas of our country. This MGNREGA Scheme was responsible for providing food to the poor people. They are all alive because of this Scheme. But the new Bill is playing with the lives and livelihood of our poor people. In this new Scheme if an old aged person could not complete his attendance through biometrics, then he will not be getting his daily wages. That family will not get food for that day. Is this the development that they are talking about? It is the development of Delhi. But the Villages are falling down. In one signature the Union Government can stop the release of all the funds. It means a single signature will make thousands of families starve without food. This Bill is aimed at centralisation of powers by the Union, increasing the financial burden on States and destroying the identities of our nation. Till now, 90 per cent of the funds meant for 100 day employment Scheme will be provided by the Union Government and only 10 per cent will be borne by the State Government. But with this new Bill to come to existence, the fund pattern will be 60:40 between the Centre and the States concerned. Already the funds were not released in time by the Union to the States. There is a non-release of Rs 3000 Crore to Tamil Nadu under this Scheme. Education funds are not released to Tamil Nadu. GST dues are not released and funds meant for Tamil Nadu under various Schemes are also pending for release from the Union. In this scenario, the contribution of the States has been raised from the present 10 per cent to 40 per cent. How fair is this? So far the work allocation/selection was done by the State concerned nder MGNREGA. But through this amended new Bill, only the Union Government is authorised to allocate the work. How will the Union Government know about the work to be undertaken in the State concerned? This may lead to a situation where the BJP Government may allocate less amount of work and funds to the Opposition ruled States of the Country besides allocating more funds and work to the States ruled by BJP and its Allies. I want to ask you whether there will be transparency in this. During the last 10 years, several Members in this august House have raised the issue of increasing the number of days of work from 100 man-days to 150 man-days under MGNREGA. We have also demanded for increase of wages as per the price rise of the Day. But those demands have fallen on deaf ears. Those who have an ideology which took away the life of Mahatma Gandhi, today have removed the name of Mahatma from the title of this MGNREGA Scheme. You do not have any history or identity on your own. Whereas you are showing so much concern in destroying the identities of this nation. You changed the names of roads first. Then you changed the names of districts and railway stations. Now you have changed the name of this Scheme by removing the name of the father of our nation. This Scheme was brought by

the Congress Government. Whether that is the issue or you have any issue with the Scheme having the name of our father of nation Mahatma Gandhi. As you have not played any role in our country?s freedom struggle, you can do only such silly things. We are from Indian Union Muslim League. We have only three MPs for IUML. But we have a long history and tradition. This IUML is a party created by those who took part in our country?s freedom struggle. This is a party which was created by the leaders who framed our Constitution of India. We want to protect this nation from your negativity. Thank you.

***m33ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमलेश पासवान) :** सर, माननीय सदस्यों के लिए रात्रि भोज की व्यवस्था एमपी डाइनिंग हॉल, प्रथम तल, संसद भवन में की गई है। माननीय सदस्य अपनी सुविधा के अनुसार रात्रि भोज लेने का कष्ट करें।

माननीय सभापति : श्री हरेन्द्र सिंह मलिक जी।

***m34श्री हरेन्द्र सिंह मलिक (मुजफ़्फ़रनगर) :** माननीय सभापति जी, मैं विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) : वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) विधेयक के विरोध में अपना मत व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, वर्ष 2005 में ग्रामीण मजदूरों को, जो आखिरी लाइन में खड़ा व्यक्ति था, उसको बल देने के उद्देश्य से मनरेगा लागू हुई। आप परिवर्तन के नाम पर मनरेगा को भूलकर, 11 साल तक इनकी निगाह में मनरेगा ठीक रही, अब मनरेगा में सब कमियां आ गई हैं और मनरेगा का नाम बदल कर जी राम जी कह रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ?ऐसा काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो।? कहा यह जाता है कि ?जी राम जी? का मतलब ?गोडसे राम गोडसे? है और ये महात्मा गांधी को छोड़ कर गोडसे का नाम लेना चाहते हैं। यह देश गांधी का देश है। गांधी को इस देश ने बापू कहा है, राष्ट्रपिता कहा है। जंगी आजादी की लड़ाई में, यह सच्चाई है कि आप दूसरी तरफ थे, पर यह भी सच्चाई है कि गांधी के नेतृत्व में लोगों ने बलिदान दिया।? (व्यवधान) आप जो अधिनियम ला रहे हैं, यह दोषपूर्ण है।

मान्यवर, पहले 90 प्रतिशत हिस्सा सरकार व्यय करती थी। अब कह रहे हैं कि प्रस्तावित कानून के बाद 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार व्यय करेगी। राज्य सरकार तो पहले ही लाखों-करोड़ों के कर्ज के तले हैं। न नौ मन तेल होगा और न कानून लागू होगा। ये इस तरह की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है, वह ग्राम विरोधी है। गांव, गरीब, किसान को, एक तरह से पी.डी.ए. को बर्बाद करने का इनका जो काम है, वह इससे परिलक्षित होता है।

मान्यवर, पहले राज्यवार जितना पैसा मांगा जाता था, केन्द्र सरकार उतना पैसा देने के लिए बाध्य रहती थी, वह पैसा दे देती थी। अब उसकी कोई गारंटी नहीं रह गई है। इन्होंने 60:40 की बात कर दी है और उससे निश्चित रूप से इसका नुकसान होगा। ये 125 दिन के काम की बात जो कर रहे हैं, 125 दिन के रोजगार की बात तो छोड़ दीजिए, ये 10 दिन का रोजगार भी नहीं दे पाएंगे। सच्चाई तो यह है कि यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। ये पी.डी.ए. को बर्बाद करने का काम करते हैं और ये इस तरह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। विकसित भारत का नाम ले रहे हैं। माननीय कृषि मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। जिस देश पर विदेशी कर्जा बढ़ा हो, जिस देश के सब टैक्स बढ़े हो, सब्सिडी खत्म हुई हो और महंगाई बढ़ रही है तो फिर विकसित देश किस बात का है? आपने देश का नाश कर दिया। आप विकसित भारत बता रहे हैं।

मान्यवर, यह कानून दोषपूर्ण इसलिए भी है कि इसमें रोजगार का कानूनी आधार नहीं है। कानूनन आप बाध्य नहीं कर सकते। अगर पहले मजदूरी नहीं मिलती थी तो उसको मजदूरी का वेतन मिलता था, उसको भुगतान होता था।? (व्यवधान) अभी तो मैंने बोलना शुरू ही नहीं किया है। पी.पी. चौधरी जी 12 मिनट बोलें।? (व्यवधान) ऐसा नहीं है। अभी तो मैंने बोलना शुरू ही नहीं किया है।

माननीय सभापति : मेरे पास लिस्ट है।

? (व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक : मान्यवर, मैं दो बातें तो कह लूं। बजट और संसाधनों की अस्पष्टता है। ग्राम स्तर पर विकास के लिए स्पष्ट और सुनिश्चित बजट का अभाव है। केवल पुरानी योजनाओं का पुन: नामकरण कर रहे हैं। इससे देश अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी शर्मसार होगा कि आज महात्मा गांधी के नाम को बदल कर गोडसे के नाम पर करने जा रहे हैं। रोजगार, आय सृजन पर कमजोर फोकस है। मनरेगा का जैसा अधिकार आधारित कार्यक्रम से तालमेल नहीं है। यही नहीं, ग्राम सभा और पंचायतों की भूमिका सलाहकार से अधिक नहीं है।? (व्यवधान) वंचित वर्गों पर इसमें विशेष ध्यान नहीं है, मापदण्ड और जवाबदेही की कमी है, डिजिटल प्रचार ज्यादा है। ? (व्यवधान) मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप प्लीज कनक्लूड कीजिए। अब समय नहीं है।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक : डिजिटल प्रचार ज्यादा है, जमीनी हकीकत कम है, पलायन रोकने की ठोस नीति नहीं है। लोगों को रोजगार से वंचित रखने का इनका *?* है और गांव के लोगों को रोजगार नहीं देंगे।

मान्यवर, मैं इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि कम से कम महात्मा गांधी के नाम को तो बख्श दें। यह देश गांधी का देश है। आदरणीय कृषि मंत्री जी यह गोडसे का देश नहीं है।? (व्यवधान)

***m35श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत (कोरबा) :** धन्यवाद महोदय। आज मैं सदन में प्रस्तुत किए गए ?विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)? यानी ?वीबी जी राम जी? बिल पर अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई हूं।

महोदय, सरकार ने इस योजना का नाम जिस तरह रखा है, वह न केवल हास्यास्पद है, बल्कि हमारी आस्था और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के प्रति घोर अपमानजनक भी है। यह भगवान राम के नाम का राजनीतिकरण कर रहे हैं। सरकार ने इस योजना का संक्षिप्त नाम ?वीबी जी राम जी? बनाया है। क्या भगवान राम का नाम अब सरकारी फाइलों और स्कीमों में ही संक्षिप्त रुपों में रूपों में सिमट कर रह गया है? हम राम की कण-कण में बसने वाले ईश्वर के रूप में पूजा करते हैं, लेकिन सरकार ने राम को एक एक्रोनियम बना दिया है, जिसका मतलब है ?रोजगार एंड आजीविका मिशन?। यह कैसी भक्ति है? यह तो प्रभु के नाम का सीधा-सीधा दुरुपयोग है। अगर आपको पुरानी सरकार की योजना का नाम बदलना ही था, तो आप इसे ?मनरेगा-2? भी कह सकते थे या ?ग्रामीण रोजगार योजना? कह सकते थे, लेकिन केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस योजना को ?राम जी? नाम दे देना और उसे विकसित भारत जैसे भारी-भरकम शब्दों के नीचे दबा देना, यह हमारी संस्कृति का अपमान है। कबीर दास जी ने ऐसे दिखावे पर सही ही कहा है कि-

माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर,

कर का मनका डार दे, मन का मनका फेर।

सभापति जी, सरकार केवल नाम की माला जप रही है, लेकिन इसका मन गरीबों, मजदूरों और राज्य के कल्याण के लिए नहीं फिरा है। नाम में ?राम? है, पर काम में कपट है। नाम बदलने के पीछे असली खेला फंडिंग की कटौती है। मनरेगा के तहत मजदूरी का 90 प्रतिशत पैसा केंद्र से आता था, लेकिन अब इस नए बिल में केंद्र और राज्य के बीच का अनुपात 60:40 कर दिया गया है। मेरा सवाल है कि छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बाहुल्य राज्य, जहां का बड़ा हिस्सा वनों से घिरा है, जो आपकी कृपा से अब कटने लगे हैं। यहां संसाधन बहुत सीमित हैं, तो यह 40 प्रतिशत का अतिरिक्त बोझ कैसे उठाएगा? आप कह रहे हैं कि हम विकसित भारत बना रहे हैं, लेकिन असल में आप राज्यों की कमर तोड़ रहे हैं। जब राज्य सरकार के पास फंड ही नहीं होगा, तो क्या गरीबों को समय पर मजदूरी मिल पाएगी? हालांकि वह अभी भी नहीं मिल रही है और तब भी नहीं मिलेगी। महोदय, यह मनरेगा को कमजोर करने की एक साजिश नजर आ रही है। मनरेगा एक अधिकार है, हमारे ग्रामीणों का। इसमें

महात्मा गांधी नाम है, जिसे हमारी सरकार ने महात्मा गांधी के नाम पर रोजगार गारंटी दी थी और आप कहते हैं सिर्फ मोदी की गारंटी, जो कभी पूरी नहीं हुई। ग्यारह सालों से तो हम देख रहे हैं।

महोदय, इसे इस सरकार ने धीरे-धीरे कमजोर कर दिया है। पहले बजट कम किया, फिर आधार और पेमेंट की जटिलता बढ़ाई और अब फंडिंग का बोझ राज्यों पर लाद दिया। मैं सरकार से मांग करती हूं कि भगवान राम के नाम का उपयोग इस तरह सरकारी योजनाओं के शॉर्ट फॉर्म के लिए बंद करे। यह करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। इसे अपनी ब्रांडिंग का हिस्सा न बनाएं। राज्यों पर थोपे गए 60:40 के अनुपात को वापस ले और केंद्र सरकार अपनी पुरानी जिम्मेदारी निभाए।

सभापति महोदय, नाम बदलने से नीयत नहीं बदलती। अगर आप सच में राम राज्य लाना चाहते हैं, तो गरीब की थाली और राज्यों के खजाने की तरफ चिंता कीजिए, न कि केवल कागजों पर ?राम? लिखने की। मैं महात्मा गांधी का नाम हटाने का पुरजोर विरोध करती हूं।

जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।

***m36SHRI MADHAVANENI RAGHUNANDAN RAO (MEDAK):** Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me the opportunity to speak in support of the Viksit Bharat ? Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB ? G RAM G Bill, 2025.

Sir, it is a major overhaul of the 20 years old MGNREGA. It establishes a modern statutory framework aligned with Viksit Bharat 2047, guaranteeing 125 days of wage employment per rural household, whose adult members volunteer to do unskilled manual work.

The Bill aims at creating both employment and durable rural infrastructure through four priority verticals.

The first priority is water security through water-related works. The second one is core-rural infrastructure. The third is livelihood related to infrastructure, and the fourth one is special works to mitigate extreme weather events. So, all assets created or aggregated are integrated into the Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack, ensuring a unified, coordinated national development strategy.

Some of my colleagues and friends are asking what the need is to change MGNREGA now. The need is this, Hon. Speaker MGNREGA was built in the year 2005, but rural India has transformed from 2005 to 2025 under the dynamic leadership of Hon. Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Poverty fell sharply in the year 2011-2012. The poverty of Indian people was 25.7 per cent. Under the dynamic leadership of Hon. Prime Minister Modi ji, the poverty level has come down from 25 per cent to 4.86 per cent, supported by rising consumption, incomes, and financial access recorded in MPCE and NABARD RECSS surveys.

This clearly shows that after 20 years, there should be some change in MGNREGA. That is the reason why, under the dynamic leadership of Hon. Prime Minister Modi ji, the name of the scheme as well as the rules of the scheme were changed. Many of my friends who are representing the Opposition are saying that it should not be changed because the name is Mahatma Gandhi?s name. Actually, the intention of Mahatma Gandhi in building India is ?*Ram Raj*?. When the dream of Mahatma Gandhi ji was *Ram Raj*, when Shri Shivraj Singh Chauhan ji, under the

leadership of Shri Narendra Modi ji?s Government, is trying to bring *Ram Raj* in this country, what is the problem with the Opposition? Is it their thinking, their criticism, that whatever they want to say has to happen? I would like to know whether they are in the ruling party or in the Opposition.

In Telugu, when we go to a rural area there is a proverb. The meaning of the ?proverb? is - a village person was going to a ?*Jyotisha*? to ask his Jyotisha. Unfortunately, the ?*Jyotisha?* who was sitting there was of opposition ideology. He said that you will die today afternoon itself. Similarly, when you are bringing the changes in the ideology and structure of the country to the dreams of the Mahatma Gandhi Ji, the Opposition is saying that you are changing the name, you are bringing the name of Nathuram Godse. This is how it looks like is अगर आपको लैला को देखना है तो मजनू की आंखों से देखिए, अगर आपको प्रोग्रेसिव कंट्री को देखना है, अगर बदलते हुए भारत को देखना है तो मोदी जी की आंखों से देखिए, गांवों में जो गरीब हैं, उनकी आंखों से देखिए। मगर कभी भी हम कुछ भी लाते हैं तो आप उसको अपोज करेंगे तो हम क्या करेंगे?

The main intention of the Government is to bring change in the lives of the people. I would like to compare two?three lines with the previous Government, the Congress Government?s MGNREGA, and Shri Narendra Modi ji?s 12 years of Government. Is there any attempt made to improve MGNREGA, which was present earlier during the UPA and NDA? I will compare two?three lines. The participation of women during the UPA in 2013?14 was only 48 per cent, and now it has increased to 56.74 per cent.

Similarly, ?Aadhaar-seeded active workers? were only 76 lakhs during the UPA, and now it has increased to 12.11 crore during the NDA Government under Shri Narendra Modi ji?s leadership. Workers on APBC were zero during the UPA, and now it is 11.93 crore. The geo-tagged assets during the UPA were zero, and during the NDA it is 6.44 crore. E-payments were only 37 per cent during the UPA in 2013?14, and now during 2025?26 under the dynamic leadership of the hon. Prime Minister, it is 99.99 per cent. Individual assets during the Congress UPA Government were only 17.6 per cent, whereas now it has been increased to 16.96 per cent.

Despite these advances - misappropriation continued, digital attendance was bypassed, and assets often failed to match the expenditure. The scale and persistence of these issues showed that the MGNREGA architecture has reached its limits, making a new modernized The Viksit Bharat ? Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB ? G RAM G Bill, 2025 is necessary. Hence, I support this Bill.

If you want to change yourselves, you should change like a giraffee. Being a science teacher, I would like to say one sentence. Struggle for existence and survival of the fittest are very necessary. As time changes, we should also change according to time. The dinosaurs have become extinct and is being seen only in TVs. But whereas giraffee existed as it changed its lifestyle with time. Thank you Chairperson Sir.

***m37श्री मियां अल्ताफ अहमद (अनन्तनाग-राजौरी) :** सभापति महोदय, हमारे मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी बड़े कद्दावर नेता हैं। उन्होंने गरीबों की बड़ी खिदमत की और यहां तक पहुंचे। मैं उनसे तवक्कोह नहीं कर रहा था, मैं उनसे यह एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जिन्होंने अपनी जिन्दगी में मेहनत से और गरीबों के लिए काम करके यह मुकाम पाया हो, वह इतनी अच्छी स्कीम में तब्दीली करेंगे। आपकी हुकूमत आयुष्मान

भारत जैसी हेल्थ स्कीम लायी, डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम लायी, किसानों के लिए बैंक अकाउंट में पैसे डाले, वहां जो आपने अच्छे काम किए थे, इस काम से आपके उन कामों पर भी असर पड़ेगा। इस स्कीम में तब्दीली करने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हम आपसे यह तवक्को नहीं रख रहे थे, आपने मनरेगा का नाम चेंज किया, इसकी तो बिल्कुल ही जस्टिफिकेशन नहीं था, यह महात्मा गांधी के नाम से जुड़ा हुआ था जिसको पूरी दुनिया जानती है और मानती है। किस बात के लिए जानती है-इंसानियत के लिए जानती है, हिन्दुस्तान की आजादी के लिए जानती है, गरीब परवरी के लिए जानती है।

आज आप भी जानते हैं कि अगर मुल्क में सबसे बड़ा कोई मसला है तो बेरोजगारी का है। आज काम नहीं मिल रहा है, आज लोग पीएचडी और इंजीनियरिंग करके लेबर का काम ढूंढ रहे हैं। लेबर का काम अब नहीं रहा, पहले गांव में बीआरओ का काम मिलता था, पीएचडी का काम मिलता था, पीडब्ल्यूडी का काम मिलता था, अब उन सब कामों को मशीनों ने संभाल लिया है। अब लेबर का काम नहीं रहा, लेबर का काम इस स्कीम में बचा था, जिसका नाम मनरेगा था। इस स्कीम को बंद करके आपने गरीबों का रोजगार छीना है, उसको बंद किया है। जहां इस स्कीम से गरीब को पैसा मिल रहा था और बगैर किसी टेंडर के गांवों में डेवलपमेंट का काम भी हो रहा था। कहीं फुटपाथ बन रहे थे, कहीं पार्क बन रहे थे और कहीं कुछ और काम हो रहा था, वह सिलसिला भी बंद हो गया।

आपने कहा कि अब स्टेट 40 परसेंट दे देगी या हमारी यूटी में 10 परसेंट दे देंगी, यह इस स्कीम को डिफंक्ट करने जैसा है। स्टेट्स का हाल आपको पता है, यूटीज के पास मुलाजिमों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं, ठेकेदारों का बिल पेमेंट के लिए वहां पड़ा हुआ है।

जम्मू-कश्मीर में मनरेगा की लेबर्स पेमेंट बंद है, वहां लोगों के करोड़ों रुपये बकाया हैं। ये लोग हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के दरवाजे पर आते हैं, वहां ये हाल है। आपको और डिफिकल्टीज आने वाली है, गरीबों के लिए डिफिकल्टीज आने वाली है इसलिए इसे देखने की जरूरत है। जहां तक आप कह रहे हैं 100 से 125 दिन रोजगार बढ़ाया, वहां आप मुझे बताइए कि 100 दिन का रोजगार कहां मिला। अगर आप ऐवरेज देखेंगे 60 या 80 दिन से ज्यादा रोजगार नहीं मिला है।

यह गरीबों के लिए प्रोग्राम था, बेरोजगारों के लिए प्रोग्राम था, जिनके लिए कोई और रोजगार का सहारा नहीं था, लेबर का काम नहीं था, उनकी सारी उम्मीदें इस स्कीम से थी। आपसे अपील है कि इस कानून को वापस लीजिए। यह एंटी पुअर है।

***m38श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर (संगरूर) :** सभापति जी, जब मनरेगा को देश में लागू किया गया तो उसका मुख्य मकसद ग्रामीण भारत में जो मजदूर हैं, जो सबसे पिछड़ा हए हैं, उनको रोजगार देने का मकसद था। लेकिन ये जो नया बिल केंद्र सरकार लेकर आई है, इसका मकसद मुझे लगता है कि जो देश का गरीब है, जो देश का मजदूर है, उससे काम, उसका रोजगार हम छीनना चाहते हैं।

महोदय, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हर किताब के पीछे एक नोट लिखा रहता था जिस पर लिखा होता था 'गांधी जी तलिसमन' जिसका मतलब है कि जब भी आप दुविधा में हों और आपको कोई फैसला करना है, तो आप अपनी जिंदगी में जिस कमजोर को, गरीब को जानते हैं तो उस फैसले से सोचिए कि उसका क्या फायदा-नुकसान होगा। मुझे लगता नहीं है कि केंद्र सरकार ने ये फैसला किया होगा कि ये रेश्यो 60:40 कर रहे हैं और उस गरीब का, उस मजदूर का ध्यान रखा होगा। क्योंकि आज जिन प्रदेशों से आप हजारों-लाखों करोड़ GST के ले रहे हैं, आज किस प्रदेश की हैसियत है कि जो हजारों करोड़ रुपया इसमें दे सके।

महोदय, मुझे लगता है कि जो स्कीम पहले डिमांड-ड्रिवन थी कि कोई मजदूर कह रहा है कि मुझे 100 दिन का काम चाहिए तो सरकार उसे काम देती थी। आज इस स्कीम को हम सप्लाई-ड्रिवन कर रहे हैं कि सरकार कहती है कि यह काम है, इसमें चाहे चार दिन लगें या पांच दिन लगें, तुम्हें इतना ही काम मिलेगा। सरकार ने कहने को यह किया है कि हमने 125 दिन कर दिए। हमारे पंजाबी में कहावत है कि गाय के बछड़े को क्या पता कि दूध का क्या भाव है। अब गाय के नीचे दूध 20 लीटर हो, 40 लीटर हो, बछड़े को कितना मिलेगा? ये कहते हैं 100 से 125 दिन कर दिया है। मंत्री जी बैठे हैं, कोई ऐसा प्रदेश पूरे देश में जहां 100 दिन भी मिल रहा हो? अगर मैं पंजाब की बात करूं तो 2023-

2024 में जो दिन मिले वो 41 थे और 2024-25 में 37 दिन काम मिला और 2025-26 में केवल 26 दिन रह गए और सरकार कह रही है कि हम 125 दिन करेंगे। ऐसे चाहे 300 दिन कर दीजिए जब देना ही नहीं है, तो कैसे काम चलेगा। सिर्फ ये लोगों से रोजगार वापस लेने के लिए सरकार काम कर रही है।

महोदय, इसमें कहा गया कि जो फसल बीजने के और जो काटने के दिन हैं उन 60 दिनों उस टाइम पर मनरेगा नहीं चलेगी। आप बताइए कि आज पूरे भारत में कितनी ऐसी लेबर है जो ज्यादा काम होने के कारण फ्री ही नहीं है? अगर कटाई के टाइम पर किसी को लगेगा कि मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो वह मनरेगा में काम क्यों करेगा? मेरी सरकार से गुजारिश है कि ये जो 60 दिन का समय आपने तय किया है, इसे बंद किया जाए। महोदय, पिछले दो-तीन साल से सरकार लगातार लैटर निकाल रही है, 26 अक्टूबर, 2023 को निकाला कि तालाबों और नहरों की डिसिल्टिंग नहीं कर सकते। पंजाब जैसे एग्रीकल्चर स्टेट में तो हर साल इसकी जरूरत है। इस वजह से लोगों के रोजगार के दिन कम हो रहे हैं। सरकार को इसे वापस लेना चाहिए और दूसरा लैटर 16 जून, 2025 में कहा कि सिर्फ बंजर भूमि उपजाऊ करने के लिए लेबर लगा सकते हैं। पंजाब-हरियाणा में बंजर भूमि है ही नहीं। पहले हम ग्राउंड, पार्क या श्मशान घाट की लेवलिंग में मनरेगा इस्तेमाल करते थे और इससे मजदूरों को 80-90 दिन काम मिलता था, लेकिन ऐसी शर्तों की वजह से अब रोजगार के दिन घटकर 26 पर आ गए हैं। मेरी सरकार से गुजारिश है कि इस बिल को वापस लीजिए और ये शर्तें भी वापस लीजिए, जो पहले से ही आपने मनरेगा पर लगा रखी हैं। यदि सरकार वाकई देश के लोगों को रोजगार देना चाहती है, तो नई योजना शुरू कर लीजिए लेकिन इस योजना के तहत लोगों का रोजगार वापस देने हेतु काम करे।

***m39SHRI SELVARAJ V. (NAGAPATTINAM):** Hon. Chairperson Sir, Vanakkam. I am taking part in this discussion on behalf of the people of Nagappattinam and Tiruvarur districts of Tamil Nadu. More than 80 per cent of the people in our area are farmers and farm labourers. This MGNREGA Scheme is for the farm labourers and marginalised downtrodden people who live in the lower strata of our society. In the first instance, on behalf of the Communist Party of India, I strongly oppose this Bill. Mahakavi Bharathi says, ?They do not have porridge and they do not know the reason for not having it as well?. Such is the state of our poor. We are talking about such poor people. Literary giant Jeeva will say. ?There is no slippers on the feet; No porridge even for filling one-fourth of stomach; my friend, we worked for nothing; we remain poor without money. We remain poor without money. Child will cry without milk; Mother will cry out of starvation; we will cry without job. My friend, the entire family will cry. The entire family will cry.? Our people are not having slippers to wear. They do not have milk for their children. We are talking about such people. You are diluting this Scheme. You are getting the poor and downtrodden people affected by your policies. Don?t you have you conscience?

Poet Bharathi further says, ?If the educated does mischievous things, he will face the ire of the death God? I want to ask you one thing. Why are you doing such sins? When I went for election campaigning and then for thanking the people after winning the elections, they asked only one thing. They wanted me to get 100 days of work through MGNREGA. Many women cried a lot due to poverty. This is the situation at ground in villages. Rural economy is totally dependent on MGNREGA. This should further be extended to Town Panchayat and Corporation areas. Similarly you are changing the name of this Scheme. Why are you changing this name?

Mahatma Gandhi talked about self-rule and Swarajya. He talked about people of rural areas and their development. Is there anyone who is an ardent devotee of Lord Ram other than Mahatma Gandhi? He uttered Hey

Ram even at the time when he was shot dead. Why are you removing his name? You demolished the Babur Masjid. On which date you demolished this mosque? It was on the day of Dr Ambedkar?s death anniversary. By keeping the name of RAM to this Bill you are once again trying to kill Mahatma Gandhi. I therefore strongly condemn this. You do not release your share for the centrally sponsored Schemes meant for the States. In that situation, how can this Scheme be successful, if you have the funding pattern as 60:40 between the Centre and the States? The centrally sponsored Schemes are to be implemented by the States.

Every labourer who is living in a pitiable condition in rural areas may demand for work. It is the duty of the Government to provide them the work. But in the new Bill the areas are to be decided by the Union Government and only in such areas these works are to be sought. This snatches away the right to work. Moreover they are guaranteeing for 125 man days of work. How can you give 125 days of work? This is untrue. It is a deceitful one. Hon. Union Minister of Rural development while addressing Rajya Sabha two or three days ago, said that the Government was unable to provide not more than 50 days of work. If that is so, how can you give 125 days of work? It is not a feasible one. It is a demand driven Scheme. Hereafter only on the basis of allocation of funds from the Centre, the work has to be provided in future.

This Union Government proposes no work for 60 days during peak agricultural season. Why are you giving this leave? Where will he go? I strongly oppose this. Similarly, through infrastructure building and development, for construction related work also, beneficiaries should be provided work after selection. Infrastructure means construction of bridges. If you carry out several such activities, you can provide job opportunities. Sir just one more minute. I urge that you should support our poor people and farmers living in village areas of Tamil Nadu. Thank you.

21.00 hrs

***m40SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY):** Sir, I am opposing this bill to show my gratitude towards the people of Chalakkudy, who have elected me to this august house. This is not merely change of name. The change-MGNREGA to VB- G RAM G is the increasing tendency of giving prominence to anti-Gandhi Pro-Godse cult. It is part of an agenda to rewrite India?s history and nationalist spirit. It is an agenda of the BJP. It is an agenda of communalism. It is an agenda of RSS. It is our responsibility to stand against this agenda. Not only this, for the past few years, they were boosting Godse, to diminish and reduce the importance of Mahatma Gandhi. In the year 2018, the Hindu Maha Sabha activist in Meerut observed ?Balidaan Din? on 15 November, the same day on which Godse was hanged to death. They even recommended to change the name of the city ?Meerut? to ?Godse Nagar?. In the year 2019, on the day of remembrance of Mahatma Gandhi?s martyrdom, the re-enactment of Gandhi assassination was done in public by national secretary of Hindu Maha Sabha and he symbolically shot Mahatma Gandhi. In the

same year, on 02^{nd} October, in Rewa Madhya Pradesh, the traitor? was inscribed on Bapu?s photograph. Sir, there is a communal power in this country which throwed shoe on Mr. Kamal Hassan, who preached Godse is the biggest terrorist the country has ever witnessed. What more, in a school in Vadsar, where Gandhi was born, in the school where he taught ?Eshwar Allah Tere Naam??, the topic given in an elocution competition was ?Godse: My Role Model?. The students were asked to speak on the topic and the one who spoke well was given first given first prize in the competition. Moreover, Modiji always hail Mahatma Gandhi. Two years before, Gita Press of Gorakhpur was selected for Mahatma Gandhi Peace Prize. It as presided by Shri Modi. The owners of Gita Press, Hanuman Prasad Poddar and Jay Dayal Goyanka, who are Sangh Pariwar propagandists, were awarded to diminish Gandhian ideologies.

Sir, this law was passed by Dr. Manmohan Singh and Smt. Sonia Gandhi for the well-being of the poorest of the poor. This law has created social, environmental and economical boost in the country. This act has led to the sustainable development of the country. The influence of the job opportunities were reflected in different sectors of the rural life. The people who were benefitted by this programme are the one who belongs to the lowest class of the society and who faces many difficulties in life. When this new law is passed, it will reduce the benefits given to the poor women. It changes the economic fabric of the society. This programme was envisioned by Dr. Manmohan Singh for the benefit of the poorest poor in the society.

We know when the whole world was stuck in the clutches of economic recession, this economic policy helped India to survive the situation. You are trying to diminish such a well visioned policy. Gandhi was a person who enlightened the world with his vision. He is a lamp lighted on the top of the world to leas us in the dark through the path of love and peace, with a heart moulded with humanitarian values.

Hon. Minister, you can never destroy nor diminish his position by merely changing the name. Even after trying to shoot him many a times, his name stands Infront of crores of people as a symbol of inspiration, excitement and self-respect. I remind you that, if you think, you can diminish his name, merely by changing the name of the bill introduced by the government, history will never forgive you.

21.09 hrs (Shri JagdambikaPal *in the Chair*)

Gandhian history lies closely to the Indian history. The pulse of Gandhi lies in each and every breadth of the country. When the communal powers are ready to infiltrate into the secular and unitarian structure of the country which was nurtured for long, the memories of Gandhi give inspiration to fight against these forces. You can never stop the memories of Gandhi.

Sir, I wish to recite a poem. Vallathol, the great poet of Kerala has said, ?If you want to see a person with Christ?s self sacrifice, Krishna?s protection of Dharma, ahimsa of Budha, bravery of Muhammed; Go to your Guru, or else read his history.?

I wish to tell the Minister that if you have read that history, you would have never come to this house, with such a bill. If the Minister introduce the bill by saying ?Jai ram Shri Ram?, I oppose this bill by saying ?Mahatma Gandhi amar rahe, Mahatma Gandhi ki jai?, with lots of excitement.

I request you to withdraw this bill, which tries to change Mahatma Gandhi?s name from the title and I recommend you to reinstate Mahatma Gandhi?s name, as it is in the previous bill.

***m41SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL (BATHINDA):** Hon. Chairperson Sir, I stand here to oppose the Viksit Bharat ? Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) VB ? G RAM G Bill, 2025. Although there may have been many faults in the MGNREGA, it was powerful because it told the poorest of Indians that the State was answerable to them. It transformed employment from charity into an entitlement.

सर, मनरेगा में लाखों खामियां हो सकती हैं, लेकिन मनरेगा में जो सबसे पॉवरफुल चीज थी, वह एक ढाल था, रोजगार का एक ढाल था, जिसमें देश के सबसे गरीब मजदूर को इस बात का आश्वासन था कि उसे एक साल में 100 दिनों का रोजगार मिलेगा, वह रोजगार उसकी आमदनी होगी और उससे वह अपना पेट भरेगा, अपना परिवार पालेगा।

Sir, it was an entitlement that the poorest expected and got from the State. What is most unfortunate is this कि इस सरकार ने आज गरीब के उस ढाल को भी उससे छीनने का काम किया है, क्योंकि इस एनटाइटलमेंट को आपने एक बार फिर से ?चैरिटी? बना दिया है क्योंकि अब यह सरकार के ऊपर निर्भर है। आप बोल रहे हैं कि 100 दिन की जगह 125 दिनों का रोजगार मिलेगा, लेकिन पहले सेन्टर से उसकी मजदूरी के लिए 100 फीसदी जो पैसे जाते थे और 75 फीसदी मैटेरियल्स के लिए जाता था, उसे अब आपने 60:40 के रेशियो में करके इसे भी एक दूसरी सेन्ट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरह कर दिया है। आज मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि जैसे मेरा पंजाब राज्य है, जहां पर सारी सेन्ट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स लगातार कम होते-होते 33 फीसदी की ग्रांट्स खत्म हो गयी है, क्योंकि इस आम आदमी पार्टी की सरकार और उसके पहले वहां कांग्रेस की सरकार ने हमारे राज्य को इतना कर्जदार बना दिया है कि आज हमारे राज्य में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, वह आज अपने ऊपर एक लाख 25 हजार रुपये का कर्ज लेकर जन्म लेता है। इन लोगों ने 4 लाख करोड़ रुपये का कर्ज चढ़ा दिया, जिसमें से 2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज पिछले चार सालों में चढ़ा है।

सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि आपने यह 60:40 का रेशियो करके राज्यों का 10 प्रतिशत हिस्सा की जगह अब जो 40 प्रतिशत कर दिया है, तो हमारे यहां तो अभी तक आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं हुई है, हेल्थ मिशन अभियान भी कितने समय तक लागू नहीं हुआ था। हमारे यहां एस.सी. स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप्स खत्म हो गयी है, तो क्या अब पंजाब में मनरेगा भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब वहां की सरकार के पास तो पैसे नहीं हैं और आप भी नहीं देंगे, तो आज जब आप अपनी पीठ थपथपाएंगे कि अपने नम्बर्स के जोर-जबर से आपने एक कानून पास कर दिया है तो यह याद रखिए कि पंजाब जैसे राज्यों में करोड़ों गरीबों के घरों में दीया नहीं जलेगा क्योंकि उनका मनरेगा हमेशा के लिए खत्म होने लगा है क्योंकि राज्य सरकार के पास 40 फीसदी के पैसे नहीं हैं और अगर पैसे नहीं हैं तो उन राज्यों में मनरेगा का काम खत्म हो जाएगा।

सर, इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है कि जो सरकार अपने को गरीबों का हिमायती बनती है, वह आज गरीबों का ही नुकसान कर रही है, इसलिए आज मैं इस बात का पुरजोर विरोध करती हूं कि आपने राज्यों के ऊपर जो 40 फीसदी का बोझ डाला है, उसको आपको इम्मीडिएटली रिवर्स करना चाहिए और उसके बाद मनरेगा में जो सुधार करने की जरूरत है, उसमें आप जरूर सुधार करें।

सर, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि आपने फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर किया है। गांव में अब छप्पर में पानी भर जाता है, उनके घरों में पानी चला जाता है, गंदे पानी के निकास का बुरा हाल है। क्या इधर एयर कंडीशन्ड दफ्तरों में बैठ कर इन अफसरों को यह पता है कि मेरे किस गांव में क्या तकलीफ है? कम से कम गांव वाले अपनी तकलीफें मनरेगा में मजदूरी करके दूर कर लेते थे, पर अब यहां बैठ कर नियम बनेंगे।

Sir, one shoe does not fit all. एक मापदंड सबके लिए नहीं हो सकता। फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर करके आप देश का और लोगों का नुकसान कर रहे हैं।

सर, 12 दिसंबर को मनरेगा के हजारों लेडीज मजदूरों ने पंजाब के बरनाला में धरना क्यों दिया था? क्योंकि, नौ महीने से उनका मनरेगा का काम बंद था। अभी भी उनको दो महीने से पैसे नहीं मिले हैं।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : महोदय, हमारे मंत्री जी कहते हैं कि वहां 6000 करोड़ रुपये भेजे गए, लेकिन राज्य सरकार कहती है कि कुछ भी नहीं भेजा गया। आज उनके मजदूरी का हक मारा जा रहा है। अब वे कहां जाएंगे? ? (व्यवधान)

सर, मैं कहती हूं कि आप 125 दिन छोड़िए, वे सारे दिन ही खत्म हो जाएंगे। आज पंजाब की आर्थिक हालत ऐसी है कि हमारे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। वहां पिछले और इस साल भी बेरोजगारी दोगुनी हो गई है। इस तरह से बेरोजगारी कहां जाएगी? पहले आप किसानों के लिए काले कानून लेकर आए थे। अब आप मजदूरों के लिए काला कानून लेकर आए हैं। मैं आग्रह करती हूं कि आप मजदूरों के इस काले कानून को वापस लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से मनरेगा का पैसा जिस तरह से आता था, वैसे ही आगे भी आते रहे। शुक्रिया।

***m42श्री राजकुमार चाहर (फतेहपुर सीकरी) :** माननीय सभापति जी, धन्यवाद। आज मैं सदन में ?विकसित भारत ? रोजगार और आजीविक गारंटी मिशन (ग्रामीण) विधेयक 2025? के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप चेयर को एड्रेस कीजिए। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया आप सभी बैठे-बैठे रनिंग कमेंट्री न करें।

? (व्यवधान)

श्री राजकुमार चाहर : माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने जब से इस विधेयक- ?विकसित भारत- जी राम जी? के बारे में चर्चा की है, मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार गांधी जी को कोसने का काम कर रहे हैं।

माननीय सभापति जी, गांधी जी से ये नाम चुरा कर गांधी तो बन सकते हैं, लेकिन गांधी जी ने जो रास्ता बताया, उस रास्ते पर चलने का काम कांग्रेस पार्टी के शहजादे और कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति जी, मैं गांव से आता हूं। मुझे इन चीजों के बारे में पता है। मैं इतना प्रसन्न हुआ, जब ?विकसित भारत ? जी राम जी बिल? आया। आज भी गांवों में किसान और मजदूर ?जय राम जी? कह कर बात करते हैं। आज भी गांवों में किसान और मजदूर ?जी राम जी?, ?जय राम जी? कहते हैं। मैं समझता हूं कि ?जय राम जी? का नाम लेकर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी और हमारे कृषि एवं ग्रामीण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने महात्मा गांधी जी के सपनों को सच्चाई के साथ पूरा करने का संकल्प लिया है।

माननीय सभापति जी, मैं बड़ी सरलता से इस पर दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। एक तो पहले मनरेगा में 100 दिन काम मिलता था, लेकिन अब 100 दिन की जगह 125 दिन मजदूरों को रोजगार की गारंटी मिलेगी। वहीं एक और बहुत बड़ा काम किया गया है, उसके लिए मैं माननीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। गांवों में किसानों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कांग्रेस पार्टी को किसानों की कठिनाइयों से कोई लेना-देना नहीं है। जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार 60-70 सालों तक रही, इन्होंने किसानों के लिए

एक भी कानून, एक भी नियम और एक भी विधेयक कभी भी लेकर नहीं आए। वे किसानों का नाम लेकर रोना रोएंगे और प्रलाप करेंगे। अगर किसी ने फसल बीमा योजना लाया तो बी.जे.पी. लेकर आई।। अगर किसी ने केसीसी कार्ड लाया तो बी.जे.पी. लाई। अगर किसी ने ?किसान सम्मान निधि? लाया तो मोदी जी लाए। अगर किसी ने पशुपालन और मछली पालन को जोड़ा तो मोदी जी ने जोड़ा। अगर किसी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लाया तो अटल जी लेकर आए। इसलिए, इनके पास सुनाने के लिए कुछ नहीं है।

माननीय सभापति जी, ये लोग गांधी जी का नाम लेते रहेंगे। गांधी जी ने कहा था कि देश की आजादी के समय कांग्रेस एक आंदोलन का नाम था। अब कांग्रेस का नाम ही खत्म कर देना चाहिए। आप गांधी जी के उस बात को क्यों नहीं मानते हैं? ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा था।

माननीय सभापति जी, मैं ?वीबी- जी राम जी? योजना का पुरजोर समर्थन करता हूं। हमारे लिए यह भारतीय इतिहास में एक बड़ा प्रभावी कदम होगा। वर्ष 2014 से पहले भारत में किसानों की जो स्थिति थी, उसके बारे में आज पूरा देश जानता है। यूरिया और डीएपी के नाम पर कांग्रेस पार्टी के नेता गोलियां चलाते थे। मध्य प्रदेश के इनके मुख्यमंत्री ने किसानों पर गोलियां चलवाई थी। किसानों की हित की बात करने वाले कांग्रेस पार्टी के लोगों को यह याद रखना चाहिए। ये लोग एक और बात की रट लगाते हैं। जब भी वे बैठे-बैठे किसी विषय पर भाषण देंगे तो आरएसएस का नाम जरूर लेंगे। आप आरएसएस के बारे में क्या जानते हैं? आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो स्वयंसेवक होता है, वह अपने ऊपर गर्व महसूस करता है कि वह आरएसएस का स्वयंसेवक है।

याद रखना आप लोग जब तक आरएसएस का नाम लेते रहोगे, आरएसएस को कोसते रहोगे, उतने ही गड्ढे में नीचे चलते चले जाओगे, मैं यह आपको विश्वास के साथ इस सदन में कह सकता हूँ।

माननीय सभापति जी, गांवों में पहले बड़ी बुरी हालत थी। कांग्रेस के शासन में धूल भरी सड़कें, सड़क नाम की चीज नहीं, गांवों में घरों में शौचालय नहीं, पक्के घर नहीं, बरसात आ जाए तो लोग शादी-ब्याह तक के लिए तरस जाते थे।? (व्यवधान) ऐसी खराब स्थिति कांग्रेस पार्टी के शासन में गांवों की थी। आज जाकर देखिए, घरों में गैस के कनेक्शन हैं, करोड़ों शौचालय बने हैं, करोड़ों नए घर बने हैं। क्या-क्या शानदार आज हमारे ग्राम पंचायत के भवन बन रहे हैं। आज आंगनवाड़ी केन्द्र बन रहे हैं।? (व्यवधान) ये जो मनरेगा का नाम आज 'विकसित भारत- जी राम जी' अगर हो गया है, तो राम जी से इनको इतना कष्ट क्यों है?? (व्यवधान)

माननीय सभापति जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है और मोदी जी का संकल्प अटूट है और अटल है। उसे कोई रोक नहीं सकता है, वह गति के साथ बढ़ता रहेगा। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

? (व्यवधान)

श्री राजकुमार चाहर : गति शक्ति के साथ गांव भी जुड़ेगा, गांव आगे भी बढ़ेगा, गांव विकसित भी होगा और भारत भी विकसित होगा, उसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। कितना भी प्रलाप कर लो, कितना कुछ भी कर लो।? (व्यवधान)

माननीय सभापति जी, मैं एक बात कहकर अपनी बात पूरी करूंगा। कांग्रेस के समय वर्ष 2006-07 से वर्ष 2014 तक मनरेगा का बजट 11,300 करोड़ रुपये हुआ करता था, आज वही मनरेगा का बजट अब बढ़कर 33,000 करोड़ रुपये है। सभापति जी, वहीं वर्ष 2024-25 में यह बजट 86,000 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपकी बात आ गई है। श्रीमती रुचि वीरा जी।

? (व्यवधान)

श्री राजकुमार चाहर : मैं मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने गांव, गरीब, किसान और मजदूर की चिंता की। सभापति जी, यही नहीं मोदी जी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है ? (व्यवधान) और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने का काम किया है ? (व्यवधान) और आपने केवल गरीबी हटाओ के नारे लगाए। ? (व्यवधान) गरीबों के साथ राजनीति की। आपको गरीब कभी माफ नहीं करेंगे। ? (व्यवधान)

***m43श्रीमती रुचि वीरा (मुरादाबाद) :** माननीय सभापति महोदय, मैं आज इस सदन में केवल एक बिल का विरोध करने नहीं, बल्कि एक सोच, एक मंशा और एक साज़िश को बेनक़ाब करने के लिए खड़ी हुई हूँ। सरकार जिस बिल को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन के नाम से लेकर आई है, यह दरअसल मनरेगा को उसके नाम, उसकी आत्मा और उसके विचार से अलग करने की कोशिश है।

सभापति महोदय, मैं सरकार से सीधे-सीधे पूछना चाहती हूँ कि क्या नाम बदल देना ही विकास है? क्या गरीब का पेट नाम बदलने से भर जाएगा? क्या मजदूर की हथेलियों में काम शब्दों के खेल से आ जाता है? लफ़्ज़ बदल देने से हकीकत नहीं बदलती साहब, भूखे पेट को भाषणों से रोटी चाहिए। यह सदन केवल कानून नहीं बना रहा है, यह तय कर रहा है कि भारत गांधी का रास्ता चुनेगा या इतिहास से भागने वालों का। सरकार 125 दिन रोजगार का दावा कर रही है, जबकि पिछले 5 वर्षों में औसतन 50-55 दिन का ही काम दिया गया है। जब 100 दिन भी काम नहीं मिला है, तो 125 दिन केवल एक राजनीतिक भ्रम है। विधेयक में खेती के मौसम में 60 दिन तक काम रोकने की अनुमति है और राज्य की "आर्थिक क्षमता" के नाम पर कटौती का रास्ता खुला है, यानी न रोज़गार की गारंटी है, न जवाबदेही है।

माननीय सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2024-25 में यूपी में काम करने वाले 65 लाख परिवारों में से सिर्फ छह लाख को ही 100 दिन का काम मिला है। यानी 10 परसेंट से भी कम परिवारों को कानूनी अधिकार मिला है। इस 60:40 मॉडल से उत्तर प्रदेश को अकेले 3,500 करोड़ रुपये सालाना अतिरिक्त देना पड़ेगा। अभी उत्तर प्रदेश में मजदूरों का 82 करोड़ रुपये बकाया है। मेरे ही संसदीय क्षेत्र मुरादाबाद में अभी 68 लाख रुपये बकाया है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह 60:40 मॉडल ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का मनरेगा का 'राम नाम सत्य' करने का इरादा है। हम इस बिल का पूरी तरह से, पूरे दमख़म से विरोध करते हैं और सरकार को चेतावनी देते हैं कि गरीब के अधिकार से खिलवाड़ इस देश में कभी स्वीकार नहीं की जाएगी। हम महात्मा गाँधी की सोच रखने और उनके नाम को मरते दम तक जिंदा रखेंगे।

सभापति महोदय, सरकार कभी एनआरसी लाकर, कभी एसआईआर लाकर मुस्लिमों की नागरिकता को खत्म करने के लिए जो साजिश रच रही है, सेक्युलरिज्म संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, हम इसे कभी खत्म नहीं होने देंगे।

सभापति महोदय, यह देश गांधी जी के विचारों से चलेगा, संविधान से चलेगा और धर्मनिरपेक्षता से चलेगा। यह देश सावरकर के विचारों से नहीं चलेगा। 77 वर्ष पहले नाथूराम गोडसे ने गांधी जी का सीना छलनी किया था और आज 77 वर्ष बाद सरकार ने इस योजना से महात्मा गांधी जी का नाम हटाकर ?महात्मा गांधी जी अमर रहें।

***m44श्रीमती लवली आनंद (शिवहर) :** सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देती हूँ।

***m45माननीय सभापति** : लवली जी, एक मिनट रुक जाइए। मेरा सभी दलों के माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप सब लोगों ने इच्छा जाहिर की थी कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य बोलें। माननीय स्पीकर साहब ने कहा है कि आपको चर्चा का पूरा अवसर मिलेगा इसलिए सभी दलों ने बहुत ज्यादा मैम्बर्स के नाम दिए हैं। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी बात को तीन मिनट के अंदर रखिए।

***m46श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) :** सर, आप हमें भी मौका दे दीजिए।

***m47माननीय सभापति :** आपको भी मौका मिलेगा।

? (व्यवधान)

***m48श्रीमती लवली आनंद** : सभापति महोदय, मैं आज इस गरिमामय सदन में ?विकसित भारत?रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) : वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) विधेयक, 2025? पर अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए खड़ी हुई हूं। यह विधेयक केवल मनरेगा में संशोधन भर नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण भारत के भविष्य की नई रूपरेखा है। यह उस सोच का प्रतीक है, जिसमें रोजगार केवल मजदूरी तक सीमित नहीं, बल्कि आजीविका, कौशल, उत्पादकता और आत्मनिर्भरता से जुड़ा हुआ है।

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि सरकार ने कभी भी मनरेगा की उपलब्धियों को नकारा नहीं है। मनरेगा ने कठिन समय में ग्रामीण गरीबों को रोजगार दिया है और पलायन को रोका है तथा आपदा के समय सुरक्षा कवच का कार्य भी किया है, लेकिन आज देश वर्ष 2006 के भारत से अलग है। आज भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखता है। आज युवाओं की आकांक्षाएं बदल चुकी हैं, इसलिए नीतियों का समय के साथ विकसित होना अनिवार्य है।

माननीय सभापति महोदय, कुछ विपक्षी मित्र यह भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार मनरेगा को कमजोर कर रही है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहती हूँ कि यह विधेयक मनरेगा को खत्म नहीं करता है। यह गरीबों का अधिकार नहीं छीनता है, बल्कि यह उन्हें भविष्य के लिए और सक्षम बनाता है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री एवं विकास पुरुष नीतीश कुमार जी, हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और हमारे यहां कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी यह सोच रखते हैं कि गांव के युवा हमेशा मजदूरी पर निर्भर न रहे। वे आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और ज्यादा कुशल बनें तथा सभी सम्मानजनक जीवन जिएं।

माननीय सभापति महोदय, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार का स्पष्ट विजन है ? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि ?विकसित भारत?रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) : वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) विधेयक, 2025? ग्रामीण भारत को मजदूरी से आजीविका की ओर, निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाला एक ऐतिहासिक कदम है। मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करती हूं और सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करती हूं कि वे दलगत भावना से और राजनीति से ऊपर उठकर इस जनहितकारी विधेयक का समर्थन करें।

***m49श्री राजा राम सिंह (काराकाट) :** सभापति महोदय, यह बिल लाकर के सरकार ने गरीबों का जिम्मा लेने से हाथ झाड़ लिया है। यह साफ तौर से पहले एक रोजगार गारंटी की बात थी और अब राज्यों को हिस्सेदार बनाकर इसने गरीबों की पूरी जवाबदेही लेने से इनकार कर दिया है। इससे पहले के परमाणु बिल में आप निजीकरण कर रहे हैं और लोगों के मरने के बाद या विकिरण का शिकार होने के बाद पूंजीपतियों पर कोई जवाबदेही नहीं डाल रहे हैं।

दूसरी तरफ गरीबों के मामले में वे साफ भाग खड़े हो रहे हैं। मैं दो वजहों से इसका विरोध करता हूं। एक तो इसमें जो 'जी राम जी' है, पूरे उत्तरी भारत में बड़े पैमाने पर दलित जातियों के टाइटल 'राम' होते हैं। यह एक तरह से अपमानजनक शब्द के रूप में देखा जाएगा। यह इस रूप में पुकारना कि 'जी राम जी हम आ गए आपके यहां।' इसलिए इसका यह नामकरण तो बिलकुल ही उचित नहीं है, बल्कि आपको 'रोजी ग्राम' करना चाहिए था। उससे गांव की ओर रोजी-रोजगार का मामला हो सकता था। जब यह महात्मा गांधी जी के नाम पर था, तो कम-से-कम यह लगता था कि आजादी के आंदोलन के सबसे बड़े नेता के नाम पर है। एक तो आपने इसे बदल दिया, दूसरा यह कहना है कि आज गरीबों की आमदनी का उचित साधन नहीं है। खेती में मशीनीकरण हो जाने की वजह से उन्हें तीन महीने भी रोजगार नहीं मिलते हैं। इसलिए इसमें कम-से-कम 200 दिन की रोजगार की गारंटी का कानून बनना चाहिए। 125 दिनों से काम नहीं चलेगा।

महोदय, तीसरी बात जो मुझे कहनी है कि जिन लोगों को इस योजना में शामिल किया गया है, उनके पक्के घर की गारंटी, उनके पलायन पर रोक की गारंटी ये इसके जरिए होनी चाहिए। चूंकि यही लोग खेती संभाल करके बंटाईदार भी बने हुए हैं और खेती घाटे में है, जिसकी वजह से

आत्महत्याएं भी करनी पड़ रही हैं।

अंतिम बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास काम का अभाव है, तो आप इसे खेती से जोड़ दीजिए। यह जो बात कही जा रही है कि इस योजना के तहत 60 दिनों तक हम इसमें मजदूरों से काम नहीं करवायेंगे, तो इसका उल्टा होना चाहिए।

***m50SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI (MACHILIPATNAM):** Thank you, Sir.

I rise today to speak in support of the G RAM G Bill, 2025, which seeks to transform rural employment and livelihood in our country. Before I speak on this Bill, I would like to thank the hon. Rural Development Minister and the hon. Finance Minister for releasing Rs. 988 crore pending dues under NREGA to Andhra Pradesh.

As we all know, change shall happen to bring perfection in the Act. By this Bill, my NDA Government proposes to amend this scheme to the present-day requirements. This Bill represents an important step in aligning rural development with the vision of a Viksit Bharat where growth is inclusive, sustainable, and future-ready.

First and foremost, the Bill proposes to increase guaranteed employment from 100 days to 125 days for rural households. This is a major positive step and a welcome move by the Government. For millions of rural families, wage employment under this scheme is not just work, but it is food security, dignity, and survival during difficult times. Increasing the number of workdays will definitely improve household income and reduce distress migration.

Secondly, the new framework places stronger emphasis on creating durable and productive assets. Like with this Bill, this scheme will be focusing on water conservation, rural infrastructure, climate-resilient works, and livelihood assets. This scheme moves beyond temporarily relief. These assets will strengthen villages in the long run, improve agricultural productivity, and help rural India more effectively.

Another important reform is better planning and coordination. The integration of village-level plans with national platforms and digital tools like aligning it with the PM Gati Shakti ensures that works are meaningful, well-designed, and aligned with local needs.

This will reduce duplication, improve efficiency and ensure that public money is spent wisely. This Bill also promises faster wages payment with the move towards weekly disbursement. Timely payments are crucial for rural workers who depend on daily cash flows for basic needs.

Sir, faster payment will increase trust in the system and enhance the dignity of labour. The Central Government has given this responsibility to the States in the form of States' contribution.

HON. CHAIRPERSON: Your point is well taken.

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI: Sir, on behalf of my Party, Jana Sena and my Party leader, Shri Pawan Kalyan ji, I once again support this Bill.

***m51सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे (शोलापुर) :** सर, मैं आपका तहेदिल से शुक्रिया करती हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया।

सभापति महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि यह सरकार अब योजनाओं के नाम बदलने के साथ-साथ देश का इतिहास भी बदलने लगी है? क्या अब नाम बदलना ही सुशासन है? देश की गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई से ज्यादा जरूरी महापुरुषों के नाम बदलना हो गया है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसने देश के करोड़ों गरीब लोगों को सम्मान के साथ रोजगार दिया। आज उसमें से महात्मा गांधी जी का नाम हटाने का काम सरकार कर रही है। सरकार नाम बदलना चाहती है, पहचान बदलना चाहती है। मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि क्या नाम बदलने से इतिहास बदल जाएगा? आपने इंदिरा आवास योजना से इंदिरा गांधी का नाम हटाया। आपने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से राजीव गांधी जी का नाम हटाया। आपने संविधान बदलने की साजिश की। आप संविधान से जुड़े बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम भी मिटाने की साजिश एक दिन करेंगे। लेकिन, आप यह समझ लीजिए कि इस देश का युवा चुप नहीं बैठेगा। देश में ऐसा सैलाब आएगा कि आपकी इस सत्ता की मगरूरी को कुछ क्षणों में ही बर्बाद कर देगा। महात्मा गांधी जी ने देश के लिए गोली खाई। नंगे पांव आजादी की लड़ाई लड़ी और आज उनका ही नाम इस सरकार के लिए बोझ बनने लगा है। लेकिन आप यह सुन लीजिए कि यह देश किसी पार्टी का नहीं है, किसी सरकार का नहीं है, यह देश शहीदों का देश है और शहीदों का नाम सरकारें नहीं मिटा सकती हैं। महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, डॉ. अम्बेडकर जी केवल नाम नहीं है, ये देश की आत्मा है, हमारी आत्मा है।

सभापति महोदय, ?जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है।? महोदय, पीएम मोदी जी ने एक बार इसी सदन में मनरेगा को बदनाम करते हुए इसे गड्ढे खोदने वाली योजना बताया था। ? (व्यवधान) इसमें आजीविका बनाए रखने और ग्रामीण गरीबी से लड़ने के लिए बनाए गए इस ऐतिहासिक अधिकार आधारित योजना और कानून के महत्व के बारे में इनकी सीमित सोच पता चलती है।

महोदय, गरीबों के खिलाफ मोदी सरकार ने बजट में कटौती की। यह योजना एक लाख करोड़ रुपये की योजना थी जो आज 86 हजार करोड़ रुपये की हो गयी है। महोदय, मैं अभिमान के साथ कहना चाहती हूं कि इस योजना का जन्म महाराष्ट्र में हुआ। नरेगा योजना एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के नाम से यह जानी जाती है। कोविड में इसी योजना ने किसानों की रीढ़ की हड्ढी बनकर किसानों को आधार दिया। इस कानून ने महाराष्ट्र मॉडल को पूरे देश में लागू किया और ग्रामीण परिवारों को सौ दिनों की मजदूरी दी।

माननीय सभापति : आपकी बात रिकॉर्ड में आ गयी है।

सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे : सर, मैं खत्म कर रही हूं। लेकिन आज इस योजना को 60:40 रेश्यो में कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जहां पर इनकी सरकार है, वह तय करेगी कि योजना कब लागू होगी, कितने दिन लागू होने वाली है और कितने इलाकों में लागू होने वाली है। जहां इनकी सरकार नहीं है, वहां 60:40 का रेश्यो ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude.

सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे : सर, ये बिना काम के अपना नाम करना चाहते हैं। बिना बुनियाद के इमारत बनाना चाहते हैं। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपकी बात रिकॉर्ड में आ गयी है।

सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे : सर, अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूं, मैं सोच रही थी कि गांधी जी का नाम इस योजना के साथ नहीं जुड़ रहा है तो अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि गांधी जी का नाम किसी कमजोर योजना से नहीं जुड़ सकता है। गांधी जी मजबूती के प्रतीक हैं। ? (व्यवधान)

***m52डॉ. लता वानखेड़े (सागर) :** धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आज इस पवित्र सदन में केवल विधेयक का समर्थन करने के लिए नहीं खड़ी हुई हूं, बल्कि मैं आज उस ग्रामीण भारत की आवाज बनकर खड़ी हुई हूं, जिसने दशकों तक मेहनत की, परन्तु योजनओं की सीमाओं में बंधकर कभी अपने काम का पूरा फल नहीं पाया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, उम्मीद और आकांक्षाओं के नायक माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में माननीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री, संवेदनाओं के संवाहक माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूं, जो इस विकसित भारत की संकल्पना का प्रमुख आधार ग्रामीण विकास की नींव को मजबूत करने की दिशा में यह विधेयक लाए हैं। मंत्री जी विकसित भारत- रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 लेकर आए हैं। आज यह सदन 'विकसित भारत - जी राम जी' पर विचार कर रहा है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहती हूं कि यह विधेयक मनरेगा का विकल्प नहीं है, बल्कि मनरेगा के अनुभवों से निकला हुआ उसका परिपक्व और दूरदर्शी स्वरूप है। यह भारत है, जहां विकास के साथ संस्कार चलते हैं। अर्थव्यवस्था और आत्मा दोनों सशक्त होती हैं। जहां राम राज्य की भावना न्याय कर्तव्य और गरिमा नीति-निर्णय का आधार बनती है।

सभापति महोदय, राम राज्य का अर्थ केवल धार्मिक नहीं है, राम राज्य का अर्थ है कि कोई भूखा न सोए, सभी को समान अधिकार मिले और श्रम करने वाले हाथों को सम्मान मिले। राम राज्य वह नहीं, जहां सिंहासन ऊंचा हो, बल्कि राम राज्य वह है, जहां अंतिम जन सुरक्षित हो। यह विधेयक उसी राज्य की आधुनिक अभिव्यक्ति है, जहां ग्रामीण गरीब को 125 दिनों तक कानूनी अधिकार मिलता है।

सभापति महोदय, यह विधेयक नये भारत की आवश्यकता है। अगर मनरेगा अपने उद्देश्य में पूर्ण सफल होता तो आज करोड़ों ग्रामीण मजबूरी में शहरों की झुग्गियों में दिहाड़ी की तलाश में क्यों भटकते। यह प्रश्न इस विधेयक की आवश्यकता को जन्म देता है।

सभापति महोदय, मनरेगा की खामियों को यूपीए की सरकार ने कभी नहीं सुधारा। हमें सच्चाई से भागना नहीं चाहिए। मनरेगा के काम के परिणाम नहीं केवल हाजिरी मायने रखती थी। परिसंपत्तियां   बनीं, लेकिन उपयोगिता नहीं। भुगतान में देरी, लीकेज और भ्रष्टाचार आम रहा। मजदूर कभी विकास का भागीदार नहीं बना।

सभापति महोदय, ग्रामीण भारत नारा नहीं, राष्ट्र की आत्मा है। गांव भारत की रीढ़ है। जिस मिट्टी ने देश को पहचान दी, उस मिट्टी को हमने अधिकार दे दिया। लेकिन, दुर्भाग्य से दशकों तक ग्रामीण भारत को घोषणाओं, वायदों और चुनावी जुमलों तक रखा। यह विधेयक रोजगार से स्वामित्व की ऐतिहासिक छलांग है। विकसित भारत की 'जी राम जी ' विधेयक पहली बार रोजगार को स्थायी परिसंपत्ति निर्माण से जोड़ता है। यह केवल मजदूरी नहीं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव है। यह सब हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री जी की परिणाम आधारित सोच का परिणाम है। यह सोच का नतीजा है। अब काम नहीं बदलाव गिना जाएगा। अब गिनती इस बात की नहीं होगी कि कितने दिन काम हुआ, अब गिनती इस बात की होगी कि गांवों में क्या बदला, कितना पानी बचा, कितनी भूमि उपजाऊ हुई, और कितनी आय बढ़ी। यदि परिणाम आधारित विकास यही है तो यह न्यू इंडिया की सोच है।   ? (व्यवधान) महोदय, मुझे एक मिनट का समय दे दीजिए। मैं विकास के साथियों से पूछना चाहती हूं कि आपने दशकों तक इस देश पर राज किया, आप परिणाम आधारित मॉडल क्यों नहीं लाए? आपने जलवायु सक्षम ग्रामीण योजना क्यों नहीं बनाया? आपकी स्थायी परिसंपत्तियों पर सोच क्यों नहीं हुई? ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय जी।

***m53प्रो. सौगत राय (दम दम) :** सर, मैं संक्षेप में बोलूंगा। मुझे दुख है कि एक हंसमुख मंत्री जी को गांधी जी का नाम हटाने की जिम्मेदारी दी गयी है। यह खराब काम होगा, तो देश में प्रोटेस्ट होंगे। माननीय मोदी जी बोलेंगे कि मैंने नहीं किया, शिवराज सिंह चौहान जी ने किया, क्योंकि एक समय वे मोदी जी के राइवल बन रहे थे। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप यह कैसे जानते हैं कि मोदी जी क्या बोलेंगे? सौगत राय जी आप कैसे जानते हैं? माननीय मंत्री जी आपकी बात को सुन रहे हैं।

? (व्यवधान)

***m54प्रो. सौगत राय :** सर, महात्मा गांधी जी का नाम हटाना, सिर्फ महात्मा गांधी जी का अपमान नहीं है, यह गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी का भी अपमान है, क्योंकि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि गांधी जी को दी थी। आज मोदी जी इस नाम के खिलाफ क्यों हैं? इसलिए, क्योंकि गांधी जी को मारने में जो लोग थे, उसमें एक सावरकर थे, जिसको मोदी जी गुरु मानते हैं। सावरकर के समर्थक आज गांधी जी का नाम हटा रहे हैं। खास करके मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी इसी हाउस में एक बार बोले थे कि यह नरेगा क्या है? यह केवल गड्ढा खोदने की स्कीम है, तो वे अभी इस स्कीम का गड्ढा खोद रहे हैं, इसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों?

महोदय, आज कई लोग बोले हैं कि नरेगा में पहले यह मानदंड था कि 90 प्रतिशत केंद्र देगा और 10 प्रतिशत स्टेट देगा, लेकिन इस बिल में इसे बदल दिया गया है कि 60 प्रतिशत सेंटर देगा और 40 प्रतिशत स्टेट देगा। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ कि राज्यों का फाइनेंस पहले से ही खराब है।

***m55माननीय सभापति :** यह 75:25 है।

***m56प्रो. सौगत राय :** अगर स्टेट 40 पर्सेंट नहीं दे पायेगा, तो स्कीम फॉल थ्रू करेगी। यह बहुत ही खतरनाक साजिश इस स्कीम को खत्म करने के लिए है। मैं मांग करता हूं कि 125 दिन, 150 दिन गरीबों का काम होना चाहिए। मैं यह भी मांग करता हूं कि यह डिमांड ड्रिवेन स्कीम थी, वह ऐसी ही रहनी चाहिए। इसे शिवराज सिंह जी ने जो बनाने की कोशिश की है, वह सप्लाई ड्रिवेन स्कीम हो जाएगी। जब पैसा खत्म हो जाएगा, तो बंद हो जाएगी और गरीब से बोला जाएगा कि तुम्हारा पैसा नहीं है। पहले इसमें यह था कि गरीब जाकर काम मांगेगा, उसको काम मिलेगा, लेकिन अब यह नेसेसरी नहीं है।

मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन एक बार टैगोर जी ने एक कविता लिखी थी, मैं उसे थोड़ा चेंज करके बोल रहा हूं-

Once, Rabindranath Tagore wrote a poem, and I will slightly tweak its lines to suit the present occasion: those who killed him to prove themselves to be great Hindus have been reborn in this age; they have now entered the temple disguised as devotees.

एक दिन जो आपको हिंदू धर्म के नाम पर मारा था, ये लोगों को फील पैदा हुआ और वह अभी भक्त बन रहा है।

सर, अंत में, मैं इतना कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, इसके पहले पश्चिम बंगाल का ड्यूज है, 22 साल के बाद नरेगा में पश्चिम बंगाल को कोई पैसा नहीं मिला। जब गिरिराज सिंह जी मंत्री थे, तो हमारे सारे एमपी उनसे मिलने गए थे, तो गिरिराज सिंह पीछे के दरवाजे से ... गिरिराज सिंह जी आप बोलिए कि पश्चिम की मांग पूरी होगी या नहीं? हमारा ड्यूज है। हमारे 59 लाख रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं और टोटल हमारा 52 हजार करोड़ रुपये का ड्यूज है। क्या पश्चिम बंगाल के गरीब, गरीब नहीं हैं?

माननीय सभापति : कृपया समाप्त करें।

प्रो. सौगत राय : सर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में यह योजना तीन साल कैसे चली? क्या आप लोग इसकी खबर रखते हैं? नहीं रखते हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया कि 1 अगस्त से नरेगा स्कीम स्टार्ट करनी चाहिए। केंद्र सरकार उसके खिलाफ, गरीबों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसके केस को डिसमिस कर दिया, लेकिन अभी तक नरेगा का पैसा रिस्टोर नहीं हुआ और पचास स्पेशल कंडीशंस लगा दीं। हम इससे घबराते नहीं हैं। ममता बनर्जी जी ने पश्चिम बंगाल में ?कर्मश्री? स्कीम चालू की है। उसमें 51 लाख लोगों को फायदा मिल रहा है।

***m57SHRI MALAIYARASAN D. (KALLAKURICHI):** Hon. Chairperson Sir, Vanakkam. This MGNREGA was enacted in the year 2005 during the Congress Government. Implementation of this MGNREGA Scheme started in the year 2008. Now as a replacement to this Scheme, this Government has brought out Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Aajeevika Mission (Gramin) Bill 2025. I strongly condemn this Bill.

The aim and objectives of MGNREGA are to provide jobs to rural people, to improve the livelihood of people in rural areas, construction of individual toilets and improving public health, to construct new village roads, to create natural resources by planting shadow-giving and fruit-bearing trees, and to help in the livelihood of old aged persons and disabled persons by providing work. With a view to put an obstacle and to deface it, the Union Government has brought a new Bill. I strongly condemn this act of the Union Government. MGNREGA was successfully implemented by the hon. Chief Minister of Tamil Nadu Shri M.K. Stalin and hon. deputy Chief Minister of Tamil Nadu Shri Udhayanidhi Stalin. But the required funds are not released by the Union Government.

There were several agitations held in support of the people of Tamil Nadu for receiving funds. Therefore I urge through you that necessary funds should be immediately released to Tamil Nadu. The spending pattern will be 40 per cent on the part of the States. This may further add to the financial burden of the State as it requires Rs. 4000 crore to Rs. 4500 crore every year for implementation of these Schemes.

Further there is a pressure on the social welfare Schemes implemented by the State Government. And during sowing and harvestseasons, for 60 days there will be no work provided under this Scheme by the Union Government, This will result in the drought prone areas of Tamil Nadu directly. The order for providing 125 man days of work is again a guarantee just on paper. This Bill will affect the lives and livelihood of almost 24 crore farm labourers as they find very difficult to fulfil their basic needs, employment and economic requirements. This Union Government rather acts against their welfare. The way they killed Mahatma Gandhi, they brought this Bill to kill all the farmers, farm labourers and daily wagers. On behalf of Dravida Munnetra Kazhagam, DMK, I strongly condemn the Bill.

Thank you.

***m58श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) :** मोहतरम चेयरपर्सन साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक अहम बिल पर बोलने का मौका दिया। इस वतन ए अजीज के गरीब, बेरोजगार और भूखे लोग, इस ऐवान में मौजूद बरसरे इक्तेदार जमात के लोगों को एक पैगाम देना चाह रहे हैं। शायर ने कहा कि भूखों की नजर में बिजली है, तोपों के दहाने ठंडे हैं, तकदीर की लब पे जंबिश है, तदबीर दम तोड़ रही है। सर, इस तरह का एक कानून बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे गरीबों को फायदा होता था, आज वह कानून जो डिमांड ड्रिवेन गारंटी था, इसको हुकूमत बदलकर एक मरकजी मुआविन स्कीम के तौर पर नाफिज करना चाहती है। जब तक किसी पंचायत को नोटीफाई नहीं किया जाएगा, उस पंचायत में काम नहीं होगा। हुकूमत की पॉलिसी हमेशा यह रही है कि हर अख्तियार को हासिल करना चाहते हैं और एक डिक्टेटर की तरफ वह हुकूमत को चलाना चाहते हैं। आप बताइए कि मरकजी हुकूमत यह कैसे फैसला करेगी कि एक डिमांड ड्रिवेन गारंटी को, आप रियासत को

बोलेंगे, नार्मेटिव एलोकेशन कर दिया जाएगा और अगर कोई रियासत उससे ज्यादह इख़राजात करती है तो फिर उनको उसका बोझ उठाना पड़ेगा। मुतालिब और मुबोदी गारंटी को एक सप्लाई डिमांड प्रोग्राम पर तब्दील किया जा रहा है।

सर, साल में 60 दिन ब्लैकआउट होगा, तब किसी को काम नहीं मिलेगा। इस 60 दिन के ब्लैकआउट से खवातीन को और जिनके पास जमीन नहीं है, लैंडलेस लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। यह कानून अगर बनेगा, तो जमींदार खुशियां मनाएंगे और गरीब उस जमींदार के रहमोकरम पर रहेगा।

सर, नव्वत फीसद जिसमें इजरत मैटेरियल लागत और इंतजामियत अखरजात मरकजी हुकूमत को बरदाश्त करना पड़ता था, आज नव्वत से साठ फीसद कर दिया गया और चालीस फीसद रियासती हुकूमत पर यह बोझ डाल दिया गया। मकसद एक ही है कि उस कानून को कत्ल कर दिया, खत्म कर दिया जाए। भारत में ऐसी कौन सी रियासत है, जिसके पास पैसे हैं, आप बताइए। मार्च के महीने में हर रियासत अपना बजट बनाएगी। कौन सी रियासत के पास पैसा है? यह मालूम हो रहा है कि सरकार गरीबों के खिलाफ है। यह गुरबत का खात्मा नहीं करना चाहती। आधार और डिजिटल निजाम - आप जानते हैं कि मजदूर की उंगलियों के निशानात नहीं मिलते, क्योंकि वह गरीब इतनी मेहनत करता है कि उसके निशान मिट जाते हैं। बायोआथेंटिकेशन की बात होती है। जुलाई, 2025 में एनएसएस की रिपोर्ट है कि बायोमीट्रिक से नुकसान हो रहा है।

महोदय, मैं इस स्कीम और कानून के खिलाफ हूं। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए कहना चाहता हूँ कि किसी शायर ने कहा था -

जिस खेत से दहक़ाँ को मयस्सर नहीं रोज़ी

उस खेत के हर ख़ोशा-ए-गंदुम को जला दो।

सर, बिहार में पलायन हो रहा है, सीमांचल में हो रहा है। सीमांचल में डेढ़ करोड़ लोग पलायन करते थे, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब अगर यह कानून बनेगा तो तादाद बढ़ जाएगी। भारत का गरीब देख रहा है, भूखा देख रहा है, इसका जवाब जरूर देगा।

***m59श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) :** माननीय सभापति जी, मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि भारत में गरीब, आम आदमी, खेतिहर मजदूर, बंधुआ मज़दूर, बटाईदार और किसान रहते हैं, खास तौर पर जहां सबसे ज्यादा अप्रवासी मजदूर पलायन करते हैं, वह बिहार की तीन हिस्से जगह है। सीमांचल, कोसी, मिथलांचल में लगभग चार करोड़ लोग बाहर रहते हैं। पंचाायती राज व्यवस्था की शुरूआत राजीव गांधी जी ने की थी ताकि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। केंद्र सरकार पंचायती राज व्यवस्था पर लगातार हमला करती जा रही है और गांवों में प्रधान, ब्लॉक प्रमुख सिस्टम पर पदाधिकारियों का राज बिठाया जा रहा है।

महोदय, मैं आग्रह करूंगा कि इस बिल में पंचायती राज व्यवस्था और ब्लॉक को अलग न किया जाए और साथ ही साथ एमपी और एमएलए को इसमें मेंडेटरी किया जाए ताकि किसी भी पदाधिकारी को गरीब आदमी के अधिकार छीनने का राइट न मिल सके। पहले यह प्रावधान था कि 15 दिनों के अंदर जॉब देते थे, अब तो जॉब कार्ड भी नहीं है। दस सालों से मजदूरों के जॉब कार्ड बनने में दिक्कत आ रही है, नहीं बन पा रहे हैं। महंगाई बढ़ गई है लेकिन आज तक मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ी है, उल्टा इसे घटा दिया गया है। जब कोविड आया तो मजदूरों की मजदूरी घटाई गई, कानून लाकर घटाई गई और फिर इसे नहीं बढ़ाया गया।

महोदय, आप हमें संरक्षित करें। देश में 120 करोड़ गरीब लोग हैं। 120 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है और लगभग 85 करोड़ लोगों को पांच किलो अनाज मिलता है। आप कह रहे हैं कि 40 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार देगी। राज्य सरकार 40 प्रतिशत पैसा कहां से देगी? आप हमारे गार्जियन हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत सरकार 90 प्रतिशत पैसा देती थी और अब आप कह रहे हैं कि पहले पैसा दो। हम किसे देंगे? किस राज्य को देंगे? कौन सा काम करवाएंगे? किस क्षेत्र के लिए देंगे? आप यह सब यहां बैठकर कैसे तय कर सकते हैं?

मेरा आपसे आग्रह है कि मजदूरों के अधिकार न छीने जाएं। 15 दिनों का भुगतान हो और जो भुगतान देने में देरी करे, उसकी एकाउंटेबिलिटी हो। महात्मा गांधी जी नेशन ऑफ फादर हैं और दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करती है, आत्मसात करती है।

***m60SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE):** Sir, I am strongly opposing this bill that renames the MGNREA act as well as to destroy its fundamental character.

Sir, at this juncture, I demand that the government should make clear the real intention of changing this name. Sir, I kindly urge the government to make it clear whether the change is ideological, political, economical or enmity towards Gandhiji. Sir, the first terrorist attack in India happened on January 30th 1948. Our father of the nation, a sanatan hindu and a humanist who upheld ahimsa, truth and righteousness was murdered not by a Muslim, Christian or Sikh. But by a religious fanatic Nathuram Vinayak Godse, a Hindu Mahasabha leader.

Sir, by changing the name of Gandhiji from this scheme, BJP is strengthening his soul. Sir, you are afraid of Gandhiji?s name sir. ? (*Interruptions*) Here one thing is clear, Gandhiji who is no more sir. ? (*Interruptions*)

Sir, this is an era that proves that the deceased Gandhiji is far more powerful than the living Gandhi. Sir one thing is very clear, sir, the memories of Gandhiji will follow BJP like a shadow sir. Sir, there is no need for dispute for you sir. When we talk about this programme naturally, this revolutionary programme was the contribution of Prime Minister Manmohan Singh with the support of respected Sonia Gandhi. Not only that sir, this scheme ensured livelihood to crores of families in villages for the last 20 years. But today this bill, this policy is brought here to destroy this scheme, sir.

Sir, the core of this law is the system where the government must be legally responsible if it is unable to provide employment. However, the new bill has eliminated this rights-based nature.

This is not a reform Sir, this is a move to destroy this scheme. Sir, one this is very clear Sir, earlier, in this scheme, 90 per cent of total fund was sponsored by the central government. But now this has changed to 60 per cent by the central government and 40 per cent by the state government. This means that it is trying to strangulate, choking this bill to death. A scheme initiated by Congress, implemented by congress, is a revolutionary programme in the world. I have to point out that all the members in this house, especially the NDA parties must be vigilant about these attempts to eliminate this programme. Let me tell you one more thing sir, while strongly opposing this bill, I have to say that, this was a strike on Gandhiji?s vision of Grama Swaraj. So I am humbly requesting not to pass this bill and send it to the Standing Committee immediately. I am concluding my speech.

Thank you. Jai Hind.

22.00 hrs

माननीय सभापति : अगर सदन की सहमति हो, तो सदन का समय रात्रि 12 बजे तक बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : जी हाँ।

***m61SHRIMATI MALVIKA DEVI (KALAHANDI):** Sir, I rise today to speak in strong support of ?The Viksit Bharat ? Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission Bill, 2025?, a Bill that does not merely speak of employment but restores dignity to labour, hope to villagers and justice to aspirational India.

Chairperson Sir, for decades, our villagers have supplied labour to cities but development has stuck at the city gates. This Bill dares to reverse this injustice. रोज़गार पर केवल शहरों का ही अधिकार नहीं है, इस पर गांव का भी अधिकार है। आज मोदी जी की सरकार ने यह कर दिखाया है।

Today?s Bill is like a blessing of Modi ji for the people of Nuapada and kalahandi. We are extremely thankful to him.

This Bill provides employment where people live and will not have forced migration. The biggest tragedy of rural India is not poverty alone. It is forced migration. Young people are forced to leave their homes, their parents and their land not by choice but by compulsion. Kalahandi ? Nuapada people are well aware of this. The VB G RAM G Bill promotes local employment generation. Industries hire from nearby Gram Panchayats. मजदूरों का पलायन राष्ट्र के लिए कभी भी लाभदायक नहीं होता। This Bill clearly says jobs should reach people, not the other way round. We are now giving 125 days of wage employment which is guaranteed under Section 5 instead of hundred days of employment.

This Bill gives priority to local youth, which is a moral and economic imperative.

Chairperson Sir, where the industries are set up on local land using local resources, is it not fair that the local youth gets the first opportunity? This Bill ensures preference to local candidates.

This Bill helps to have skill linkage programmes aligned with industries. जमीन गांव की, संसाधन गांव का, तो नौकरी भी गांव के युवाओं के लिए हो।

* This bill will bring more employment opportunities for the local youth of Nuapada and Kalahandi*

VB?G RAM G Bill connects skill training directly to employment, mandates placement-linked skilling, and creates district-wise skill planning. रोजगार सिर्फ वादा नहीं, जिम्मेदारी है, जिसे मोदी जी की सरकार निभा रही है। It creates partnership, and not exploitation.

VB?G RAM G Bill ensures that States can notify a pause period of about 60 days during sowing and harvesting, which is the biggest blessing for the people of Kalahandi and Nuapada as during sowing and harvesting seasons, people do not get workers for their farms. Poor farmers have to take loans and hire machines for it. I thank again Modiji for thinking for our farmers.

Section 6 mandates a notified pause of up to 60 days. This Bill tells the youth, our rural youth: You are not forgotten. Your birthplace is not your limitation. Your future does not lie only in migration. This Bill strengthens

aspirational and backward districts like Kalahandi and Nuapada. Special focus on aspirational districts is given in this scheme.

सभापति महोदय, मैं इस सदन में विधेयक के नाम के बारे में विनम्रता से कहूंगी कि विपक्ष की तरफ से बहुत निरर्थक आपत्ति जताई गई है। यह सदन लोकतंत्र का मंदिर है। महात्मा गांधी जी का स्वप्न ग्राम स्वराज था। विकसित भारत ? जी राम जी विधेयक, 2025 बापू के इस स्वप्न को साकार करता है। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले यह जरूर कहना चाहूंगी कि महात्मा गांधी जी स्वयं रामभक्त थे। 125 दिन की गारंटी का विधेयक राम राज्य के इस स्वप्न को पूरा करती है और विकसित भारत की नींव रखती है। मैं विपक्ष को यह समझाना चाहती हूं कि राम का जो विरोध करते हैं। ? (व्यवधान)

***m62श्री बाबू सिंह कुशवाहा (जौनपुर) :** माननीय सभापति महोदय, सरकार द्वारा विकसित भारत - रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) : वीबी - जी राम जी (विकसित भारत - जी राम जी) विधेयक, 2025 लाया गया है, मैं आज इस सदन में उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, यह बिल सीधे नहीं, बल्कि पिछले दरवाजे से मनरेगा को कमजोर करने और समाप्त करने का प्रयास है। विकसित भारत का जो चित्र दिखाया जा रहा है, उसमें गरीब, किसान और मजदूर की तस्वीर गायब है। मनरेगा कोई साधारण योजना नहीं हैं, बल्कि काम मांगने पर काम पाने का कानूनी अधिकार था, जो गांधी जी के ग्रामीण स्वावलंबन के विचार पर आधारित था। आज सरकार इसका नाम बदलकर 125 दिन का वादा कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब आज तक औसतन 50 से 55 दिन का काम मिल पाया है, तो 125 दिन का वादा सुनकर गांव के मजदूर अभी से पूछने लगे हैं कि काम मिलेगा या सिर्फ कैलेंडर बदला जाएगा?

सभापति महोदय, अभी तक मनरेगा में मजदूरी का 90 प्रतिशत भार केन्द्र सरकार पर था और 10 प्रतिशत भार राज्य सरकारें वहन कर रही थीं। आज 60-40 का फार्मूला लाया गया है। इसका सीधा अर्थ है, जो गरीब राज्य हैं, जैसे बिहार, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश हैं, उन पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा व आर्थिक दबाब बढ़ेगा। ये राज्य कहां से यह खर्च उठा पाएंगे? मैं जानना चाहता हूं कि गरीब राज्यों की जेब काटकर भारत कैसे विकसित बनेगा? यह संघीय ढांचे की भावना के विरुद्ध है।

महोदय, मनरेगा में महिलाएं, दलित और आदिवासियों को सम्मान और आत्मनिर्भरता मिलती थी। आज ग्राम सभा सामाजिक कार्य और विकेन्द्रीकरण की जगह सब कुछ नौकरशाही के हाथों में दिया जा रहा है। डिजिटल व्यवस्था हो रही है, लेकिन जहां नेटवर्क ही नहीं है, जहां नेट ही नहीं काम करेगा, ऐसा न हो कि मजदूर जमीन पर काम तो कर रहा हो, लेकिन सर्वर में उसका नाम खो जाए। मनरेगा से तालाब, सड़क संरक्षण और हरियाली दी है। नई योजना में पर्यावरण और टिकाऊ संपत्ति का कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं है।

सभापति महोदय, मनरेगा में समस्याएं थीं, फंड्स की देरी थी, निगरानी की कमी थी, लेकिन उसमें सुधार की जगह पूरी योजना का नाम बदल देना समाधान नहीं है। नाम बदलने से न रोजगार बढ़ता है, न ही भूख मिटती है, यह सिर्फ राजनीतिक दिखावा है। मनरेगा को खत्म करने जैसे इस विनाशकारी कदम का मैं पुरजोर विरोध करता हूं।

महोदय, मैं आपसे एक अपील करता हूं कि मजदूरी पर ध्यान दीजिए। अभी 234 रुपये मजदूरी है। 234 रुपये में 50 से 55 दिन काम मिलता है। अगर आपको 125 दिन काम देना है और इसका नाम बदलना है, तो 500 रुपये मजदूरी करिए और पूरे 125 दिन काम दीजिए। अगर आप 125 दिन भी काम देंगे, तो साल भर में एक मजदूर को 62,500 रुपये मिलेंगे, जो सिर्फ 5,200 रुपये प्रतिमाह है। आज की जो स्थिति है, अगर हम 234 रुपये के हिसाब से 125 दिन का काम जोड़ें, तो उसे सिर्फ 2,500 रुपये मिलेंगे। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार इस पर ध्यान दे।

***m63SHRI S. VENKATESAN (MADURAI):** Hon. Chairperson Sir, Vanakkam. This Government has placed two sorrows on the people of our country. Although there are several Schemes with the Union Government, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme is the only Scheme through which the funds of the Government directly reaches the last mile beneficiary in our country. You have snatched away that Scheme too. You have stolen the smiles of our poor men and women. On the other side, you have thrown open the several thousand crore worth Nuclear Energy Sector to the private players and Corporate giants. These are the two biggest sorrowful deeds that you did today in this august House. On one side, for the employment of poor people, you make biometric attendance compulsory. On the other side, you have extended uncontrollable freedom to the Corporates for using chemical elements and minerals which may create disasters. This is an atrocity. Just think about that. This 100 day employment Scheme was till now listed as a right for providing jobs. You do not like giving rights and hence you have taken away that right from our people.

This Scheme of providing jobs has now become a welfare and service providing Scheme. For several decades, this Scheme remained as a prominent one for asset creation. Due to this Scheme the ground water table went up besides bringing down urbanisation. A big transformation was very much visible in the lives of all the people particularly of tribes, women and disabled persons. You have now destroyed all these things? One and only Scheme. With this new Scheme in place, four big attacks were carried out on us. Firstly, it has snatched away the right to work from the people. Second point is that this has impacted the economy of the States very much. Thirdly it has removed the name of father of our nation Mahatma Gandhi? Fourth one is the forceful imposition of Hindi on us. You are doing injustice by thinking on all four sides. As you have been taking forward this Bill with unfair means in all directions. Whenever you have injustice on your side, you will as usual, take Lord Ram for your support. You have kept Lord Rama by your side during such unfair means of work. As per Puranas, Lord Rama is the one who removes vices. I hope that Lord Rama will also engage in dethroning you from power by joining hands with us the Opposition parties. This is true. Thank you. Vanakkam.

***m64श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील (सांगली) :** सभापति महोदय, इस अवसर के लिए आपका धन्यवाद। ? (व्यवधान)

वर्ष 1964 में देश में पहली बार रोज़गार की स्कीम की शुरुआत मेरे सांगली जिले के विसापूर में हुई। उसका नारा था -

?छ: दिन काम, एक दिन आराम, आणि कामाला योग्य दाम? ।

सभापति जी, आप तो जानते हैं कि महाराष्ट्र के वी. एस. पागे जी इस रोजगार हमी योजना के जनक थे। यह रोजगार हमी योजना, जो विसापूर में शुरू हुई, उसमें एकनाथराव अमृतसागर जी और बाबासाहेब पाटिल जी भी थे। इन सभी लोगों वर्ष 1964 में पहली बार इसकी पहल की। ये सारे गांधियन थे। वर्ष 1972 में जो अकाल पड़ा, उस काल में इस रोजगार गारंटी स्कीम से लोगों को बहुत फायदा हुआ था। वर्ष 1977 में पहली बार किसी राज्य शासन ने ईजीएस को कानूनी दर्जा प्रदान किया। उस वक्त मेरे दादा जी वसंत दादा पाटिल जी महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री थे।

सभापति जी, वे भी गांधियन थे और आप भी गांधियन ही हैं। जब ईजीएस प्रोग्राम को गांधी जी का नाम दिया गया, then it was apt. सब लोग कहते थे कि अच्छा हुआ, क्योंकि गांधी जी के नाम पर एक भरोसा होता है। यह नाम लोगों को एक भरोसा दिलाता है। लोग सोचते हैं

कि सरकार की जिम्मेदारी है, गांधी जी का नाम है। आपकी और मेरी जेब में जो पैसा है, उसमें भी गांधी जी की फोटो है। उससे भरोसा मिलता है और ताकत मिलती है। अब तो इन्होंने गारंटी को राम भरोसे छोड़ दिया है। हमें राम जी का नाम देने से कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति क्यों होगी? रोज सुबह हम राम जी का नाम लेकर शुरुआत करते हैं। पर, शायद राम जी इनके साथ नहीं हैं, नहीं तो 400 पार का नारा सही होता, वह गलत नहीं ठहरता।

Sir, the right to livelihood has been considered as a part of the right to life under Article 21, as denying means of livelihood is denial of life itself. The Universal Declaration of Human Rights, and International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights, both of which were acceded to by India, recognise the right to work. In 2011, the United Nations released a Global Assessment Report praising NREGA and asked other nations to emulate the programme. ? (*Interruptions*)

Sir, I am finishing very soon and will not take too much of your time. यह मनरेगा ही थी, जब इसने वर्ष 2008 में और वर्ष 2020 में कोरोना के समय इस देश की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट किया था।

ये इस एक्ट को क्यों बदलना चाहते हैं? ये महात्मा गांधी जी का नाम इसमें से क्यों निकालना चाहते हैं? सर, स्ट्रेसिंग प्रॉब्लम यह है कि इस बिल का खंड 4 और 5 कहता है कि सेंटर निर्णय करेगा कि किस राज्य को कितना काम मिलेगा। खंड (5)(1) कहता है कि सेंटर निर्णय करेगा कि कौन से गांव में यह योजना लगाई जाएगी। डिमांड हो तो काम, मनरेगा में डिमांड पर काम था। अब आपने बता दिया कि डिमांड पर काम नहीं होगा, सेंटर उसे तय करेगा। आज यह बिल इस गारंटी को खत्म करने का बिल हो गया है। That is why, in clause 22(2), the funding pattern has changed. Suddenly, you are saying that the State Government has to pay 40 per cent. उसकी स्थिति पता नहीं है कि आप 40 फीसदी देंगे। मुझे नहीं लगता कि यह हो पाएगा।

आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत शुक्रिया देता हूं।

धन्यवाद।

***m65श्री तारिक अनवर (कटिहार) :** सभापति महोदय, धन्यवाद।

सभापति महोदय, आज मैं इस सदन में केवल एक सांसद के रूप में नहीं, बल्कि गांधी जी के एक सच्चे अनुयायी के रूप में खड़ा हुआ हूं। इसके साथ ही साथ इस देश के करोड़ों लोगों की गांधी जी के प्रति जो आस्था है, उनकी आवाज बनकर मैं यहां खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, सरकार इस संशोधन विधेयक को ?सुधार? कह रही है। लेकिन, देश जानना चाहता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम इस योजना से हटाना, क्या यह सुधार है? आज सरकार की नीति और सरकार का एजेंडा स्पष्ट है - कॉरपोरेट को छूट, गरीब को चुप्पी और मजदूर को इंतजार। जो सरकार एक झटके में उद्योगपतियों के हजारों करोड़ रुपए माफ कर सकती है, उसे गरीब मजदूर को 100 दिनों की मजदूरी देने में परेशानी होती है।

सभापति महोदय, जब मनरेगा लाई गई थी, उस समय यूपीए की सरकार थी। देश के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी थे और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी थीं। उस योजना को लाने के पीछे उद्देश्य था कि यह योजना कागजी नारों पर नहीं, जमीन पर रोजगार देती है। यह योजना भीख नहीं, काम देती है और यह योजना गरीब को आत्म सम्मान देती है। इस सरकार को आज सम्मान से डर लगता है।

सभापति महोदय, आज हालत यह है कि मनरेगा मजदूर काम करता है, पसीना बहाता है, लेकिन, उसे महीनों तक मजदूरी नहीं मिलती है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह मजबूरी है या सरकारी साजिश है? अगर किसी उद्योगपति का भुगतान देर से हो जाए, तो सरकार आधी रात को

बैठक बुला लेती है, लेकिन, गरीब मजदूर के लिए चुप्पी और बहाने तलाश करती है।

सभापति महोदय, मुझे याद है कि वर्ष 2014 में जब नरेन्द्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने मनरेगा के बारे में एक शब्द कहा था कि मनरेगा कांग्रेस की समाधि है, कांग्रेस का स्मारक   है। यह उन्होंने कहा था। इससे एक बात जाहिर होती है कि मनरेगा के बारे में प्रधानमंत्री की क्या धारणा है। इसलिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सरकार के द्वारा जो संशोधन लाया गया है, वह राज्यों की भूमिका कम करता है, यह पंचायतों को कमजोर करता है और यह संघीय ढांचे पर सीधा हमला है। क्या केंद्र सरकार चाहती है कि हर फैसला दिल्ली से हो और गांव सिर्फ आदेश मानें? यह लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है।

सभापति महोदय, मोदी सरकार द्वारा लाया गया संशोधन सरकार की विचारधारा और नफरत की राजनीति को उजागर करता है। सरकार मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना चाहती है। मैं सरकार से पूछता हूं कि गांधी जी से इतनी नफरत क्यों है? क्या इसलिए कि गांधी गरीब के साथ खड़े थे, सत्ता से सवाल करते थे, सच बोलते थे और ?सर्व धर्म समभाव? पर विश्वास करते थे?

सभापति महोदय, ?गांधी? कोई बोर्ड पर लिखा हुआ नाम नहीं है। गांधी एक आइना है और सरकार को इस आइने से डर लगता है, क्योंकि उसमें सरकार को गरीब की परछाई दिखाई देती है, भूख दिखाई देती है और बेरोजगारी दिखाई देती है। गांधी जी का नाम हटाने की कोशिश असल में गरीब को राजनीति से हटाने की कोशिश है।

सभापति महोदय, आखिर में मैं यह कहना चाहूंगा कि संविधान कहता है - राज्य नागरिकों को रोजगार देगा, सरकार कहती है - बजट नहीं है। संविधान कहता है - सामाजिक न्याय, सरकार कहती है - प्राथमिकता नहीं है। अत: सवाल सीधा है कि सरकार संविधान के साथ है या उसके खिलाफ है?

धन्यवाद।

***m66DR. HEMANT VISHNU SAVARA (PALGHAR):** Thank you, hon. Chairperson Sir, for giving me this opportunity to speak on the Viksit Bharat ? Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) VB ? G RAM G Bill, 2025. The MGNREGA focussed on the goal to enhance livelihood security. The new Bill aims to promote empowerment, growth, convergence, and saturation for the prosperous and resilient rural Bharat. The thematic focus would be on water security through water-related works, core rural infrastructure, livelihood-related infrastructure, and special works to mitigate the impact of extreme weather events. It will also facilitate the availability of adequate farm labourers during the peak agriculture season.

Hon. Chairperson, this is a historic Bill by Prime Minister Shri Narendra Modi. His dream is to make India a developed nation by 2047, and this Bill will make an unparalleled contribution to that developed India.

The Bill has many features, including increasing the wages for labourers from 100 days to 125 days. The opposition is opposing it unnecessarily; is their opposition against the labourers or against the benefits they will receive?

Previously, wages were paid after 15 days, but now they will be paid weekly, and new technology will be used for this purpose.

As you know, 266 works were included under the MNREGA scheme; now, four primary areas have been selected: water security, rural infrastructure, livelihood infrastructure, and climate change disaster management.

If labourers do not get work, they will be given an unemployment allowance. Gram Panchayats in tribal areas will be further empowered; therefore, this Bill will empower the Gram Panchayats.

In the past, corruption occurred in the form of fake attendance and the creation of fake job letters. Corruption occurred in 19 districts of Bengal, and fake works were carried out in 23 states. This bill is very important to curb this.

The poverty rate was 25.60 per cent in 2011-2012, which has decreased to 4.86 per cent in 2023-2024. Women's employment has increased from 48 per cent to 56 per cent. This bill will ensure an honour and dignity for women.

In Palghar district, 24,426 individual works and 2,018 public works have been completed regarding employment data. This Government has proposed a fund of Rs. 86,000 crore in 2025-2026 and Rs. 151,000 crore in 2026-2027.

Therefore, this Bill will boost the development of rural areas. I am proud that in Palghar district, during 2021-2022, tribal labourers received employment. A total of 60,670 families received work, resulting in a total of 1,660,170 man-days of work, securing the first position in Maharashtra.

I support this historic Bill.

Thank you.

***m67SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM):** Thank you very much, Mr. Chairperson, Sir. I rise to oppose this Bill, both on political as well as legal grounds.

Politically speaking, I would like to know from the Government what prompted it and the hon. Minister to bring this Bill. Why has the name of the Father of the Nation, Mahatma Gandhi, been removed from the nomenclature, and why has the structure of the scheme been changed in a manner that burdens the State Governments with greater financial responsibility, thereby diluting the very spirit of the scheme? I feel that this move is politically motivated. It has been done after the Bihar elections and after your unexpected thumping victory in the State of Bihar. That is the reason for this political arrogance. As part of that political arrogance, this Bill has been brought before the House. I would like to caution the Government that this is the beginning of the collapse of this Government, and the beginning of the end of the Government led by Shri Narendra Modi ji and the BJP Government.

This Bill is totally anti-poor. In both political and legal senses, I would like to state that no Government should remove the Father of the Nation?s name from the nomenclature while simultaneously altering the structure of such a vital welfare scheme. The intent of the BJP-led NDA Government is to gradually dismantle the most populistic welfare scheme in the country. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act is a revolutionary landmark legislation in the legislative history of India. It was enacted during the tenure of the UPA Government, led by the hon. Prime Minister, Shri Manmohan Singh, under the leadership of the UPA Chairperson, Madam Sonia Gandhi ji.

Sir, one of the main points I wish to raise is this. The basic difference lies in the fact that a statutory and legitimate right is now being converted into a Centrally-sponsored scheme. Under the original MGNREGA Act of 2005, employment was a statutory legal right. It was mandatory and obligatory on the part of the Union Government to provide 100 days of employment to a household that had no employment. That guarantee is now being lost because the scheme is being converted into a Centrally-sponsored scheme with a funding pattern of 60:40.

I would like to ask whether the Union Government and the hon. Minister can assure this House that all State Governments will be able to provide their 40 per cent share. If the State Governments fail to provide this 40 per cent share, how will the Union Government guarantee 125 days of work? Kindly explain and assure this House how the Union Government can guarantee 125 days of work without consulting the State Governments and without arriving at any consensus with them. Unilaterally, the Government of India is bringing a new job guarantee legislation to replace the MGNREGA legislation.

My second point is that this is a demand-driven project, and even this demand-driven nature is being drastically altered. What is now being proposed is that an annual budgetary allocation will be made to the State Government, and the State Government will have to frame schemes within that allocation. What is the difference, then? There is nothing special or unique about it. It becomes just another Centrally-sponsored scheme. That is why, I say that this legislation is the first step towards dismantling the MGNREGA scheme. This employment guarantee scheme will adversely affect lakhs and lakhs of women and weaker sections of society.

Let me cite an example from my constituency. My constituency is known as the ?Cashew Capital? of India. A majority of people there are downtrodden and belong to SC, ST, Dalit, and OBC communities. Around 95 per cent of the workforce in the cashew industry consists of women. Nearly 90 per cent of the cashew factories are closed. These women survive on wages earned under MGNREGA. They are not committing suicide only because of MGNREGA. Therefore, I humbly request the Government not to dismantle this scheme. I urge the Government to withdraw this Bill. With these words, I strongly oppose the Bill. Thank you very much, Sir.

***m68श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) :** सभापति महोदय, धन्यवाद । आपने मुझे विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण) : वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) विधेयक, 2025 पर बोलने का मौका दिया । मैं मेरी चर्चा की शुरूआत एक प्रश्न के

माध्यम से करना चाहता हूं, जो प्रश्न कई माननीय सदस्यों ने किया है। आखिरकार आपने महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटाया? आज देश में एक ही चर्चा है कि भारत सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को निरस्त करने का प्रयास कर रही है।

सभापति महोदय, जब वर्ष 2005 में देश के अंदर नरेगा चालू हुआ तो उसके बाद इसका नाम मनरेगा किया गया। निश्चित रूप से गांव से पलायन रुक गया था, कई गांव खाली हो रहे थे और लोग कमाने के लिए बाहर जाने लग गए थे। मनरेगा से बहुत बड़ा फायदा आम आदमी, गरीब आदमी और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अचानक से आप यह बिल लेकर आए हैं, तो कहीं न कहीं इस बिल के पीछे वास्तविकता क्या है, यह बहुत सोचने वाली बात है।

मैं अपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि देश के कई मजदूर संगठनों ने इस बिल को लेकर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है, क्योंकि दशकों के निरंतर संघर्षों के माध्यम से मजदूरों द्वारा हासिल किए लोकतांत्रिक व संवैधानिक अधिकारों को पीछे धकेलने का प्रयास तो आप कहीं नहीं कर रहे हैं? देश की जनता आपसे यह आश्वासन चाहती है। मंत्री जी, जब आप जवाब दें तो इसके बारे में बताइयेगा।

यह विधेयक संविधान की भावना का उल्लंघन करता है, 73वें संविधान संशोधन को कमजोर करता है और सामाजिक व आर्थिक न्याय की मूल अवधारणा पर प्रहार करता है, क्योंकि यह शक्ति को मजदूरों, ग्राम सभाओं और राज्यों से छीनकर केन्द्र सरकार के हाथों में केन्द्रित करता है। स्थानीय स्तर से योजना बनाने की प्रक्रिया को हटाकर पहले से तय केन्द्रीकृत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक पर आधारित प्राथमिकता प्रणाली लागू करना, 73वें संविधान संशोधन की भावना को कमजोर करता है। मंत्री महोदय, आप जब जवाब दें तो इस पर सरकार का स्पष्टीकरण जरूर दें।

आप किसान हितैषी हैं, यह पूरा देश जानता है कि आप यहां बैठे हैं तो आप निश्चित रूप से किसान का अहित नहीं होने देंगे। मंत्री महोदय, जब आपका जवाब आएगा तो उसे पूरा देश देखेगा। इसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी। इसमें आप क्या कर रहे हैं? आप सवा सौ दिन की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप यह भी कह रहे हैं कि रोजगार का हक केन्द्र सरकार के बजट और नियोजन पर निर्भर होगा, न कि स्वत: लागू होगा। मैं तो कह रहा हूं कि आप 125 दिन से बढ़ा कर 200 दिन कीजिए। राज्यों पर निश्चित रूप से लागत का बोझ बढ़ेगा। मनरेगा के तहत मजदूरी का 100 प्रतिशत और सामग्री लागत का 75 प्रतिशत वहन करने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की होती है। व्यवहार में इसका अर्थ है कि केन्द्र और राज्यों के बीच खर्च का अनुपात लगभग 90:10 रहता है, लेकिन वीबी-जी राम जी विधेयक की धारा 22(2) में कहा गया है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच निधि साझा करने का अनुपात उत्तर-पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के लिए अनुपात 90:10 होगा। बाकी जो राज्य हैं, आप उसमें 60:40 का अनुपात करेंगे। मंत्री महोदय, अगर आप 60:40 का अनुपात करेंगे तो 40 परसेंट राज्य खर्च नहीं करेगा। क्योंकि राज्यों के अंदर, जिलों के अंदर जो नरेगा के काम हुए हैं, अभी भी बहुत सा भुगतान हर राज्य का बाकी है। वह अटका हुआ है। इस योजना को राज्य क्यों लागू करेगा? योजना धीरे-धीरे स्वत: ही समाप्ति की ओर चली जाएगी। जब आप जवाब दें तो आप इसको क्लियर करें।

सभापति महोदय, नई व्यवस्था में यह प्रावधान न केवल राज्यों पर भारी वित्तीय बोझ डालता है, बल्कि गरीब राज्यों और उन राज्यों पर भी असमान रूप से असर डालता है।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपकी बात को मंत्री जी ने नोट कर लिया है।

श्री हनुमान बेनीवाल : जहां से बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं और जिन्हें ग्रामीण रोजगार की सबसे अधिक जरूरत है। इस बिल को लाकर राज्यों पर आर्थिक बोझ आप डाल रहे हैं। आप ऐसा काम नहीं करें। काम देने का लचीला समय मजदूरों के हित में नहीं है। आपने लिखा है कि नए बिल में कृषि बुआई, कटाई जैसे मुख्य मौसम, जो कि लगभग 60 दिन की अवधि है, आप उसको नहीं रखेंगे। वह एक चिंता की बात है।? (व्यवधान)

इसके अंदर मेरा एक सुझाव है। नरेगा का जो काम हो रहा है, इस नरेगा के काम के अंदर 60:40 का रेशियो वहां पर होता है। 60:40 का रेशियो जो पंचायतें करती हैं, उस हिसाब से उनकी सैंक्शन निकलती है। भारी भ्रष्टाचार नरेगा के काम में देखने को मिलता है। मेरी मांग है कि दिशा की कमेटी का चेयरमैन आपने एमपी को बना रखा है।? (व्यवधान) सर, मुझे सुझाव तो देने दीजिए। जिस तरह दिशा कमेटी का चेयरमैन एमपी हैं, नरेगा की मॉनीटरिंग और नरेगा का सारा काम सांसद की अध्यक्षता में बनी कमेटी करे, तो अपने आप भ्रष्टाचार पर अंकुश लग जाएगा।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : एडवोकेट चन्द्र शेखर जी।

श्री हनुमान बेनीवाल : सर, मुझे अपनी बात समाप्त तो करने दीजिए।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपने बहुत बड़ी बात कह दी।

श्री हनुमान बेनीवाल : सर, मैं आधे मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं।? (व्यवधान) मंत्री जी, आपने सांसद आदर्श ग्राम योजना हमें दे दी और इसके अंदर हम 5-5 गांव चुनते हैं। लेकिन हम एमपी लैड से कितना पैसे देंगे? आप 5 करोड़ रुपये दे रहे हैं।? (व्यवधान) सर, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : बिल से संबंधित आपकी बात आ गई।

श्री हनुमान बेनीवाल : आप 10 लाख रुपये इसके अंदर काटते हैं।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपकी बात पूरी हो गई और माननीय मंत्री जी ने सुन लिया।

एडवोकेट चन्द्र शेखर जी।

? (व्यवधान)

***m69एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) :** सर, इनसे पेपर ले लेना। अगर कुछ बाकी हो तो इनसे पेपर ले लेना। आप अपने पेपर ले कर देना।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपकी बात पूरी हो गई और 5 मिनट का समय हो चुका है।

एडवोकेट चन्द्र शेखर : धन्यवाद सभापति जी। ?विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन-ग्रामीण? पर मैं अपनी गंभीर आपत्तियां और सुझाव रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ग्रामीण रोजगार गारंटी कोई सरकारी दया नहीं है। यह इस देश के गरीब, मजदूर और वंचित वर्ग का कानूनी और संवैधानिक अधिकार है। इसी अधिकार को पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से मान्यता दी गई थी, लेकिन आज सरकार उस कानून को हटाकर एक नई योजना ला रही है, जिसमें केंद्र और राज्य में निधि का बंटवारा 60:40 का है।

माननीय सभापति जी, आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं और मैं भी। उत्तर प्रदेश सरकार पर आठ लाख करोड़ रुपये का कर्ज है, यानी हर नागरिक पर 31 हजार रुपये का कर्ज। ऐसे में क्या राज्य इसको आगे बढ़ा पाएगा?

सभापति जी, सरकार कह रही है कि वह अब 100 दिन की जगह 125 दिन की रोजगार गारंटी दी जाएगी। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कटाई-बुआई के मौसम में 60 दिन काम न देने का प्रावधान इस गारंटी को व्यावहारिक रूप से कमजोर करता है। जिन राज्यों में कृषि ही एकमात्र विकल्प है, वहां मजदूरों के सामने काम भी नहीं, मजदूरी भी नहीं जैसी स्थिति बनेगी। ग्रामीण भारत में कृषि का संकट, मशीनीकरण,

जलवायु आपदाएँ तेज़ी से रोजगार खत्म कर रही हैं। ऐसे में 125 दिन भी अपर्याप्त हैं, जबकि कई राज्यों में लोग 300 दिन काम चाहते हैं, जिससे उन्हें काम के लिए बाहर न जाने पड़े।

सभापति जी, इसमें दलित-आदिवासी हितों का अस्पष्ट उल्लेख है। मनरेगा ने एससी/एसटी समुदायों को जमीन से जुड़े काम, जल-संरक्षण, सामुदायिक परिसंपत्तियों के जरिये न्यूनतम सुरक्षा दी थी। नई योजना में एससी/एसटी के लिए पृथक लक्ष्य या सुरक्षा प्रावधान नहीं हैं।

सभापति जी, आपदा के समय छूट सरकार की मजी पर छोड़ी गई है। प्राकृतिक आपदा में छूट देना सरकार के विवेक पर छोडा गया है, जबकि आपदा के समय ही सबसे ज्यादा बेरोज़गारी, सबसे ज्यादा पलायन होता है। यह प्रावधान अधिकार नहीं, अनुग्रह बनाता है। जब तक स्पष्ट जवाबदेही और दंड की व्यवस्था नहीं होगी, ये प्रावधान सिर्फ़ काग़ज़ों में ही रहेंगे। मैं सुझाव ही दे रहा हूं। मंत्री जी बैठे हैं। इसमें सम्माननीय मजदूरी नहीं है, जो मनरेगा के मजदूरों को मिलती थी। मेरे यहां पर मजदूरों को 232-37 रुपये मिलते हैं। मेरी मांग है कि कम से कम 500 रुपये न्यूनतम मजदूरी दी जाए। रोजगार गारंटी बिना मौसमी शर्तों के लागू की जाए। रोजगार दिनों की सीमा राज्यों को बढ़ाने का अधिकार दिया जाए। केंद्र इसमें न्यूनतम 300 दिन तय करे, लेकिन यदि राज्य बढ़ाना चाहे, तो इसको 365 दिनों तक बढ़ा सकें। केंद्र इस मामले में अतिरिक्त सहायता दे। एससी/एसटी और आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज, आदिवासी क्षेत्रों में 300 दिन के रोजगार की गारंटी, भूमि, जंगल, जल आधारित कार्यों को प्राथमिकता, PESA और FRA कानूनों से तालमेल और महिलाओं के लिए अनिवार्य 50 प्रतिशत कार्य हो। हर पंचायत में कम से कम 50 प्रतिशत काम महिलाओं के लिए आरक्षित हो। साथ ही मासिक धर्म अवकाश, क्रेच, जल, स्वच्छता, देखभाल कार्यों को प्राथमिकता दी जाए।

सभापति जी, काम तय करने की असली शक्ति ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को हो। सर, मैं 30 सेकेण्ड में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। भुगतान में देरी होने पर स्वतः मुआवज़ा और अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाए। विकसित भारत सिर्फ इमारतों और आंकडों से नहीं बनता। विकसित भारत तब बनता है जब गरीब के हाथ में योजना नहीं, अधिकार होता है।

सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इसका नाम बदल दें। हालांकि बहुत सोच-समझकर आप यह कर रहे होंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसका नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर क्यों नहीं रख देते, जो संविधान निर्माता हैं। आपने इसमें जो ?जी राम जी? जोड़ा है, बहुत अच्छी बात है। आपकी बहुत सारी योजनाएं राम जी के नाम पर हैं। मेरी आपसे मांग है कि आप इसमें ?जी राम जी? की जगह ?जय भीम? कर दीजिए। इसमें आपका क्या चला जाएगा? आपको तो सबके हितों का ध्यान रखना चाहिए।? (व्यवधान) मैं तो सब जानता-पहचानता हूं। आपने उनके संविधान के साथ किस तरह का हाल कर रखा है, यह भी हम लोग जानते हैं।

माननीय सभापति : चंद्रशेखर जी, बैठिए।

श्री अब्दुल रशीद साहब।

? (व्यवधान)

एडवोकेट चन्द्र शेखर : सभापति जी, एक सेकेण्ड। मैं तो सुझाव दे रहा हूं।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : चंद्रशेखर जी, आप चेयर को एड्रेस कीजिए। आपने 30 सेकेण्ड मांगे थे और एक मिनट आपको दे दिया गया।

एडवोकेट चन्द्र शेखर : सर, ये बीच में बोल गए, इसलिए समय लग गया। मैं 10 सेकेण्ड में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं इनको नहीं कह रहा, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि यह देश देख रहा है। यदि आप महापुरुषों का अपमान करेंगे, तो लोग इसका चुनाव के समय हिसाब करेंगे। मेरा बात को याद रखिएगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।

***m70श्री अब्दुल रशीद शेख (बारामूला) :** सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अपनी बात रखने से पहले मैं बारामूला के मेरे संसदीय क्षेत्र के उस नौजवान आकिब नबी डार को मुबारकबाद देना चाहूंगा, जिसकी आईपीएल में आठ करोड़ चालीस लाख रुपये कीमत लगी। उसको मैं बधाई देना चाहता हूं। उसने साबित कर दिया कि 35 साल की मारधाड़ के बावजूद कश्मीर के जवानों का टेलैंट कहीं नहीं गया है। अब मैं मुद्दे पर आता हूं। नाम बदलना सरकार का अधिकार है और माननीय मंत्री जी ने सोच-समझकर ही इसका नाम बदला होगा। भगवान राम महात्मा गांधी से, नरेंद्र मोदी जी से और हम सबसे बड़े हैं। अगर आज भी राम जी होते, तो शायद झूठे रामभक्तों के हाथों उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचती, क्योंकि जिन लोगों ने जम्मू-कश्मीर राज्य के टुकड़े कर दिए, वहां के लोगों के मुंह बंद रखे, वहां बात करने पर पाबंदी है, वे सच्चे रामभक्त नहीं हो सकते।

राम जी होतो तो उनको बहुत दु:ख पहुंचता। वे वापस वनवास जाते, वे कहते कि मैं यहां पर ठीक नहीं हूं।?(व्यवधान) आप बात कहने दीजिए। जनाब, नाम का मसला है।

सर, आप यह सुन लीजिए कि अगर आज राम जी होते तो मुझे जेल में देख कर?(व्यवधान) चेयरमैन साहब, अगर आज राम जी होते तो हजारों लोगों को जेल में देख कर उनका दिल खून के आंसू रोता।?(व्यवधान) आज राम जी होते तो वे कश्मीर की हालत देख कर उनका दिल काफी मलूल होता। मेरी आपके माध्यम से इतनी गुजारिश है कि चौहान जी काफी काबिल मंत्री है, सीनियर मंत्री हैं।

माननीय सभापति : आपकी बात रिकॉर्ड में आ गई है। धन्यवाद।

?(व्यवधान)

श्री अब्दुल रशीद शेख : जनाब, अभी आधा मिनट भी नहीं हुआ है। बीस सेकेंड्स हुए हैं। ?(व्यवधान)

माननीय सभापति : दो मिनट हो गए हैं।

?(व्यवधान)

श्री अब्दुल रशीद शेख : मेरी यह गुजारिश है कि हमारे मिनिस्टर साहब बहुत काबिल मिनिस्टर हैं। उन्होंने लाडली बहना योजना के जरिए राजस्थान में इलेक्शन जीता है। वहां की मां-बहनें इन्हें काफी प्यार करती हैं।?(व्यवधान)

माननीय सभापति : वह मध्य प्रदेश के हैं।

?(व्यवधान)

श्री अब्दुल रशीद शेख : कल जब सुशासन बाबू ने किसी बहन-बेटी का हिजाब खींचा तब ये खामोश रहे। ये राम भक्त हो नहीं सकते है? मेरा यही कहना है कि आप राम जी को बदनाम न करें। वे हम सभी के हैं। ?(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपकी बात रिकॉर्ड में आ गई है।

?(व्यवधान)

श्री अब्दुल रशीद शेख : I am coming to the NAREGA अब मैं इश्यू पर एक-दो बात बोलूंगा। इसकी मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। जब नरेगा में काम करने के लिए गांव के लोग जाते हैं तो इसके प्रोसिजर्स में काफी समय लगता है। वीएलडब्ल्यू से लेकर, एसईडी साहब तक स्टाफ की कमी है। वहां के अप्रूवल के तरीके को आसान बनाना है और अपर लिमिट को बढ़ाना है। हमें हर साल रेट भी बढ़ाने पड़ेंगे। इसी तरह से मेटिरियल कम्पोनेंट्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। शायद 60:40 का रेश्यो है, उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। माननीय एमपी और

माननीए एमएलए जो हैं, कम से कम 20-25 लाख रुपए, उसमें 10 प्रतिशत मैक्सिमम रखा जाए, जो माननीय एमपी और माननीय एमएलए के देना है, बाकी नरेगा से दी जाए। ?(व्यवधान)

***m71डॉ. राजकुमार सांगवान (बागपत) :** सभापति महोदय आपने मुझे विकसित भारत -जी राम जी विधेयक पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस सदन के माध्यम से विकसित भारत ? रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण) पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यह विधेयक हमारे देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम,महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम - 2005 का स्थान लेने हेतु प्रस्तावित किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत को अधिक सशक्त, आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाना है। इस विधेयक के माध्यम से अब प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिन की न्यूनतम मज़दूरी रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा, जो पहले 100 दिन था। यह परिवर्तन केवल रोजगार के दिनों में वृद्धि नहीं है, बल्कि रोजगार की गुणवत्ता,उत्पादकता और स्थायित्व को भी नया आयाम देता है।

माननीय महोदय, ग्रामीण रोजगार की अवधारणा हमारे देश में कोई नई नहीं है। वर्ष 1977-78 में जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल में, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में फूड फोर वर्क कार्यक्रम आरंभ किया गया था। उस समय चौधरी चरण सिंह जी उप प्रधानमंत्री थे और ग्रामीण भारत से जुड़ी नीतियों के सबसे प्रभावशाली वैचारिक मार्गदर्शक के रूप में उनकी भूमिका सर्वमान्य थी। यह योजना मात्र एक प्रशासनिक निर्णय नहीं थी,बल्कि चौधरी चरण सिंह जी के उस दर्शन का प्रतिफल थी, जिसमें ग्रामीण गरीब को दान का पात्र नहीं, बल्कि श्रम के माध्यम से सम्मान का अधिकारी माना गया। उनका स्पष्ट मत था "ग्रामीण गरीब को केवल सहायता नहीं, बल्कि काम के बदले भोजन और आत्मसम्मान मिलना चाहिए।"

माननीय महोदय, आज प्रस्तुत विकसित भारत गारन्टी रोज़गार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण) उसी ऐतिहासिक सोच का आधुनिक, तकनीक-संवर्धित और परिणाम-आधारित स्वरूप है। इस योजना में-जल सुरक्षा, जलवायु अनुकूलन, ग्रामीण सपर्क मार्ग और टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। डिजिटल तकनीक का समावेश- जैसे GPS आधारित उपस्थिति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ऑडिट और पारदर्शी भुगतान प्रणाली, इस मिशन को अधिक उत्तरदायी और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाता है। कृषि कार्यों के चरम समय में योजना को अस्थायी रूप से स्थगित करने का प्रावधान, किसानों और श्रमिकों- दोनों के हितों की रक्षा करता है। कुछ विपक्षी दलों द्वारा नाम परिवर्तन करना अथवा राज्यांश को लेकर जो आपत्तियाँ उठाई गई हैं, उन पर सरकार का स्पष्ट मत है कि यह विधेयक इतिहास से विच्छेद नहीं, बल्कि उसी की प्रगतिशील निरंतरता है। इसका लक्ष्य ग्रामीण भारत को केवल रोजगार देना नहीं, बल्कि सम्मानजनक आजीविका, स्थायित्व और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह विधेयक विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक निर्णायक और ऐतिहासिक कदम सिद्ध होगा। यह ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ देश की आर्थिक और सामाजिक नींव को और सुदृढ़ करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूँ।

महोदय, विधेयक विकसित भारत- जी राम जी विधेयक, विकसित भारत ग्रामीण आजीविका, रोज़गार एवं गारंटी मिशन, (ग्रामीण) ? (व्यवधान)

***m72SHRI DURAI VAIKO (TIRUCHIRAPPALLI):** Hon. Chairperson Sir, Vanakkam. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme aimed to provide livelihood to the rural poor. I strongly condemn the BJP Government which has replaced this Scheme. With a new Scheme namely Viksit Bharat ? Guarantee of Rozgar and Aajeevika Mission (Gramin) Bill 2025. As per the GDP of our country, the allocation made by the ruling BJP

Government for the 100 day employment guarantee Scheme during last 11 years, has come down drastically up to 50 percent. Due to this reduced fund allocation, in majority of the villages, even jobs are not provided for even 50 days in a year. When I travelled to several villages in Tamil Nadu, many poor women met me and explained their ordeal. They said that they are dependent on rains for agriculture and as a result they can get only agriculture related work for four months during one year. They do not have any other industries for getting work. They are totally dependent on this 100 day employment guarantee scheme. Earlier they used to get work for 80 or 90 days in one year. Now they do not even get work for 50 days in one year. With tears in their eyes and with folded hands they requested me to try and ensure that they get at least 90 days of employment in one year. I explained to them the fact of this being a Scheme of the Union Government. Hon Chief Minister of Tamil Nadu Annan *Thalapathi* Shri M.K. Stalin and MDMK Leader Shri Vaiko have stressed the need for providing sufficient funds for this 100 day employment guarantee Scheme. I consoled them by saying that I would definitely raise my voice in this regard. I am registering in this august House my voice trembled with the sorrow of the women of Tamil Nadu. Although the name is 100 day employment Scheme there is a situation where not even 50 days of work is provided to the beneficiaries in many States. I therefore condemn this new Scheme being implemented in such a deplorable condition. They claim to provide 125 days of work as per the new Bill. What is the feasibility? In the same way, the Union Government has reduced its contribution by 50 percent by way of new Bill. Union Government does not release funds that are due to States like Tamil Nadu where Opposition parties are in power. Tamil Nadu is already having a financial burden and with the introduction of this new Bill, there will be an additional financial burden of Rs.4300 Crore for Tamil Nadu. They have removed the name of Mahatma Gandhi and calling this new Scheme as Viksit Bharat Guarantee of Rozgar and Aajeevika Mission (Gramin) Bill, 2025. The Scheme which wiped the tears of poor by providing 100 days of work was appropriately given the name of Mahatma Gandhi who fought for our freedom. Mahatma once said that ?God is not in Heaven or in Earth; He is in our hearts; we can feel him by way of serving the public.? Can we get a better name other than Mahatma Gandhi? Never. ?VB G RAM G? is the new name and I condemn the removal of name of Mahatma Gandhi from this very important Scheme. This Government finds the name of Godse who killed Mahatma as a sweet name. But this Government feels bitter while hearing the name of Mahatma Gandhi who was killed by Nathuram Godse. This is a shame. As this Bill is anti-poor, undemocratic, and unconstitutional and against the interest of cooperative federalism, I strongly oppose this Bill. Thank you. Vanakkam.

***m73श्री राजकुमार रोत (बांसवाड़ा) :** माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे ?विकसित भारत जी राम जी? बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। देश के गरीब, आदिवासी, दलित और श्रमिक वर्गों को रोजगार गारंटी प्रदान करने वाली योजना की हत्या कर'जी राम जी बिल 2025' पर भारत आदिवासी पार्टी पुरजोर तरीके से विरोध करने के लिए आज खड़ा हुआ हूं। आजादी के कई वर्षों बाद रोजगार गारंटी योजना रोजगार को एक अधिकार के रूप में लाया गया था, लेकिन आज जो कानून लाया जा रहा है, उस वजह से आपने यह अधिकार भीख में बदलने का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, देश के मजदूर वर्ग विरोधी भावना से इस बिल में जो प्रावधान किए गए हैं, उस हिसाब से इस बिल का नाम जी राम नहीं बल्कि राम जी का सत्यानाश करने वाला प्रतीत होता है। आज जिस तरह से नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या की थी, लेकिन आज महात्मा गांधी जी के नाम पर चल रही योजना का नाम बदलकर जो कृत्य किया जा रहा है, आज हकीकत में इस सरकार द्वारा उनकी आत्मा की हत्या करने का काम किया जा रहा है। आदिवासी, गरीब और मजदूर हितैषी रोजगार गारंटी योजना को कमजोर करने के उद्देश्य से आपकी सरकार ने 2014 से 2025 तक कई हथकंडे अपनाए हैं।

महोदय, ऑनलाइन उपस्थिति, जियो-टैगिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति शुरू की, आंखों से हाजिरी लेने का काम किया, दो साल से रोजगार गारंटी योजना के 'मेट' और कुशल श्रमिकों का भुगतान लंबित था। माननीय मंत्री जी पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए वे अच्छी तरह वाकिफ हैं। मैं विशेष रूप से सुझाव देना चाहता हूं कि केंद्र द्वारा पहले जो 90% बजट दिया जाता था, और अब उसे 40:60 के अनुपात में बदला जा रहा है, उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और बायोमैट्रिक योजना चलाई जा रही है, वह पहाड़ों में नहीं चलेगी। ग्रामीण इलाकों में बायोमैट्रिक नहीं चल सकता है। इसके लिए अलटरनेट व्यवस्था की जाए। मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में रोजगार को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने के संबंध में पूछना चाहता हूं कि 100 दिवस कितने लोगों के लिए पूरे किए हैं। 100 दिवस भी पूरे नहीं हो सके, तो 125 दिन कैसे दिए जाएंगे? इन लुभावनी योजनाओं को बंद करें। अंत में, मेरी कुछ मांगें हैं कि राजस्थान में 1600 करोड़ का भुगतान पेंडिंग है, इसे केंद्र द्वारा जारी किया जाना चाहिए। सर, मेट और कुशल श्रमिकों का भुगतान ₹1,000 किया जाना चाहिए और मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी 500 रुपये होनी चाहिए।

***m74श्री इमरान मसूद (सहारनपुर) :** सर, आज मैं जिस विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, वह केवल रोजगार का विकल्प नहीं है, बल्कि आजीविका का सवाल है। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी, यह भूख, कर्ज और लाचारी के खिलाफ हमारी नेता सोनिया जी के विचारों का और डाक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यह योजना अंतिम मील पर बैठे गरीब व्यक्ति के घर में दीपक जलाने के लिए मनरेगा के माध्यम से दी गई थी। इसका नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। 'VB-G राम जी'?राम हैं कण-कण में हैं, राम हैं हर भारतीय के दिल में हैं। भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर खाकर गरीबों को सम्मान दिया था। आप राम का नाम लेकर गरीबों का अपमान कर रहे हैं। इस योजना को कमजोर करने के बाद इसकी स्थिति देखिए। केंद्र और राज्यों के बीच खर्च के अनुपात को बदलकर आपने पूरा बोझ राज्यों पर डाल दिया है। राज्यों की हालत इतनी खराब है कि आप उत्तर प्रदेश में 1,485 करोड़ रुपये मजदूरी की मद में और 1,202 करोड़ रुपये सामग्री की मद में अभी भी लंबित हैं। ऐसी स्थिति में यदि 60:40 का अनुपात रखा गया तो उत्तर प्रदेश पर प्रति वर्ष 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा, जो चार साल में 15,000 करोड़ रुपये की हो जाएगी। न तो यह पैसा उपलब्ध होगा, न यह योजना चलेगी और न ही गरीबों को लाभ होगा। इसी तरह बिहार में 1,013 करोड़ रुपये, राजस्थान में 625 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र में 505 करोड़ रुपये लंबित हैं। सामग्री की स्थिति और भी खराब है: महाराष्ट्र में 1,456 करोड़ रुपये और बिहार में 873 करोड़ रुपये। यदि यह 60:40 का अनुपात जारी रहता है, तो बिहार में 9,000 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल में लगभग 5,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पैदा हो जाएगा। इन परिस्थितियों में, यह योजना उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएगी जिसके लिए इसे लाया गया था। इस योजना का लक्ष्य महिलाओं को सशक्त बनाना था। जब महिलाओं के पास पैसा नहीं होता, तो इसका सबसे ज्यादा असर उनके बच्चों की शिक्षा पर पड़ता है। इस योजना को बंद या कमजोर करके, आपने महात्मा गांधी के उस सपने को कमजोर कर दिया है कि अंतिम मील पर खड़े व्यक्ति के घर में दीपक जल सके। आपने जिस राम राज्य की कल्पना की थी?यह वह राम राज्य नहीं है जहाँ आप गरीब के घर का दिया बुझाने के लिए निकल पड़े हैं। मुझे बोलने देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

***m75श्री जयन्त बसुमतारी (कोकराझार) :** माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले, मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को वर्तमान मनरेगा योजना में संशोधन करके यह विधेयक प्रस्तावित करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं कि मनरेगा योजना इतने वर्षों तक अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी और गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार के नाम पर केवल खुदाई का काम उपलब्ध था। इस योजना में बेरोजगार युवाओं के लिए कोई राहत नहीं थी। कुल मिलाकर, केंद्र

सरकार अब ग्रामीण आबादी को केवल रोजगार तक सीमित नहीं रख रही है, बल्कि नए विधेयक के माध्यम से ऐसा मॉडल तैयार कर रही है जो ग्राम स्तर पर विकास की दिशा निर्धारित करता है। विकसित भारत विजन के तहत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का आधुनिकीकरण ग्रामीण रोजगार प्रणाली को विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के साथ जोड़ता है। पिछले 20 वर्षों के अनुभव के आधार पर यह विधेयक रोजगार के साथ-साथ टिकाऊ संपत्ति निर्माण, योजनाओं के समन्वय और परिणामोन्मुखी विकास को एकीकृत करता है। इस विधेयक के तहत रोजगार की गारंटी को प्रति वर्ष 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुनिश्चित और मजबूत होगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को 90:10 के अनुपात पर विधेयक की संरचना करके उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का हमेशा विशेष ध्यान रखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। पूरे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की ओर से मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद देता हूं। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यभार संभाला है, उन्होंने हमेशा उत्तर-पूर्व को विशेष महत्व दिया है, जो पिछली सरकारों में नहीं हुआ था। यूपीए सरकार के दौरान वित्तीय नियंत्रण कमजोर होने के कारण धन की बर्बादी, फर्जी उपस्थिति रजिस्टर और भुगतान में देरी जैसे मामले सामने आए थे। वे प्रशासनिक कमजोरियां थीं। इसके विपरीत, इस विधेयक के तहत बनाई गई नई प्रणाली जिम्मेदार खर्च, वित्तीय अनुशासन और परिणामोन्मुखी उपयोग को बढ़ावा देती है। साथ ही, राज्य, जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों का बेहतर नियोजन और व्यवस्थित कार्यान्वयन संभव होगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सार्वजनिक धन का उपयोग उत्पादक, पारदर्शी और टिकाऊ संपत्ति निर्माण के लिए किया जाए। सर, मुझे बोलने देने के लिए धन्यवाद।

***m76श्री धर्मबीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़) :** महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं विकसित भारत जी राम जी विधेयक, 2025 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। 20 साल पहले हमारे सामने बैठे हुए लोग इसे नरेगा (NREGA) के नाम से लाये थे, लेकिन चार साल बाद, जब वर्ष 2009 का लोक सभा चुनाव आया तो उन्होंने इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर रख दिया। उस कानून में बहुत सी खामियां थीं। उन्होंने रोजगार देने की बात तो की, लेकिन उसमें कोई स्कीम नहीं थी। उसमें काम करते समय इतनी बाधाएं आती थीं कि जो इनका बजट था, आप वर्ष 2005 से वर्ष 2014 का इसका बजट देख लीजिए, 32-33 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा कभी एक साल में ये खर्च नहीं कर पाते थे, बल्कि उसका पैसा लैप्स हो जाता था।

<u>23.00 hrs</u>

अब माननीय मंत्री जी ने स्कीम जोड़ी है। उस गांव को रोजगार के साथ-साथ विकसित गांव बनाना है। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं देनी हैं जैसे - पानी, बिजली, सड़क, कम्युनिटी हॉल इत्यादि। जिन गांवों में कॉमन लैंड भी होती थी, बेरोजगार लड़का रोजगार के लिए तो एप्लाई कर देता था, लेकिन काम नहीं था। इसलिए बहुत बड़ा भ्रष्टाचार बढ़ा। इनके टेन्योर में पूरे देश के अंदर उन योजनाओं में भ्रष्टाचार था और 90 परसेंट सरपंचों पर एफआईआर दर्ज हुई है। वे सारा पैसा खा गए। यहां हमारे सामने अभी वे साथी नहीं हैं। कांग्रेस के सांसदों ने डिमांड की। हमारे हरियाणा के एक जिले में 32 करोड़ रूपया फोरेस्ट वाले भी खा गए और वह पैसा भी खा गए। इसकी इंक्वायरी अभी भी पेंडिंग पड़ी है। केवल यही नहीं, अब ईमानदारी से बताइये इन्हें राम जी से नफरत तो है। हनुमान जी, जब हम लोग सुबह उठते हैं, नहाते हैं तब भी राम-राम करते हैं और बाहर निकलने के बाद भी एक-दूसरे से राम-राम-राम करते हैं और आपको राम के नाम से भी नफरत है। जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी अमेंडमेंट करके यह योजना लेकर आए हैं, आप देखना उस गांव का पूर्ण रूप से सुधार होगा और वे सारे काम होंगे। पिछले दिनों हरियाणा में बाढ़ आयी। बाढ़ का कोई भी काम करना होता था, तो अधिकारी कहते थे कि यह इस स्कीम में शामिल नहीं है। माननीय मंत्री जी ने अब इस योजना में प्रावधान दिया है, हम बांध से लेकर ड्रेनेज तक सभी काम उस योजना के तहत कर पाएंगे। गांव का पूर्ण विकास भी होगा और रोजगार भी मिलेगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब तक भागीदारी नहीं होगी, यह 40-60 के अनुपात का बहुत अच्छा कदम है, बल्कि इससे बढ़कर मेरी मंत्री जी से प्रार्थना और सुझाव है कि ग्राम पंचायत को भी शामिल करके 10 प्रतिशत पैसा देना चाहिए, ताकि 10 प्रतिशत पंचायत दें, 30 प्रतिशत स्टेट का हो और 60 प्रतिशत भारत सरकार का हो, वरना जो पैसा भारत सरकार से जाता है, उसे तो ये लोग मानते हैं कि यह तो ऊपर

का पैसा है, इसे बेशक लूट लो। जब भागीदारी और साथ होगा तो उसका रिजल्ट सबसे अच्छा आता है। मेरी इसके साथ प्रार्थना है कि इसमें जहां लेबर कंपोनेंट 60 है, वहां मैटेरियल और लेबर दोनों को 50-50 करोगे, तो योजनाओं में जो स्कीम दी है, वे स्कीम भी पूरी तरह से लागू हो जाएंगी और एक विकसित गांव बहुत जल्दी बनेगा, जिसकी वजह से हम वर्ष 2047 तक विकसित भारत बना सकते हैं।

जय हिंद।

***m77श्री मलविंदर सिंह कंग (आनंदपुर साहिब) :** थैंक्यू सर। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे 'विकसित भारत जी राम जी' पर बोलने का मौका दिया।

सर, मुझे समझ नहीं आ रहा, आज से कुछ साल पहले किसानों के खिलाफ एंटी फार्मर बिल आए और पूरे देश में हेजिटेशन हुआ, क्योंकि उससे किसानी खत्म हो रही थी। उसे सरकार ने फिर वापस लिया। आज सरकार ने मनरेगा को खत्म करने का जो निर्णय लिया है, मुझे लगता है कि यह बहुत खतरनाक हो सकता है। हमारा जो मजदूर है, अनस्किल्ड है, सबसे गरीब है, उसे बहुत बड़ी सोशल सिक्योरिटी थी। जब मनरेगा शुरू हुई, तो ऐसी हजारों कहानियां हैं, जब गरीबों के घरों में मिठाइयां बांटी गई, पहली बार दिवाली मनाई गई। यहां माननीय मंत्री जी बैठे हैं, बतौर मुख्य मंत्री मुझे पता है कि इन्होंने किसानों और मजदूरों के लिए आउटस्टेंडिंग काम किया है, पता नहीं अब मनरेगा को खत्म करने की क्या मजबूरी है। इसमें सेक्शन 6 जो कह रहा है कि क्रॉप के पीक डेज़ में 60 दिन वह काम नहीं कर पाएगा, तो वह काम कब करेगा? इसी तरह से फाइनेंस को लेकर जब पहले बजट पर कोई कैपिंग नहीं थी। वह अनलिमिटेड बजट था। गरीब लोग जितना काम करते थे, उतना पैसा मिलता था, लेकिन सेक्शन 6 के अधीन जो प्रावधान लाया गया है कि 90 प्रतिशत की जगह 60 प्रतिशत केंद्र देगा, 40 प्रतिशत सूबा देगा। सूबों के पास तो पहले से ही पैसा नहीं है। जीएसटी के माध्यम से सभी स्टेटों का रेवेन्यू कलेक्ट होकर केंद्र को जा रहा है। आज स्टेट्स के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। अकाली दल के माननीय सदस्य बोलकर गए हैं, जो बीजेपी के मिनिस्टर भी रहे हैं। वे पांच बार मुख्यमंत्री रहे हैं। चार लाख का कर्जा तो पंजाब को इन लोगों ने दिया है और हमें कह रहे हैं कि पैसा नहीं है।

मेरा आपके माध्यम से आग्रह है, माननीय मंत्री जी भी बैठे हुए हैं कि जो फाइनेंशियल सस्टेंस है, जो पहले प्रोविजन था कि 90 प्रतिशत केंद्र वहन करे और उसमें 10 प्रतिशत स्टेट भागीदर बने, वही रहना चाहिए।

सर, एक बहुत जरूरी चीज़ है कि मनरेगा की जो मजदूरी है, वह बहुत ही कम है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि मनरेगा के जो मजदूर हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं, उनकी मिनिमम वेज 500 रुपये होनी चाहिए। यह कम्पलसरी होना चाहिए और इसके लिए स्टेट्स को मदद करनी चाहिए।

सर, विकसित भारत तभी बनेगा जब गांव मजबूत होगा और गांव का मजदूर और किसान मजबूत होगा। अगर गांव का किसान और मजदूर मजबूत नहीं होगा तो फिर विकसित भारत नहीं बन पाएगा, इसलिए उनको सोशल सिक्योरिटी देना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने जो तमाम प्रावधान बताएं हैं, उनमें अमेंडमेंट होनी चाहिए।

सर, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया।

***m78श्री जिया उर रहमान (सम्भल) :** माननीय सभापति जी, मैं इस शेर के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूं: ?

कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़-ए-सुखन,

ज़ुल्म सहने से भी ज़ालिम की मदद होती है।

सभापति जी, मनरेगा ग्रामीण भारत की जान है, गाँव में बैठे आखिरी इंसान को रोज़गार का हक़ देने वाली तारीखी योजना है। आज एक सोची-समझी साज़िश के तहत इस योजना को खत्म करने का काम किया जा रहा है। महात्मा गांधी जी का नाम हटाना सिर्फ़ नाम बदलना नहीं, बल्कि मजदूरों के अधिकार और बापू की विरासत पर हमला है। यह हमारी सामाजिक और संवैधानिक जिम्मेदारी को चुनौती देता है।

इस योजना की सबसे बड़ी कामयाबी यह थी कि आज़ादी के साठ वर्षों के बाद भी पहली बार हुकूमत ने यह माना था कि अंतिम व्यक्ति को भी रोजगार मांगने का अधिकार है, या तो काम दो वरना मुआवज़ा दो! बजट की कोई सीमा नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई बहाना नहीं, माँग होगी तो खर्च होगा, और आज उसी अधिकार को ?मिशन? कहकर कमज़ोर किया जा रहा है। अब केन्द्र तय करेगा कि कहाँ काम होगा, कहाँ नहीं, और खर्च का बोझ गरीब राज्यों पर डाला जाएगा। यह सुधार नहीं है, बल्कि यह रोज़गार गारंटी का एक तरह से कत्ल है। आपको खुशी है गांधी जी का नाम हटाया गया। गांधी जी मजबूरी का नाम नहीं, बल्कि जद्दोजहद और खिदमत का प्रतीक है। आपको योजना से नहीं, गांधी जी के नाम से तकलीफ़ है। हक़ीकत में तो आपको मुसलमानों से तकलीफ है, ओबीसी से तकलीफ है, पिछड़े वर्गों से तकलीफ है, पूरे पी.डी.ए. समाज से तकलीफ है। लेकिन, मैं पूछना चाहता हूं कि बापू से तकलीफ क्यों है? गांधी जी संघर्ष के प्रतीक हैं, प्रचार के नहीं।

पिछले 15 सालों में इस योजना के चलते 4,000 करोड़ दिहाड़ी रोजगार दिया गया। ग्रामीण भारत में इस योजना के चलते 9.5 करोड़ काम पूरे हुए। इस योजना के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी बढ़ी, 5 करोड़ परिवारों को इस योजना का लाभ मिला। कोविड जैसे राष्ट्रीय संकट या अकाल जैसी स्थानीय आपदा के दौरान मनरेगा ने लाखों परिवारों को भूख से बचाया, करोड़ों लोगों को पलायन से रोका। पहले मजदूर काम मांगते थे, तो इस कानून के तहत सरकार 100 दिन का काम देती थी, लेकिन आज 125 दिनों का काम देने की बात होती है और 252 रुपये प्रति व्यक्ति पैसे देने की बात होती है। लेकिन, क्या कभी सोचा है कि अगर हम एवरेज देखें तो एक साल में 86 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी आती है। मैं चाहता हूं कि यह कम से कम 600 रुपये होनी चाहिए। क्या अब सरकार तय करेगी कि किस राज्य में काम देना है, किसमें नहीं? क्या सरकार यह तय करेगी कि किस विधानसभा में काम देना है, किसमें नहीं, किस व्यक्ति को काम देना है, किसको नहीं? इसके बाद कौन वोट करेगा और कौन नहीं, इसके बाद किसे काम मिलेगा और किसे नहीं, यह भी सरकार तय करेगी। नाम बदलने से असली तारीख नहीं मिटती ।

जिस मिट्टी में मजदूर का पसीना है,

आज भी उस जगह पर गांधी जी जिंदा हैं।

मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो गांधी जी को सच में मानते हैं, उन्हें इस विधेयक के खिलाफ खड़ा होना होगा। यह लड़ाई सिर्फ़ योजना की नहीं, देहात के मजदूर की गरिमा और लोकतंत्र की आत्मा की लड़ाई है। इसलिए कभी आप किताबों से हटाते हो, कभी योजनाओं से, कभी चुप्पी से मारते हो, कभी नाम बदलकर।

वर्षों तक मनरेगा ने यह संदेश दिया कि देश का संविधान गरीव से यह वादा करता है कि अगर वह काम मांगेगा, तो सरकार उसे खाली हाथ नहीं लौटाएगी। लेकिन, आज कभी नेहरू हटाओ, तो कभी गांधी हटाओ, कभी इतिहास बदलो, तो कभी नाम बदलो। सरकार का आधा समय योजनाएं बदलने में लग जाता है, पोस्टर बदलने में लग जाता है। यह गारंटी नहीं है, बल्कि एक नया ?लॉलीपॉप? है। राज्यों पर 40 प्रतिशत का अतिरिक्त बोझ, यह कैसा विकसित भारत है जहां केन्द्र अपनी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डालकर भाग जाता है?

महोदय, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नाम बदलने से भूख बदल जाती है? क्या पोस्टर बदलने से पेट भर जाता है? हकीकत में ?No Fund, No Work? है। गांव का मज़दूर शब्दों की राजनीति नहीं समझता, वह बस इतना जानता है कि आज काम मिलेगा या नहीं, और शाम को चूल्हा जलेगा या नहीं।? (व्यवधान)

महोदय, मैं अपनी बात इस शेर के साथ खत्म कर रहा हूं ?

मज़दूर का खून चूसकर आप कुर्सी सजाते हो,

नाम बदल-बदलकर बस खुद को बचाते हो।

धन्यवाद। हिन्दुस्तान जिंदाबाद!

***m79माननीय सभापति** : जिया उर रहमान साहब, क्या मनरेगा में अक़लियत के लोगों को काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है?

? (व्यवधान)

***m80श्री ज्ञानेश्वर पाटील (खण्डवा) :** माननीय सभापति, आपने मुझे विकसित भारत ? जी राम जी विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ?राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट? को चरितार्थ करते हुए, देश में राम राज्य की संकल्पना को साकार करने के लिए हर हाथ को काम मिले और प्रत्येक गांव का विकास हो। अब ग्रामीण परिवारों को रोजगार के लिए 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन, यानि पहले से अधिक रोजगार देने के साथ, 125 दिन की मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी का प्रस्ताव अब "विकसित भारत - जी राम जी" के नाम से माननीय मंत्री जी ने विधेयक प्रस्तुत किया है। इसका मैं समर्थन करता हूं।

महोदय, यह विधेयक भारत को समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करेगा। इससे भारत देश में लगभग साढ़े पंद्रह करोड़ जॉब कार्डधारी लोग लाभांवित होगे। इससे मेरे मध्य प्रदेश के ही लगभग 1 करोड़ जॉब कार्डधारी ग्रामीण गृहस्थों जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने हेतु आगे आएंगे। उनके लिए इस कानून से रोजगार की पूरी-पूरी गारंटी मिलेगी, क्योंकि यह रोजगार देने की गारंटी देने वाला कानून बन रहा है। इसका नाम "वीबी-जी राम जी" रखकर रामराज्य स्थापित करने के लिए एक कदम बढ़ाया है।

महोदय, अंतिम व्यक्ति भी सुखी हो, यही रामराज्य है। यह तो स्वयं महात्मा गांधी जी की अवधारणा रही है। इसलिए, मैं भी इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

मान्यवर, पहले की मनरेगा योजना में कई राज्यों में अनियमितताएं हुई और किसी स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं हुआ और यह योजना केवल पैसे बांटने की योजना तक ही सीमित रह गई। यहां तक कि देश के मजदूर भाई बहनों को रोजगार तो दूर, यह योजना भ्रष्टाचार और अनियमितता की भेंट चढ़ गई थी।

मान्यवर, कई राज्यों में मस्टर रोल पर फर्जी प्रविष्ठियां की गई और मजदूरी में कटौती की गई। इसको कोई देखने वाला नहीं था। आज के समय माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की परिकल्पना के आधार पर ग्रामीण विकास, ग्रामीण कौशल, ग्रामीण अधोसंरचना और ग्रामीण आजीविका को ध्यान में रखते हुए योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इसके साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी परिकल्पना थी कि देश का अंतिम व्यक्ति ही विकास का केंद्र हो। महात्मा गांधी जी का सपना भी था कि जहां हर व्यक्ति को सम्मान और आत्म निर्भरता से जीवन यापन करने के लिए, अब मनरेगा नहीं, बल्कि "वीबी - जी राम जी" यानि विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल 2025 आ रहा है। यह 125 दिन रोजगार देने की गारंटी दे रहा है।

<u>23.12 hrs</u> (Hon. Speaker *in the Chair*)

मान्यवर, इसमें मैं कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो माननीय मंत्री जी ने मध्य प्रदेश में गांव, गरीब, किसान और मजदूर की चिंता करते हुए, बहुत सारे विकास के कार्य किए। मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि नवीन योजना अंतर्गत कृषि आधारित कार्यों की कार्य योजना बनाया जाना चाहिए। नवीन योजना अन्तर्गत कृषकों की कृषि कार्यों की

लागत कम करने के लिए लघु सीमान्त श्रेणी से लेकर मनरेगा से मजदूर उपलब्ध कराते हुए निराई, गुराई और कटाई की कार्य योजना तैयार कराकर कृषकों को लाभान्वित किया जा सकता है। इससे कृषक और मजदूर दोनों लाभान्वित हो सकेंगे। ग्रामीण विकास के समस्त योजना एवं निर्माण कार्यों का अभिसरण नवीन योजना से किये जाने का सुझाव मेरी ओर से है। नवीन योजना अन्तर्गत भौगोलिक स्थिति अनुसार (कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ) तकनीकी प्राक्कलन तैयार किये जाने का प्रावधान शामिल किये जाने हेतु मैं अपनीओर से सुझाव प्रस्तुत करता हूँ।

मैं देश के उन सभी ग्रामीण परिवारों की ओर से आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी, माननीयअमित शाह जी एवं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को अपनी लोक सभा क्षेत्र की ओर से बहुत-बहुतधन्यवाद देना चाहता हूं। भारत माता की जय।

***m81माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, आप सभी घड़ी देख लें। तीन मिनट होते ही आपकी माइक बंद हो जाएगी। जिन माननीय सदस्यों को बोलना है, वे सहमति दे और जिनको नहीं बोलना है, वे भी बता दें।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी माननीय सदस्य चले गए, उन्होंने कहा था कि कितने घंटे चर्चा करवाओगे। यही कहा था ना। मैंने कहा कि घंटों की चिंता मत करो, बैठने की चिंता करो।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप तो यहां आगे बैठोगे। श्री बापी हलदर।

***m82SHRI BAPI HALDAR (MATHURAPUR):** Thank you, Hon. Speaker Sir, for giving me the opportunity to speak on the Viksit Bharat ? Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB?G RAM G (Viksit Bharat?G Ram G) Bill, 2025, which is yet another step towards snatching away the fundamental rights of the common people. At the very outset, I express my gratitude to our Honourable Chief Minister, Smt. Mamata Banerjee; and to our beloved Member of Parliament, Shri Abhishek Banerjee- who was detained by the Delhi Police while fighting for the rights of the people of West Bengal under this scheme. Our women Members of Parliament were also detained on that day. The people of Bengal and the people of India witnessed the anti-Bengal actions of this Government on that occasion.

Since March 2022, this Government has not allocated a single rupee to West Bengal under this scheme, purely because of its anti-Bengal attitude. Yet, time and again, it has falsely claimed that the allocated funds for Bengal have been released. Our leader, Shri Abhishek Banerjee, repeatedly appealed to the authorities in Delhi. If even a single rupee has been released to West Bengal after March 2022, then a White Paper should be published so that the people of Bengal and the people of India may know that Bengal?s dues have been settled. Till date, no such White Paper has been published, and the people of Bengal and India still remain unaware because Bengal?s rightful dues have not been paid. Approximately 1 crore 37 lakh families and 2 crore 56 lakh job card holders in West Bengal, under the leadership of Chief Minister Smt. Mamata Banerjee, has repeatedly secured top positions in the

implementation of this scheme across the country. This Government, having failed to physically harm the people of Bengal, is now conspiring to starve them. It has withheld ₹52,000 crore of the hard-earned money of the working people of Bengal.

Sir, it was stated in this sacred Parliament, through legislation, that job card holders would be given work for 14 days and that on the 15th day, the wages would be directly deposited into their bank accounts. Those who claim to be the custodians of law are now violating the law itself, disregarding the orders of the High Court and the Supreme Court, and have still not paid Bengal?s rightful dues amounting to ₹52,000 crore. This Government, while changing the names of various schemes and institutions, is ultimately hurting the sentiments of the people of Bengal. They are sparing no one?sometimes Bankim Chandra Chattopadhyay, sometimes Ishwar Chandra Vidyasagar, sometimes Raja Ram Mohan Roy. They have even conspired to insult Rabindranath Tagore, the world-renowned son of Bengal, by removing the title of Mahatma given by him from the name of this Bill. By removing Mahatma Gandhi?s name from this Bill, Rabindranath Tagore has effectively been insulted. Sir, this project does not involve merely a change of name. The funding pattern has also been altered from 90:10 to 60:40, thereby shifting a greater financial burden onto the State Governments. This clearly reflects an intention to gradually dismantle this scheme in the future.

I strongly oppose this Bill. While it speaks of extending employment from 100 days to 125 days, the reality is that this Government has failed to provide even 100 days of work. The people of Bengal have been denied their rightful entitlement under the 100-day work scheme. I strongly protest against this Bill and request that it be referred to a Joint Parliamentary Committee for detailed examination. Thank you.

***m83श्रीमती संजना जाटव (भरतपुर) :** धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विकसित भारत- जी राम जी बिल पर बोलने का मौका दिया। मैं कुछ चंद पंक्तियों से शुरुआत करना चाहूँगी -

"कि गांव की मिट्टी ने पूछा आज संसद के इस दरबार में,

कि गांव की मिट्टी ने पूछा आज संसद के इस दरबार में,

क्या फिर से लौटेगा ठेकेदार, मजदूर के इस संसार में।

मनरेगा था, तो भूख भी डरकर भाग गई,

मनरेगा था, तो भूख भी डरकर भाग गई,

अब कौन देगा काम, जब खेत सूखे हर साल में।"

मैं सबसे पहले यह कहना चाहती हूँ कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान पूरे विश्व में किया जाता है। यह एक भाजपा के वरिष्ठ नेता जब विदेश के दौरे पर जाते हैं, तो वहां बापू की प्रतिमा पर फूल अर्पित करते हैं, यहां देश में उनकी सोच को मिटाने की जो कोशिश की जा रही है। मैं सदन में बताना चाहूँगी कि ये चाहे कुछ भी कहें, ये कभी नेहरू हटाओ, तो कभी गांधी को हटाओ, तो कभी इतिहास बदलो, कभी नाम बदलो।

विगत 10 वर्षों से भाजपा सरकार में है और खुद ही यह कह रही है कि कोरोना के उपरांत मात्र 7.61 परसेंट परिवार को ही साल में 100 दिन का रोजगार मिला था तो अब यह कौन सी जादू की छड़ी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में हर गरीब परिवार को ये प्रतिवर्ष 125 दिनों का काम दे पाएंगे।

दूसरी तरफ पहले केन्द्र सरकार 100 प्रतिशत का अनुदान किया करती थी, जो कि अब घटकर 60 प्रतिशत हो गया है। अब 40 प्रतिशत का योगदान राज्य सरकार भी करेगी। इससे राज्य सरकारों को एक तरह का आर्थिक बोझ झेलना पड़ेगा। मैं यह कहना चाहती हूँ कि गांव का मजदूर शब्दों की राजनीति नहीं समझता है। वह सिर्फ इतना समझता है कि ?आज काम मिलेगा या नहीं और शाम का चूल्हा जलेगा या नहीं।?

अध्यक्ष महोदय, इस बिल के पारित होने से इन सब पर प्रभाव पड़ेगा। गांवों के लिए स्वायत्ता खत्म हो जाएगी और केन्द्र के द्वारा जब कार्यों का निर्णय लिया जाएगा तो उससे मनरेगा का स्वरूप ही एकदम खत्म हो जाएगा। इस बिल को पारित करके सारी शक्तियों का केन्द्रीकरण भारत सरकार में ही हो जाएगा।

इस बिल में एक और प्रावधान है कि फसल कटाई के दौरान 60 दिन तक कोई ग्रामीण विकास का कार्य नहीं होगा, जिससे किसानों को फसल कटाई के समय मजदूरों की कमी नहीं होगी, किन्तु यह जरूरी नहीं है कि हर गरीब मजदूर को कार्य मिल ही जाएगा। आजकल कटाई मशीनों से होने लगी है और यह किसानों को सस्ता पड़ता है। मजदूरों से काम करवाएं तो ऐसे में गरीब किसान परिवार और ग्रामीणों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

अंत में मैं अपनी बात दो लाइन कहकर समाप्त करना चाहूंगी।

?मनरेगा झुका नहीं, झुकाया गया है,

नाम बदलकर अधिकार छीना गया है,

सदन से सड़क तक गूंजेगी यह आवाज,

गरीब का हक लौटाओ, यह वादा लिया गया है।?

यह बिल ग्रामीण गरीब जनता के लिए एक अभिशाप होगा और मैं इस बिल का पूरी तरह से विरोध करती हूँ।

***m84श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का और मेरे लोक सभा क्षेत्र श्रावस्ती, बलरामपुर की देवतुल्य जनता को भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का नाम बदलकर ये जो ?विकसित भारत?रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) : वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) विधेयक, 2025? लाई है, उस पर मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि इस कानून का नाम बदलना पड़ रहा है? क्या नाम बदलने से मजदूरों की भूख मिट जाएगी? क्या उनका पलायन रुक जाएगा?

अध्यक्ष महोदय, अगर कुछ करना ही था तो सरकार मनरेगा मजदूरों के लिए कम से कम 365 दिन का रोजगार गारंटी लाती। जब साल में 365 दिन होते हैं, तो गरीब मज़दूर को सिर्फ़ 100 दिन का रोजगार क्यों मिलता है? आज मनरेगा मजदूरों की माली हालत बहुत ही खराब है। सरकार विकसित भारत का नारा दे रही है, लेकिन गाँव का युवा आज भी रोज़गार की तलाश में पलायन करने को मजबूर है। जमीनी सच्चाई यह है कि मज़दूरों को न तो पर्याप्त काम मिल रहा है और न ही समय पर मज़दूरी मिल रही है।

केंद्र और राज्यों के बीच फंड बंटवारे की खींचतान को लेकर कई जगहों पर काम ठप पड़ा है। कई राज्यों को महीनों से पैसा नहीं मिला है। यह विधेयक पुराने मनरेगा को नए नाम और नए नारे के साथ पेश करने का प्रयास है, लेकिन इसमें न ही बजट बढ़ाया गया है और न ही समय पर भुगतान की कोई कानूनी गारंटी दी गई है। इसमें न ही देरी होने पर कोई दंड का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, जब तक पैसा समय पर नहीं मिलेगा, जब तक मज़दूर को कानूनी हक के रूप में रोज़गार और मज़दूरी नहीं मिलेगी, तब तक ?विकसित भारत? का सपना साकार नही होगा। जब मनरेगा के अंतर्गत केंद्र-राज्य के व्यय का अनुपात 90:10 था, तब भी फंड समय पर जारी न होने अथवा उसमें देरी के कारण कार्य बीच में ही ठप हो जाते थे एवं मज़दूरों को समय से मज़दूरी नहीं मिल पाती थी। ऐसे में मौजूदा बिल में इस अनुपात को बदलकर 60:40 किया जा रहा है तो क्या इससे समस्याएँ और अधिक नहीं बढ़ेंगी?

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि मनरेगा मजदूरों की मजदूरी को बढ़ाकर कम से कम 500 रुपए प्रतिदिन की जाए। 100 दिन की रोजगार गारंटी को बढ़ाकर 365 दिन की जाए और मनरेगा का पैसा प्रधानों को (पंचायत के खाते में) समय पर जारी किए जाने का प्रावधान किया जाए।

प्रावधान किया जाए। मजदूरों को फंड और मजदूरी भुगतान में देरी पर उन्हें कानूनी मुआवजा दिया जाए। साथ ही किसानों की खेती में सहयोग हेतु धान, गेहूं, गन्ना आदि फसलों की खेती मनरेगा के मजदूरों से कराया जाए। इससे किसानों को सहयोग मिलेगा, उनकी लागत में कमी आएगी और किसान जो आज भी भूखमरी के कगार पर हैं, उन्हें राहत मिलेगी। साथ-साथ मनरेगा मजदूरों को भी पूरे वर्ष 365 दिन का काम मिल सकेगा। सभी गांवों और शहरों का रूप बदल दिया जाए, जिससे गांव शहर हो जाए। इससे मजदूरों और किसानों दोनों की माली हालत में सुधार होगा।

माननीय सभापति महोदय, आज भी हमारे लोक सभा क्षेत्र के दोनों जनपद - श्रवस्ती और बलरामपुर में विकास खंड- पचपेड़वा, गैसड़ी, तुलसीपुर, सिरसिपा, जमुनहा, जो नेपाल बॉर्डर के किनारे लगभग 40 ग्राम सभाएं बसी हैं, वहां अभी मोबाईल नेटवर्क नहीं है। बच्चों की ऑन-लाइन पढ़ाई नहीं हो पाती है। प्रधानों को भी ऑन-लाइन हाजिरी और अन्य कार्य करने में कठिनाई होगी। जब किसान आगे बढ़ेगा, तो गांव आगे बढ़ेगा। जब गांव आगे बढ़ेगा, तो देश आगे बढ़ेगा।

धन्यवाद अध्यक्ष जी।

***m85डॉ. राजेश मिश्रा (सीधी) :** धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं विकसित भारत, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजिविका मिशन (वीबी-जी राम जी) के समर्थन में बोलने के लिए यहां पर खड़ा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने लोक सभा क्षेत्र सीधी, सिंगरौली- ब्योहारी की जनता को धन्यवाद देता हूं कि मुझे सदन में आज इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए यह अवसर उनकी तरफ से दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां एक सुभाषित है -

?ग्रामे-ग्रामे सभा कार्ये, ग्रामे-ग्रामे कथा सुभौ

पाठशाला मल्लशाला, प्रतिपर्व महोत्सव?

इस बिल से यह प्रमाणित होता है कि यह सुभाषित आगे चल कर सही रास्ते पर आने वाला है। सामने बैठे हमारे विपक्ष के लोग तरह-तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। गांधी जी हमारे दिल में बसते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी की एक पंचनिष्ठा है। उस पंचनिष्ठा का जो तीसरा पैरा है, उसमें लिखा है कि गांधीवादी आर्थिक दृष्टिकोण, समतायुक्त एवं शोषणमुक्त समाज के प्रति निष्ठा। यह हमारा सिद्धांत ही है, तो आप हमें गांधीवाद क्या सिखा रहे हैं? आप सिर्फ नाम लेते हैं, हम गांधी जी का काम करते हैं। मैं इसके लिए अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे जो माननीय कृषि मंत्री जी है, माननीय शिवराज सिंह जी आपने ने तो किसानों और गरीबों के लिए मध्य प्रदेश में ऐसा कार्य किया है कि मध्य प्रदेश को कई बार कृषि कर्मन अवार्ड आपके मुख्यमंत्री रहते मिला है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो विधेयक है आगे चलकर के गांव के चतुर्मुखी विकास और विकसित गांव बनाने में बहुत योगदान करेगा।

गांव के बेरोजगार युवा जो काम हेतु दूसरे प्रदेशों में जाते थे, इस बिल से ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन रुकेगा। इस बिल के कुछ बहुत महत्वपूर्ण फायदे हैं।

दूसरा, इस बिल की निगरानी केन्द्र से होगी। केन्द्र से निगरानी होने के कारण योजनाओं को लागू करने में जो बहुत-सारी इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम्स होती थी, वे निश्चित तौर से पीएम जनशक्ति से जुड़ने के कारण दूर हो जाएंगी। प्राकृतिक आपदाओं या साधारण परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित तौर से विनिश्चय किये जाने का भी स्थायी परिवर्तन में छूट होगी। यह डिमांड वेरड्ड स्कीम है। मांगने पर पात्र व्यक्तियों को निश्चित तौर से रोजगार मिलेगा और रोजगार नहीं मिलने से बेरोजगारी भत्ते का भी इसमें प्रावधान है। इस बिल की कुछ विशेषताएं हैं। पहले सौ दिन का रोजगार मिलता था, अब 150 दिन का रोजगार मिल रहा है, तो आपको क्या समस्या हो रही है?

चूंकि, हम पंडित दीनदयाल जी के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। हमारा अंत्योदय का जो सिद्धांत है, हम उसी सिद्धांत के आधार पर चलेंगे।

मैं पुन: इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का और यशस्वी माननीय शिवराज सिंह जी का जो ग्रामीण विकास मंत्री के साथ-साथ कृषि मंत्री भी हैं, को भी धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष जी हमें बोलने का मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

***m86श्री मनोज कुमार (सासाराम) :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विकसित भारत - जी राम जी विधेयक, 2025 पर बोलने का मौका दिया। मैं आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे यहां आने का मौका दिया। मैं बिहार के लोगों को और अपने पार्लियामेंट क्षेत्र सासाराम की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं।

महोदय, मेरा यह सौभाग्य है कि आज मैं साढ़े ग्यारह बजे आपके सामने बोलने जा रहा हूं। मुझे आज यह सौभाग्य देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, यह लड़ाई सत्ता बनाम विपक्ष की नहीं है। यह लड़ाई गरीब बनाम अहंकारियों का है और इतिहास बताता है कि अहंकार की कभी विजय नहीं होती है। भोजपुरी में एक कहावत है - 'का कहीं, केकरा से कहीं, सबका में भरल खीस बा, जेकरा के हम आपन जननी, उहे निकलल 420 बा।'

महोदय, हर साल दो करोड़ रोजगार देने के बारे में कहा गया था। 15 लाख रुपये हर एकाउंट में देने की बात कही गयी थी। काला धन वापस लाने की बात कही गयी थी। लेकिन इसमें केन्द्र सरकार का कंट्रोल और राज्य को खर्च करने के लिए मजबूर करना। मजदूर के अधिकार को कम करके शर्त को लगा देना। इसलिए यह कानून गरीब विरोधी है।

महोदय, महात्मा गांधी जी का नाम हटा देने का मतलब देश का अपमान है, चूंकि वह हमारे राष्ट्रपिता हैं। इनका नाम हटाने का मतलब संविधान और लोकतंत्र का अपमान है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ बातों को रखना चाहूंगा कि सरकार इस बिल के माध्यम से बिल के कुछ प्रावधानों को हटाकर मजदूर और ग्राम पंचायत के अधिकारों को छीनना तथा बिहार जैसे संघर्षशील राज्यों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना चाहती है। इस बिल से गारंटी वाले काम के न्यूनतम दिन 100 से 125 किए जा रहे हैं। मैं इसके विरोध में नहीं हूं। हमारे एक माननीय सदस्य डेढ़ सौ दिन के लिए बोल रहे थे। हम चाहते हैं कि इसको बढ़ाकर दो सौ दिन कर दिया जाए। हम इसके पक्ष में हैं। बहुत से सत्ता पक्ष से हमारे मित्र बता रहे थे कि हम गांव की बिजली और स्वास्थ्य को अच्छा करना चाहते हैं। सामुदायिक भवन बनाना चाहते हैं। हम भी इसके पक्ष में हैं और हम भी चाहते हैं क्योंकि भारत गांवों का देश है।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से मांग है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम को न बदला जाए। पुराने फंडिंग जारी रखा जाए जिसमें मजदूरी का सौ प्रतिशत तथा मेटिरियल कास्ट का 75 प्रतिशत भुगतान केन्द्र सरकार करती है। कानून के डिमांड ड्रिवन नेचर को न बदला जाए। न्यूनतम मजदूरी कानून के तहत अधिसूचित मजदूरी दर को इस योजना से लागू किया जाए। कृषि कार्यों को योजना में शामिल कर कानून के तहत किसानों को मजदूर उपलब्ध कराए जाएं। कृषि सीजन में रोजगार कानून को सस्पेंड करने वाले प्रावधान को खत्म किया जाए।

महोदय, हम जब दिशा की मीटिंग लेते हैं तो उसमें मनरेगा के लोग भी आते हैं। इस मीटिंग में बड़े लेवल पर शिकायतें आती हैं। बिहार में डबल इंजन की एनडीए की सरकार है। बिहार में हजारों-लाखों मजदूरों ने काम किया है, लेकिन उनको पेमेंट नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उन लाखों गरीबों को सर्वे कराकर जिनका पेमेंट नहीं किया गया है उनका पेमेंट नहीं किया गया है, वह जितना जल्दी हो सके, किया जाए। बड़े लेवल पर बिहार में मनरेगा में भ्रष्टाचार है उस पर रोक लगनी चाहिए। दिशा में जिस प्रकार से एक समिति बनाकर रखी गयी है। हमें हर तीन महीने में तीन से चार घंटे लोगों को बैठना चाहिए ताकि यह योजना और मजबूत हो सके और बढ़िया हो सके ताकि गांवों को हम मजबूत बना सकें। बिहार पर लाखों-करोड़ों का कर्ज है, अगर 60:40 का रेश्यो किया गया तो यह भार और बढ़ जाएगा। यह योजना ग्रामीणों के हित में है, इससे यह और कमजोर हो जाएगी। ? (व्यवधान)

***m87श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विकसित भारत-जी राम जी बिल, 2025 पर अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मनरेगा ने पिछले दो दशकों में ग्रामीण भारत की तस्वीर बदली है। यह न केवल 100 दिनों की गारंटीड मजदूरी प्रदान करता था, बल्कि काम के अधिकार को कानूनी दर्जा देकर गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण संपत्ति निर्माण और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। नई योजना में 125 दिनों की गारंटी, तकनीकी एकीकरण, जैसे मोबाइल ऐप से हाजिरी, आधार लिंक्ड भुगतान, जियो टैगिंग, ड्रोन मॉनिटरिंग और एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन सकारात्मक कदम हैं। ये पारदर्शिता बढ़ाएंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे और कार्यों को चार प्राथमिक क्षेत्र, जल सुरक्षा, ग्रामीण संरचना, आजीविका संबंधी संपत्ति तथा जलवायु अनुकूलन पर केंद्रित करके टिकाऊ विकास सुनिश्चित करेंगे। साथ ही कृषि मौसम में 60 दिनों का कार्य विराम किसानों को श्रम उपलब्धता प्रदान करेगा। लेकिन, मैं आग्रह करना चाहूंगा कि 60 दिनों को भी किसान श्रम रोजगार गारंटी में जोड़ दिया जाए।

महोदय, यह बिल ग्रामीण रोजगार को मजबूत करने का दावा करता है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। मनरेगा के तहत वर्ष 2004 में औसतन एक व्यक्ति की योजना में अनिवार्य 100 दिनों के बजाय केवल 43 दिनों का रोजगार मिला। योजना के तहत केवल 3.5 प्रतिशत व्यक्तियों को ही पूरे 100 दिन का रोजगार प्राप्त हुआ। 125 दिन की नई गारंटी तब तक खोखली है, जब तक मांग पर काम न मिले।

महोदय, मुझे दिशा कमेटी की मीटिंग में हमारे बीडीओ ने बताया कि मेरे संसदीय क्षेत्र में मनरेगा योजना लागू नहीं है। ऐसी महत्वपूर्ण योजना का हमारे प्रदेश में लागू न होना बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे प्रदेश के लोगों को इस योजना के लाभ से वंचित न रखा जाए। हमारे प्रदेश में भी इस योजना का अमलीकरण सुनिश्चित किया जाये।

महोदय, इस बिल की कमियां गंभीर हैं, जिन पर विचार किया जाना चाहिए। डिमांड ड्रिवेन से सप्लाई ड्रिवेन मॉडल काम का अधिकार बजट पर निर्भर बनाएगा। पहले मनरेगा योजना के तहत 90 प्रतिशत व्यय केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता था, जबकि राज्यों द्वारा शेष 10% वहन किया जाता था। नए विधेयक के अनुसार यह अनुपात बदलकर 60:40 हो जाएगा, जिसमें राज्य 40% व्यय वहन करेंगे। फंडिंग अनुपात 60:40 राज्यों पर बोझ डालेगा, जो गरीब राज्यों को तोड़ देगा। महात्मा गांधी का नाम हटाना योजना की आत्मा को कमजोर करना है। निजी ठेकेदारों पर प्रतिबंध का स्पष्ट प्रावधान न होना शोषण को न्योता देगा। सरकार इसका समाधान कैसे करेगी?

महोदय, मेरे कुछ सुझाव हैं। फंडिंग अनुपात को पुराने स्तर पर बनाए रखें या कम से कम मजदूरी भाग पर केंद्र का पूरा योगदान सुनिश्चित करें। डिमांड ड्रिवेन मॉडल और काम के अधिकार को मजबूत करें और महात्मा गांधी का नाम बनाए रखें, ताकि योजना की प्रेरणा और विरासत जीवित रहे। ग्राम सभाओं को कार्य योजना में अधिक अधिकार दें। साथ ही, नई मजदूरी दरें मौजूदा दर से अधिक हों। बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए मजदूरी की दर कम से कम 500 रुपये प्रतिदिन रखी जाए।

महोदय जी. यह बिल ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने का बड़ा अवसर है। लेकिन, यदि यह श्रमिकों की मांग को नजरअंदाज कर केंद्र की मनमानी बढ़ाएगा, तो विकसित भारत का सपना विभाजित भारत में बदल सकता है।

अंत में, मैं सदन से अपील करता हूं कि हम राजनीति से ऊपर उठकर ग्रामीण जनता के हित में सभी पक्षों की राय लेकर फैसला लें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

***m88DR. MALLU RAVI (NAGARKURNOOL):** Thank you very much, hon. Speaker, Sir. I rise to oppose the Bill because of three, four reasons. The first reason is that this Bill intends to change the Father of the Nation, Mahatma Gandhi?s name.

Sir, you all know, Mahatma Gandhi?s name was not given by their parents. It was given by the people of India.

Not only that, he is known as the Father of the Nation. This title was not given by any Parliament or Assembly; it was given by the people of India. Mahatma Gandhi?s name stands for human values as well as freedom struggle. He is the man who led the freedom movement and secured freedom for India without bloodshed. Therefore, if you want to remove such a name from this Bill, it goes against the very feelings of the people of India. Some names stand for certain values. For instance, when you mention Ambedkar, his name stands for the Constitution. If you mention Abraham Lincoln, it stands for democracy. Lord Krishna?s name stands for Bhagavad Gita. Likewise, Vajpayee?s name stands for certain values. Our Rural Development Minister is also known for the good work done in Madhya Pradesh, as many speakers have just mentioned. The names they have established cannot be taken away by some Bills. Hence, I request the hon. Rural Development Minister to restore the name of Mahatma Gandhi in this Bill.

The next point is that previously budget used to be sanctioned in such a way that 100 per cent wages were given to the labour. But in this Bill, a 60-40 ratio is being followed, because of which the State Governments are not in a position to take up this MGNREG Bill. As a result, people will not get work. Though they have increased the days from 100 to 125, if the State Government is not able to contribute 40 per cent, then MGNREGS work cannot be

taken up. Kindly look into this again and ensure that it is done as it was earlier, with 100 per cent going to the labour. The labourers we are calling are the wealth creators in the villages. Through their hard work, all the wealth is generated. That is why we must take care of them, and that is the reason this Bill came into existence.

Another point is that earlier the budget sanction used to be demand-driven from the villages. Now this budget is being sanctioned by the Central and State committees. It has become a matter of discussion at the Central Government or State Government level, rather than being demand-driven. Kindly look into this also see that a demand-driven budget is sanctioned.

Next is the issue of the 60 days? cancellation of MGNREGS work during the agriculture season. If agricultural work is taken up under MGNREGS during this season, both farmers and labourers will benefit. But that is not being done. Because of this 60-day period with no work, some people may get agricultural work while others do not, and they suffer. Therefore, I request the hon. Rural Development Minister to kindly look into this matter, restore the name of Mahatma Gandhi, restore the 100 per cent sanction, and remove the 60-day cancellation during the agriculture season.

Thank you very much, Sir.

***m89श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषाद (संत कबीर नगर) :** माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी की तरफ से इस बिल का विरोध करता हूं। मैं एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूं-

?आपकी आँखों में देश के लिए कोई ख्वाब नहीं है,

आप कब बदल जाओ, इसका कोई हिसाब नहीं है,

नाम बदलने की आपकी आदत पुरानी है,

इसमें कोई नई बात नहीं है।?

माननीय अध्यक्ष जी, इन लोगों को नाम बदलने में महारत हासिल है। चाहे वह दिल्ली वाले हों या लखनऊ वाले, ऐसा लगता है कि इनका बस एक ही मिशन है, बस नाम बदलो और चुनाव लड़ो।

आप कितना नाम बदलिएगा और हमारे आराध्य भगवान श्रीराम जी का कितना उपयोग कीजिएगा? ऐसा मत कीजिए। मैं निषाद हूं, निषादराज का वंशज हूं। मेरे पूर्वज भगवान राम के मित्र थे और पीढ़ी-दर-पीढ़ी से हमें यही बताया गया है। ?निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।? आपके मन में कपट-छल था, तभी आप अयोध्या से हार गए। आप निष्काम भाव से देश की सेवा नहीं कर रहे हैं। आप देश को हर तरह से तोड़ने की कोशिश में हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी महापुरुषों में विभेद पैदा करके। मैं पूछना चाहता हूं कि मनरेगा, जो महात्मा गांधी जी के नाम पर संचालित था, उसे खत्म करने की या उसका नाम बदलने की क्या जरूरत आ पड़ी? क्या यह सरकार महात्मा गांधी जी के ग्रामोदय के सिद्धांत को नहीं मानती या फिर गांधी जी के विचार इस सरकार को असहज करते हैं? आपने बदलाव भी किया तो कैसा? जहां मनरेगा में 100 फीसदी अकुशल मजदूरी केन्द्र देता था, अब इस योजना को वी बी - जी राम जी में केन्द्र सिर्फ 60 फीसदी देगा। वह भी उस दशा में जब राज्यों पर 83.3 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है, तो प्रदेश कैसे काम करेंगे? इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मनरेगा को हटाने और इस बिल को लाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण सरकार द्वारा दिखाया जा रहा है, वह पारदर्शिता, भ्रष्टाचार पर रोक, एआई तकनीकी का उपयोग करके बेहतरीन तरीके से योजना को संचालित करना है। अगर ये सारे प्रावधान जरूरी हो गए थे, तो मनरेगा में ही सम्मिलित किए जा सकते थे। इसके लिए पूरी की पूरी योजना को खत्म करना कहां तक जायज है?

अध्यक्ष जी, मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए। अंत में, दुष्यन्त कुमार की कुछ पंक्तियां हैं, जो मैं आपको सुनाता हूं। ? (व्यवधान)

***m90माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, यह कवि सम्मेलन नहीं है।

? (व्यवधान)

***m91श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषाद (संत कबीर नगर) :** सर, मैं पहली बार बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश के लेबर को 250 रुपये मजदूरी मिलती है। यह उचित नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उन्हें कम से कम 600 रुपये मजदूरी दी जाए। उत्तर प्रदेश के लगभग 40 हजार मनरेगा कर्मचारियों को उनका बकाया दिया जाए। देश में ऐसे लगभग 5 लाख लोग हैं, उनका बकाया मानदेय देने की कृपा करें।

दुष्यन्त कुमार की पंक्तियां हैं :

?तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है

कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है।

मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं,

मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं हूं।?

जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।

***m92माननीय अध्यक्ष :** आज रामदास अठावले जी यहां नहीं हैं, नहीं तो वे तुरन्त जवाब दे देते।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती स्मिता उदय वाघ।

***m93श्रीमती स्मिता उदय वाघ (जलगांव)** : मैं विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 का पुरज़ोर समर्थन करते हुए यह कहना चाहती हूँ कि यह विधेयक केवल एक नई योजना नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत के भविष्य को सुरक्षित करने वाला दूरदर्शी सुधार है।

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद और अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के मंत्र को जमीन पर उतारते हुए आम आदमी, किसान, मजदूर और गरीब परिवार को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा है।

यह विधेयक लगभग दो दशक पुराने मनरेगा कानून को विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आधुनिक, परिणाम-आधारित और तकनीक सक्षम स्वरूप देता है। इसके अंतर्गत ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है जिससे ग्रामीण आजीविका सुरक्षा और अधिक मजबूत होगी।

इस विधेयक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब रोजगार केवल अस्थायी राहत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका सृजन और जलवायु अनुकूल परिसंपत्तियों के निर्माण से जोड़ा गया है। यह वही सोच है जो माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार को पिछली सरकारों से अलग बनाती है। डिजिटल गवर्नेंस इस विधेयक की आत्मा है। बायोमेट्रिक उपस्थिति, जीपीएस आधारित निगरानी, रियल-टाइम डैशबोर्ड और समयबद्ध डिजिटल भुगतान से भ्रष्टाचार, फर्जी हाजिरी और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। इससे श्रमिकों की गरिमा सुरक्षित होगी और उन्हें समय पर मजदूरी मिलेगी। जलगांव जैसे कृषि-प्रधान जिले के लिए यह विधेयक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें खेती के मौसम के अनुसार रोजगार कार्यों को समायोजित करने की व्यवस्था की गई है। इससे किसानों को मजदूरों की कमी की समस्या से राहत मिलेगी और कृषि तथा ग्रामीण रोजगार के बीच संतुलन बनेगा।

यह विधेयक सहकारी संघवाद को भी सशक्त करता है। 60:40 के संशोधित फंडिंग पैटर्न से राज्यों की भागीदारी बढ़ेगी और योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। यह विधेयक स्पष्ट संदेश देता है कि यह सरकार केवल योजनाओं के नाम बदलने में विश्वास नहीं रखती, बल्कि परिणाम, पारदर्शिता और जवाबदेही पर काम करती है। यह गांधीजी के आदर्शों को वास्तविक विकास कार्यों के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास है।

अंत में, मैं पुनः माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व को नमन करते हुए कहना चाहती हूँ कि यह विधेयक ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करती हूँ।

***m94SHRI SHREYAS M. PATEL (HASSAN):** Thank you, hon. Speaker, Sir. At the outset, I place on record my deepest respect for the Father of our Nation, Mahatma Gandhi, and for the promise of social justice that the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act brought to our villages. It was the Congress-led UPA Government which had the courage to enact a law that gave the poorest rural family a legal right to work, that is, MGNREGA.

MGNREGA transformed millions of lives by providing dignity of labour, income security and the creation of local assets. Today, we are being told that the Government proposes to repeal that Act and replace it with the so-called Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Bill, 2025. This Bill formally removes the name of Mahatma Gandhi and alters several core features of the guarantee on which people have relied for the past two decades. This is not a mere technical correction; it is a political Act with grave consequences for millions who depend on guaranteed rural employment.

Sir, this is not only about a name but it is an assault on the spirit of the original scheme ? the idea that poverty can be fought by guaranteeing work by upholding dignity and by empowering local communities. These are Gandhian ideals. To strip the scheme of its name is to show disregard for that spirit. Beyond symbolism, the Bill contains deeply troubling substantive changes. Measures such as the introduction of funding caps where earlier the Central Government bore full responsibility for wage payments will now require States to share wage costs, thereby shifting a heavier financial burden onto State Governments.

In Karnataka, MGNREGA has been a lifeline, issuing millions of job cards, creating local assets and ensuring steady wages, particularly for marginal farmers and women-headed households. Official and reliable data clearly

demonstrate high fulfilment rates and substantial livelihood support across the State, especially during periods of drought and crop failure. Diluting this Act will directly undermine the hard-won progress achieved by rural families in Karnataka.

Sir, we are not opposed to reform. We stand for strengthening the scheme and improving outcomes ? not for political rebranding that erases history and weakens a legally guaranteed right. If there are shortcomings in implementation, let us address them with enhanced funding, improved systems and stronger grievance-redressal mechanisms, not by changing the name and diluting the guarantee. The country needs greater protection for the poor, not increased uncertainty.

In conclusion, a law that bestowed dignity upon the poor cannot be stripped of its name and values without consequences. You may change the signboard, but you cannot erase memory or the needs of our people. A rose is a rose. You may change its name, but you cannot take away its fragrance. Similarly, you may rename the scheme as you wish, but the work, the dignity and the gains of MGNREGA live on in the lives of our people and will always remain etched in public memory. Therefore, this Bill is anti-poor, anti-farmer, anti-women and anti-labour.

I strongly oppose this Bill.

***m95श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल (सूरत) :** थैंक यू, स्पीकर सर।

जय राम जी की। गांधी नाम जपना और पराया माल अपना। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना।

आज मोदी जी ने कम से कम एक जादू तो कर दिया कि आपने पूरी जिन्दगी में गांधी जी का इतनी बार नाम नहीं लिया होगा, जितनी बार आज पूरे विपक्ष ने पूरे दिन में गांधी जी का नाम लिया है I Do not try to teach us about Gandhi Ji. Gandhi Ji is in our heart. Our Party is based on the philosophy of Gandhi *vichardhara*. We have adopted Gandhian principles, policies and programmes in our Party. So, do not try to teach us what Gandhi Ji is.

The Bill is to align the rural employment guarantee with an infrastructure-focused, digitally governed, expanded scheme that fits the Viksit Bharat 2047 vision. It aims to align the rural development framework with the national vision of Viksit Bharat 2047 by enhancing the statutory wage-employment guarantee to 125 days per financial year. It advances empowerment and growth through convergent public works under the Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack, focusing on water security, rural infrastructure, livelihoods and climate resilience. It ensures adequate farm-labour availability during peak agricultural seasons. It supports Viksit Gram Panchayat Plans that bring together different Government programmes and is aligned with PM Gati Shakti, using digital tools and technology to improve coordination across Block, District, State and National levels.

The Bill is part of ongoing reforms by the Modi-led Government to strengthen governance and accountability through a digitally enabled ecosystem, incorporating biometric authentication, GPS-based monitoring, real-time dashboards, public disclosures and AI-enabled oversight.

Under UPA, MGNREGA wages stagnated, asset creation was weak, and C&AG reports flagged fund leakages, ghost beneficiaries and inflated muster rolls. We have witnessed this in the past. In a way, we had seen scandals of Commonwealth Games, Colgate and 2G.

The Bill replaces open-ended funding model with fixed allocations based on objective criteria, aligning expenditure with national priorities. The Modi Government reformed Centre-State relations by replacing the Planning Commission?s discretionary fund allocations with NITI Aayog and implementing the 14th Finance Commission?s recommendations, raising States? tax share from 32 per cent to 42 per cent which was historical since Independence. We have brought up Centre-State relations on this core and 60:40 allocation will promote cooperative federalism and State ownership in rural employment planning. At the same time, the Bill strengthens transparency through digital infrastructure, mandating real-time attendance monitoring, end-to-end digital wage payments and weekly disbursement, reducing discretion and ensuring timely payments.

Moving beyond, the MGNREGA nomenclature reflects principled governance that honours Mahatma Gandhi Ji through outcomes rather than symbolic nameplates ? a distinction UPA failed to grasp. Congress reduced Gandhian ideals to branding only while allowing poor asset quality, leakages and ineffective implementation to undermine the dignity of labour and village self-reliance that Gandhi Ji championed.

24.00 hrs

The Bill advances Gandhian principles substantively through productive work, durable assets, self-sustaining village economies and long-term livelihood creation.

***m96माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, अभी इस विधेयक पर कुछ माननीय सदस्य अपने सार्थक विचार रखना चाहते हैं। यदि सभा की सहमति हो, तो सभा की कार्यवाही इस चर्चा की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए?

अनेक माननीय सदस्य : हां-हां।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, इस चर्चा का उत्तर कल देंगे।

श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल जी, कृपया आप अपनी बात पूरी करिए।

***m97SHRI MUKESHKUMAR CHANDRAKAANT DALAL:** The Bill is founded on the principle of sustainable rural development, welfare of labourers and farmers, and rural economy in a long way. When implemented, the Bill will go a long way in creating fixed assets in villages and enhance our GDP growth.

***m98माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आप अंत में गुजराती भाषा में बोल दीजिए।

***m99श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल** : महोदय, ठीक है।

Sir, I welcome this Bill and thank Narendra Modi ji because his Government has made these people chant Gandhi?s name many times.

***m100SHRI V. K. SREEKANDAN (PALAKKAD):** Thank you Hon?ble Speaker Sir,

I strongly oppose the bill that is introduced in the name VB G RAM G.

***m101माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, क्या आप मलयालम भाषा में बोल रहे हैं?

***m102SHRI V. K. SREEKANDAN:** Yes, Sir.

***m103माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, क्या आप मलयालम भाषा का अनुवाद हिन्दी में सुन पा रहे हैं?

अनेक माननीय सदस्य :हां-हां

m104SHRI V. K. SREEKANDAN: Modi government is implementing a programme by changing the name and destroying the aim and good intention of MGNREA, which was brought by UPQ government inorder to remove the poverty of crores of common man. This program that benefitted crores of people and workers were implemented when Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister and Sonia Gandhi was the UPA chairperson. By torpedoing this scheme BJP government has cheated crores of people.

MGNREGA is an Act by which 100 man days were guaranteed, where as through the proposal in this new bill this has been changed to a centrally sponsored scheme. This is a humongous cheat towards the workers. Not only that, the scheme that was earlier fully funded by the centre has now been cut to 60 %, where by a situation has arrived so that it cannot be implemented at all. Earlier when the electronic attendance was introduced lakhs of workers were kept out if this. Now, since the centre has cut the fund, those states having financial problems cannot implement this and ultimately will be discarded. This scheme is of use for leading crores of people to poverty. 125 man days is not going to be a reality. People will give a befitting reply to BJP who is trying to befool the people for their political ends. If you have any sincerity to implement this scheme, the 100 man days should be increased to 200, and show your sincerity.

This is not for the first time Mahatma Gandhi?s name is being discarded. Narendra Modi government is doing the same in several schemes and chanting the slogan of "Gandhi Mukth" India. This has been going on for years. Suppressing Mahatma Gandhi through changing the name of this scheme will remain an unfulfilled dream. Crores of people in this country are waiting to give a befitting reply to BJP government that is afraid of Mahatma Gandhi?s name even after 77 years of his death. I forewarn this government that Modi or 100 Modis may try, Mahatma Gandhi's ideas will remain untained eternally so long as the world goes. I urge to withdraw this bill and to make 200 man days, and give 100 percent central fund and take measures to help the poor workers.

I demand that the bill may be withdrawn.

***m105SHRI K. RADHAKRISHNAN (ALATHUR):** Sir, I am grateful to you that you allowed me to speak. I strongly oppose the proposed bill on behalf of Communist Party of India Marxist. The reason to oppose the bill has been explained by many honorable members here. As mentioned here, the UPA Government implemented this programme with the support of the left in the year 2005. This scheme was named after the great Mahatma Gandhi, our father of nation. By implementing that scheme it ensured employment and source of income to crores of people in the country. They came out of poverty and hunger up to some extent. We would have supported this bill, if the new bill proposed strengthening as per the existing scenario. Instead of achieving the goal of improving the livelihood of rural areas by providing employment and income, their condition worsened.

Sir, crores of rural people of our country have come out of poverty and hunger up to some extent. I have to say that this condition has worsened. The new bill proposes 125 man days instead of 100 man days. An increase in man days is a good thing. We would have supported the Government for this, however there is a deception hidden behind this. That is the central and state government should share the wages as 60% by central government and 40% by state government. In that case, it is an over burden for the state government. As already said here, Hon?ble Minister for Rural Development was the Chief Minister of Madhya Pradesh. A person, who has experienced the burden and liability of a state government, is now trying to impose the same on state governments. This is completely destroying the MGNREGA scheme. Sir, Kerala has well implemented this scheme. Kerala topped in almost all sectors in implementing this scheme. Apart from being on top, Kerala has implemented welfare scheme for these labourers. Not only in rural areas, but in urban areas also, this scheme was implemented in the name of great Ayyankali along with welfare schemes. The rank of India in World Hunger Index is 125 and in the same country where most of the people are poor, a state, on 01st November this year, was declared free of extreme poverty, and it proves the improvement of livelihood of the people of Kerala. This scheme can be used effectively to eradicate extreme poverty from extremely poor people. Instead of that, this programme is being devastated. As mentioned by other members, the primary objective of destroying this bill is to remove the name of our great, Father of the nation from the scheme. We know that, on 30th January 1948, Mahatma Gandhi the one who led the fight against British Empire was assassinated by the communalists. The same communal forces are trying to erase his name by this bill. Sir, in the name of Sri Ram, they are trying to erase the name of Gandhi. If you ask, who is the greatest devotee of Sri Ram, the answer will be Mahatma Gandhi. So, if the government withdraws the present bill, which uses Sri Ram?s name to erase the name of Mahatma Gandhi, and introduce a new bill which proposes for the welfare of the poorest of the poor, the left will support the bill. As this bill is anti-people, it is our responsibility to oppose the bill.

I conclude my words by opposing the bill. Thank you.

***m106श्री उम्मेदा राम बेनीवाल (बाड़मेर):** अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मैं आज विकसित भारत - रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण) : वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) विधेयक, 2025 के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सरकार फिर एक बार गरीब को भ्रम, संसद को गुमराह करने और देश के सामने नाम बदलने की राजनीति परोस रही है।

अध्यक्ष महोदय, यूपीए सरकार वर्ष 2005 में मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना लेकर आई थी, जिससे ग्रामीण भारत के अंदर रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। गांवों के अंदर लोगों को रोजगार मिला और लोगों का पलायन कम हुआ। विशेषकर, मैं पश्चिम राजस्थान के थार के उस क्षेत्र से आता हूं, जहां पानी की वैल्यू घी और दूध से ज्यादा होती है।

अध्यक्ष महोदय, इस योजना की वजह से गांवों और ढाणियों के अंदर रहने वाले लोगों के लिए टांकों का निर्माण हुआ, जिससे पानी की समस्या का समाधान हुआ। छितराई हुए ढाणियों के अंदर आने-जाने के लिए ग्रेवल रोड के माध्यम से लोगों को आने-जाने में सुविधा हुई। जिस तरीके से अब इस योजना को धीरे-धीरे कमजोर किया जा रहा है और लेबर का हजारों-करोड़ों रुपया भुगतान के लिए बाकी है। आज पूरे देश के अंदर 20,000 करोड़ रुपए मनरेगा में लेबर और मेटेरियल आपूर्तिकर्ताओं के लिए बाकी है।

अध्यक्ष महोदय, इसी के तहत अकेले राजस्थान के अंदर 2,000 करोड़ रुपए बाकी हैं। इसी के साथ मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर 1,000 करोड़ रुपए के करीब मनरेगा के अंदर मेटेरियल और सप्लाई के बकाया हैं। ऐसे में धीरे-धीरे इस योजना को कमजोर किया जा रहा है, नए कार्यों को स्वीकृत नहीं किया जा रहा है और इस योजना के अंदर, वर्ष 2024 के अंदर जल संग्रहण योजना के तहत बाड़मेर जिले को सेकेंड पोजीशन मिली। चाहे चार-पांच साल के आंकड़ों को इकट्ठा करके मिली हो, लेकिन, जल संग्रहण के क्षेत्र में ये योजनाएं वरदान साबित हुईं और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने के लिए भी ये योजनाएं वरदान साबित हुईं।

इसके साथ ही साथ इस नई योजना के अंदर 40 परसेंट हिस्सा राज्यों के ऊपर डाल दिया गया है। आज राजस्थान राज्य आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है। आज राजस्थान के अंदर रिफाइनरीज़ जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उनके अंदर राज्य अपना 25 परसेंट हिस्सा देने के लिए सक्षम नहीं हैं, तो इस योजना के अंदर 40 परसेंट हिस्सा राजस्थान सरकार कहां से लेकर आएगी? यह इस योजना को कमजोर करने की साजिश है।

अत: मैं इस योजना के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और पूरी कांग्रेस पार्टी इस योजना का विरोध कर रही है।

अब योजनाओं के नाम बलकर नई योजनाएं ला रहे हैं। आदर्श सांसद ग्राम योजना हो, चाहे स्मार्ट सिटी योजना हो, सब योजनाओं के नाम बदलकर योजनाएं लागू की जाती हैं, लेकिन पैसे के अभाव में सारी योजनाएं फेल साबिल हुई हैं। इसलिए हमारी पार्टी इस नए नाम से लाई गई योजना का पूर्ण रूप से विरोध करती है।

***m107श्री लुम्बाराम चौधरी (जालौर) :** अध्यक्ष महोदय, मुझे विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी (विकसित भारत जी राम जी) विधेयक, 2025 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं और आपका आभार व्यक्त करता है।

महोदय, मेरा निवेदन है कि इस विधेयक के गारंटी मिशन योजना में किसान के कृषि कार्य को शामिल किया जाए, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा और गरीब किसानों को भी फायदा मिलेगा। हमारे कृषि मंत्री किसानों से जुड़े हुए हैं। इन्होंने किसानों के दर्द को जानते हुए हमारे कृषि किसानों की बुवाई और कटाई के महत्वपूर्ण समय में 60 दिन देने का जो कार्य किया है, इसके लिए मैं इस विधेयक का गरीब जनता और किसान भाइयों की ओर से माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और आदरणीय कृषि मंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। मैं पूरे देश के किसानों की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

***m108डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले (जालना) :** अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जो नाम बदलने का नया बिल यहाँ पर लाया गया है, जिसका नाम वीबी?जी राम?जी अधिनियम, 2025 के नाम से है। मैं इसके इतिहास में आपको लेकर जाना चाहूँगा।

जब महाराष्ट्र में वर्ष 1965 में अकाल पड़ा, तो वीएस पागे समिति ने यह योजना सांगली जिले में तासगांव में प्रायोगिक तौर पर शुरू की थी। उसके बाद वर्ष 1978-79 में यह योजना महाराष्ट्र में लागू हुई। वर्ष 1980 में इस योजना को महाराष्ट्र ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के नाम से जाना। वर्ष 2005 में यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से लागू हुई। इसकी हिस्ट्री को बताने का मतलब इतना ही है कि यह योजना महाराष्ट्र से आई थी। उस अकाल के बेरोज़गारी, भुखमरी और पलायन को रोकने के उद्देश्य से यह योजना लाई थी। बात यह है कि यह योजना महात्मा जी के नाम से वर्ष 2005 में लागू हुई थी। गुजरात के एक सांसद हैं, अभी उन्होंने एक गाना गाया था। ? (व्यवधान) वह गाना है कि - ?राम नाम जपना, पराया माल अपना।? आपने उसको ?गांधी नाम जपना? बोला है। मैंने उसको करेक्ट कर दिया है। हम सब लोग महात्मा जी को इतना मानते हैं, आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। इसका नाम बदलने से क्या इस योजना में कोई परिवर्तन आने वाला है? यदि आपको योजना में परिवर्तन लाना ही है, तो इसके लिए एक नया डिपार्टमेंट शुरू होना चाहिए। अलग-अलग डिपार्टमेंट के लोगों को एक जगह लाकर यह योजना राज्यों में चलानी पड़ती है। इसकी खुद की इस्टेब्लिशमेंट नहीं है।

मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि यदि इसमें कुछ अमेंडमेंट लाना है, तो खुद की इस्टेब्लिशमेंट भी ज़रूरी है, तभी योजना कुछ काम में आएगी, अन्यथा इस योजना से काम नहीं होगा और गरीब लोगों को काम नहीं मिलेगा। पहले केंद्र सरकार इसमें 90 परसेंट खर्च उठाती थी, लेकिन अब यह खर्चा 60 परसेंट कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि कौन से राज्य को कितना देना है, अपने हिस्से और राज्य के हिस्से में कितने पैसे डालने हैं। राज्यों की हालत इतनी खस्ता है कि वे आज भी सारे पैसे नहीं दे पा रहे हैं। इसमें एक अमेंडमेंट और लाया गया है, जो 100 दिन के बजाय 125 दिन काम देने से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को और मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि इस योजना में स्टैण्डिंग कमेटी ने 150 दिन के रोजगार का सुझाव दिया था। मैं यह कहूंगा कि उसमें कम से कम 150 दिन का रोजगार देना जरूरी है। दूसरी बात यह भी है कि जो बायोमेट्रिक का सिस्टम लाने वाले हैं। आज भी बहुत जगह बायोमेट्रिक है। अपने फेयर प्राइस शॉप पर दिक्कत आ रही है, काम नहीं हो रहा है और आपने यह फिर शुरू किया। मैं अंत में इतनी ही बात कहूंगा कि किसान के खेत में जो काम होते हैं, उनको भी इस बिल में इक्लूड किया जाए। जैसे कि बीज बोना, फसल काटना आदि जितने भी काम किसान खेत में करते हैं, उस किसान को भी इसमें शामिल किया जाए, ताकि वह किसान अपने खेत में ज्यादा से ज्यादा काम करेगा और अगर कोई मजदूर भी लगाएगा, तो उनकी मजदूरी भी इस योजना में से देनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

***m109डॉ. हेमांग जोशी (वडोदरा) :** Thank you, Hon?ble Speaker Sir. First of all, I would like to express my heartfelt gratitude to you in Gujarati, because you have given me the opportunity today to speak on the VB - G RAM G Bill on behalf of the people of Gujarat and the sacred land of Gujarat from which Mahatma Gandhiji emerged.

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह याद आता है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा की बात इस सदन में कही थी, तब उन्होंने कहा था कि 'मनरेगा' कांग्रेस सरकार की विफलताओं का जीता-जागता स्मारक है। फिर इसके बाद भी उन्होंने इस योजना को स्क्रैप नहीं किया, बल्कि इस योजना में ऐसे सशक्त प्रावधान डाले जिससे यह योजना ज्यादा से ज्यादा सशक्त बन सके। वरना ये तो 60 साल पहले गरीबी हटाने निकले थे और गरीबों को हटाने लगे थे। इस योजना को लेकर जो-जो अच्छी बातें हैं, उनके बारे में तो हमारे माननीय सदस्य बताने ही वाले हैं, परंतु जिस बलबूते पर यहां पर इसका विरोध किया जा रहा है, मैं इस बात पर जोर डालना चाहता हूं। कांग्रेस हों या उसके सभी सहयोगी दल हों, जिस गांधी जी की आप चिंता कर रहे हैं और अभी डीएमके की एक बड़ी नेत्री जो अभी इस सदन में मौजूद नहीं हैं, उन्होंने तो जी राम जी बोलने से भी परहेज

किया। वीबी ग्राम जी ऐसा बोला। यह सारी चीज भी देश देख रहा है। अभी डॉक्टर काले जी ने बोला कि हम भी गांधी जी को मानते हैं। मैं आपको बताता हूं ये गांधी जी को कितना मानते हैं। नेहरू जी ने वर्ष 1928 में गांधी जी द्वारा दिए गए राम राज्य के विचार को ही नकारा था और कहा था कि राम राज्य जैसा कुछ भी भारत में संभव नहीं है। इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन तो इनएविटेबल है और जो को-ऑपरेटिव्स की बात कही थी, उन्होंने कहा कि को-ऑपरेटिव जैसी चीज भारत में कतई संभव नहीं है, परंतु आज गर्व से कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे को-ऑपरेटिव के मंत्री-सह-गृहमंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में देश को-ऑपरेटिव के माध्यम से भी विकसित भारत बनने के लिए आगे बढ़ रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022 के विधान सभा चुनाव के चुनावी प्रवास में हमारे प्रवासी चुनावी नेता और विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी गुजरात में मेरे लोक सभा क्षेत्र वड़ोदरा में पधारे थे। जब वे एयरपोर्ट पर पधारे तो कार्यकर्ताओं ने उनको सूतर की आटी पहनाने के लिए ऑफर की। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गांधी जी के लिए बहुत बड़ा प्रतीक है, उसी सूतर की आटी का अपमान वड़ोदरा की धरती पर हमारे विपक्ष के नेता ने किया था। यह बात गुजरात कभी नहीं भूल सकता है।? (व्यवधान) यह बहुत ही अच्छा है। सुनिए, आपको काम आएगा। जब वर्ष 2024 के लोक सभा चुनाव में राजकोट में कांग्रेस की चुनावी सभा हुई थी। वे कहते हैं बहुत बड़ी थी, परंतु उनकी चुनावी सभाओं में मीडिया के अलावा कोई नहीं जाता है। उसी चुनावी सभा में कांग्रेस के गुजरात के बहुत दिग्गज नेता ने जो स्टेटमेंट दिया है, वह वर्बेटिम मैं आपके सामने पेश करता हूं, देश में सिर्फ एक ही महान गांधी हैं और वह हमारे राहुल गांधी हैं। ऐसी बात कांग्रेस के नेता ने गुजरात की धरती से की थी और दूसरी बात से तो हर भारतीय का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि गांधी में तो फिर भी थोड़ा खाली जगियापन है, मैं यह बात यहां पर नहीं कह सकता हूं। गांधी में तो फिर भी थोड़ा खाली जगियापन था, परंतु हमारे राहुल गांधी तो संपूर्ण रूप से मासूम इंसान हैं।

वाह! बहुत अच्छा मानते हैं। आप कौन से गांधी को मानते हैं? आप वह भी थोड़ा बता देते।? (व्यवधान) मैं आखिरी चीज बताना चाहता हूं। ये बोल रहे हैं कि नाम की राजनीति करते हैं। नाम की राजनीति करते-करते तो 60 साल में आपने शौचालयों को भी गांधी, नेहरू का नाम दे दिया था। उसे नाम की राजनीति बोलते हैं। वर्ष 2014 तक 400 से ज्यादा योजनाओं में नेहरू-गांधी परिवार का नाम जोड़ दिया था। उसे नाम की राजनीति बोलते हैं। हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार नाम की राजनीति नहीं, बल्कि काम की राजनीति करती है। मैं उन कामों के बारे में सदन को? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं 30 सैकेंड में अपनी बात समाप्त करता हूं। यह काम की बात तो अब आई है।? (व्यवधान) मैं सरकार के काम की कुछ उपलब्धियों को आपके सामने पेश करूंगा? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनैस, नीति आयोग, प्रधान मंत्री जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत आदि हैं।

अंत में, मैं संस्कृत का एक श्लोक बोलकर अपनी बात पूर्ण करना चाहूंगा। एक बहुत ही अच्छा श्लोक है।

नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः।
शुष्ककाष्ठश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन।।

उसका मतलब है कि जिस इंसान में गुण होता है, वह झुकता है। जिस पेड़ में फल होता है वह झुकता है, परंतु सूखी लकड़ी और दुर्गुणी इंसान कभी नहीं झुकता है। महात्मा गांधी जी के ऊपर रामोजी राव की एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी। मैं उसका डायलॉग बोलकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। उसमें गांधी जी के वेश में एक इंसान दूसरे किरदार को बोलता है कि बेटा, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, आगे बहुत बुरी तरह फंसोगे। मैं यही बात कहकर अपनी बात को पूर्ण करता हूं।

भारत माता की जय। जय राम जी की।

***m110श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे (रामटेक) :** अध्यक्ष महोदय, मैं विकसित भारत-जी राम जी बिल के ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जिस तरीके से प्रभु श्रीराम चंद्र जी का नाम इस बिल पर लिया जा रहा है, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय और सत्ता पक्ष के सारे साथियों को बताना चाहूंगा। मैं रामटेक लोक सभा क्षेत्र से चुन कर आता हूं और वर्ष 2024 में जहां-जहां प्रभु श्रीराम जी का नाम लोक सभा क्षेत्र के नाम में जुड़ा हुआ था, आप वहां सभी जगह पर हारे हुए हैं। आप राम जी का नाम लेने का अधिकार खो चुके हैं। आप राम जी का नाम लेकर कितना बचोगे और कितना राम जी का नाम लेकर आप वोट मांगोगे? आप कभी तो कामों पर वोट मांगो। आप इस बिल में दिखाओ कि आपने 100 दिन से 200 दिन कर दिए हैं। ? (व्यवधान) आप कभी तो बोलो कि हमने 100 परसेंट पैसे दिए हैं।

मैं आपके माध्यम से इस बिल के बारे में बताना चाहूंगा। क्लॉज 37 में मनरेगा को समाप्त करना, ऐतिहासिक जनकल्याण कानून की हत्या, यह बिल सीधे-सीधे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को निरस्त करता है। मनरेगा कोई स्कीम नहीं, बल्कि अधिकार आधारित कानून था। नया कानून रोजगार का अधिकार नहीं, बल्कि सरकार की योजना आधारित दया में बदल देता है। सरकार एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा कानून को खत्म कर रही है। 200 दिन की मांग के बजाय जरूरत से कम केवल 125 दिन की गारंटी सरकार दे रही है। जबकि महंगाई, बेरोजगारी और ग्रामीण संकट को देखते हुए विपक्ष की मांग 200 दिन की थी। सरकार रोजगार बढ़ाने का दावा करती है, लेकिन काम के दिन घटाकर आंकड़ों का खेल खेल रही है। क्लॉज 6 में पीक एग्रीकल्चरल सीजन रीस्ट्रिक्शन लगाकर रोजगार को और कम करने का काम इस बिल में किया गया है। माननीय मंत्री जी ने मुख्य मंत्री के रूप में 15 साल से ज्यादा का समय मध्य प्रदेश में गुजारा है। मनरेगा की ताकत क्या है, यह इनसे अच्छा कोई जानता नहीं है। लेकिन मुझे पता नहीं है कि किस विफलता के कारण इस बिल को उन्होंने मंजूरी दी और किस तरीके से पेश किया है। क्योंकि कृषि सीजन में काम पर रोक लगाई गई है। जिस समय सही मायने में रोजगार की जरूरत होती है, उसी समय को 60 दिन के लिए बैन किया गया है। यह जो हठ है, यह मेरी समझ से परे हैं। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि ऐसी कोई भी हठ बाहर की जाए।? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि क्लॉज 10 में मजदूरी तय करने की सारी पावर केन्द्र सरकार ने अपने पास रख ली है।

केंद्र सरकार ने 40 और 60 का जो अनुपात रखा है, यह भी गलत है। मैं महाराष्ट्र से आता हूं। महाराष्ट्र पर आज भी मैटेरियल का 1540 करोड़ रुपया बकाया है। रोजी का भी 500 करोड़ रुपया बचा हुआ है। जब अभी ही 10 प्रतिशत में यह हाल है, तो 60:40 में क्या होने वाला है? मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही विनती करूंगा कि जो-जो सुझाव आज विपक्ष ने दिए हैं, उनको सम्मिलित किया जाए और इसको अच्छे से पेश किया जाए, ताकि गरीब लोगों का कल्याण हो सके। जिस उद्देश्य से मनरेगा तैयार की गई, उसका उद्देश्य खत्म न करें, मैं आपके माध्यम से बस यही विनती करता हूं। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इसका उपाय करके बिल में सुधार करेंगे। धन्यवाद।

***m111श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल (वलसाड) :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपको खूब-खूब धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण बिल ? विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी (बीवी जी राम जी)? पर बोलने का मुझे मौका दिया। इस बिल से सबसे ज्यादा लाभ किसी को होगा, तो हमारे आदिवासी समाज, दलित समाज और पिछड़े समाज को होने वाला है। इसीलिए आदिवासी सांसद के तौर पर पूरे भारतवर्ष के आदिवासी समाज की ओर से मैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इस बिल का पूर्ण समर्थन करता हूँ। वर्ष 2014 तक हमारा भारत देश पूरे विश्व के अंदर 11वें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बना था। हमारे मोदी जी ने 11 साल में 11वें नंबर से भारत देश को विश्व में चौथी नंबर की अर्थव्यवस्था बना दिया।

00.32 hrs (18.12.2025) (Shri Jagdambika Pal *in the Chair*)

वर्ष 2047 में, जब हमारे देश की आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे, तब हमारे मोदी जी का संकल्प है, उनका विजन है कि उस समय तक देश विकसित भारत बन जाएगा। यदि हमको विकसित भारत बनाना है, तो उसके लिए सशक्त और समृद्ध ग्राम होना चाहिए। इसीलिए महात्मा गांधी जी का भी सपना था कि हमारे गांव स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। जो महात्मा गांधी जी का सपना था, वह हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्ण

कर रहे हैं। हमारे गांधी जी का एक सपना और भी था कि आजादी के बाद कांग्रेस को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए, फिनिश कर दिया जाए, वह सपना भी हमारे प्रधान मंत्री जी पूरा कर रहे हैं। गांधी जी का सपना, जिसमें कांग्रेस का अंत करना है, उसको भी वह पूरा कर रहे हैं। जब मनरेगा वर्ष 2005 में चालू हुई, तब सिर्फ 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती थी, लेकिन जो ?बीवी जी राम जी? बिल है, उसमें 125 दिन के रोजगार की गारंटी देने की बात की गई है। जो हमारी मनरेगा की स्कीम थी, वह पहले 100 प्रतिशत सेंट्रल फंडेड थी। अभी उसको 60:40 में बांट दिया गया है। इस बिल में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो विपक्ष नहीं बता रहा है, वह यह है कि जो हमारे पूर्वोत्तर और हिमालय के राज्य हैं, उनमें 90 प्रतिशत हमारी केंद्र सरकार और 10 प्रतिशत राज्य का हिस्सा रहेगा। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में इसको अभी भी 100 प्रतिशत ही रखा गया है। इसमें मुझसे पहले के स्पीकर अपनी बात कर रहे थे, कल से अनेक स्पीकर्स अपनी बात कर रहे थे।

माननीय सभापति : आप सबका जवाब मत दीजिए।

श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल : कल से मैं देख रहा हूं कि आदिवासी समाज और प्रभु श्रीराम को अलग रखने की बात की जा रही है। अरे भाई! आदिवासी समाज सबसे बड़ा रामभक्त है और वनवास के समय भी आदिवासी ही हमारे प्रभु श्रीराम के साथ रहे थे। उतना ही नहीं, राम जी भी हमारे आदिवासी समाज की शबरी माता के आश्रम में गए थे।

माननीय सभापति : आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल : मेरे से पहले बोलने वाले स्पीकर बता रहे थे कि जितनी जगहों पर भी राम का नाम लिया गया, वहां पर हम हार गए। मैं खुद शबरी धाम वलसाड लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता हूं। वहां पर कांग्रेस को हराकर भाजपा जीती है। इसलिए आपकी यह बात भी गलत है।

***m112श्री आनंद भदौरिया (धौरहरा) :** धन्यवाद सभपति महोदय। यह बदलती हुई तारीख, मजदूरों का मुस्तकबिल, यह तो तारीखी बहस है, यह बदलती हुई तारीख मजदूरों का मुस्तकबिल जरूर तय करेगी। मैं मजदूरों की पीड़ा को स्वर देने के लिए अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी, अपने नेता पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से उनकी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह जो सत्ता में बैठे लोग, उस तरफ बैठे लोग हैं, अभी दलाल जी कह रहे थे, मैं उनको सुन रहा था कि ?राम-राम जपना, पराया माल अपना?, ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी नाम का व्यापार करने वाले लोग हैं। पूज्य बापू के सीने में तीन गोलियां उतारने वाले लोग आज बापू का नाम हटाकर फिर एक बार बापू के विचारों की हत्या करने जा रहे हैं।

***m113माननीय सभापति** : आप इस तरह के आरोप नहीं लगाइए।

***m114श्री आनंद भदौरिया** : आप कृषि योजना से बापू का नाम हटा सकते हैं, पर गरीबों, मजदूरों, किसानों और इस देश के आवाम के दिलों से पूज्य बापू का नाम नहीं मिटा सकते हैं। मजदूर के पसीने में सदैव पूज्य बापू जिंदा रहेंगे। आप सिर्फ नाम नहीं बदल रहे हैं बल्कि कानून की मूल आत्मा को बदल रहे हैं। कृषि मंत्री जी इतिहास नाम बदलने वालों को नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने वालों को याद रखता है। आपके पास कोई नई योजना नहीं है, इसलिए पुरानी योजना का नाम बदल रहे हैं। मनरेगा में बदलाव बहाना है और मकसद मजदूरों को गुलाम बनाना है। मनरेगा देश में काम का अधिकार था, वह अधिकार आज फिर से कृपा बनाया जा रहा है। मनरेगा ने मजदूरों को जिंदगी में रंग भरा था, जिसे यह सरकार बदरंग कर रही है। यह रोजगार नहीं, बल्कि सम्मान के साथ जीने के अधिकार की रक्षा करता था, जिसे अब छीना जा रहा है। यह नया बिल भारत में फिर से बंधुआ मजदूरी और सामंती व्यवस्था को पैदा करेगा, जिसकी लड़ाई हमारे पुरखों डॉ. राम मनोहर लोहिया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, नेताजी और कांशीराम साहब ने लड़ी थी।

सभापति महोदय, मनरेगा किसी सरकार की योजना नहीं थी। यह संसद का कानून है। यह गरीब के हाथ में दिया गया काम का अधिकार था, कोई कृपा नहीं। जिस दिन यह कानून बना उस दिन इस देश ने स्वीकार किया कि गरीबों को रोजगार मांगने के लिए सरकार के दरवाजे पर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। सरकार उसके दरवाजे पर आएगी।

सभापति जी, मनरेगा के संविदा कर्मचारी, ग्राम रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक, ब्लैक सोशल ऑडिट कोऑर्डिनेटर को न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाए। बहस नाम पर खड़ा करना सरकार चाहती है, पर संसद के बाहर मजदूर का जीवन काम पर टिका है। अगर सरकार सच में ग्रामीण भारत को मजबूत करना चाहती है तो 200 दिन काम के किए जाएं, मजदूरी 600 रुपए की जाए, बजट पर्याप्त किया जाए।? (व्यवधान)

सभापति जी, हमारा माइक नहीं बंद कीजिए।

***m115माननीय सभापति** : हम माइक कहां बंद करते हैं? हम माइक बंद नहीं करते हैं। माइक के सिस्टम के बारे में अवधेश जी से पूछिएगा।

***m116श्री आनंद भदौरिया** : सभापति जी इतिहास याद रखेगा कि जब मजदूरों की लड़ाई रात बारह के बाद लड़ी जा रही थी तो इसी तरीके से सरकार माइक बंदकरा रही थी। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है। धन्यवाद।

***m117माननीय सभापति** : आपको यह अवसर कैसे मिला? साढ़े बारह बजे रात को आपको बोलने का अवसर मिल रहा है। साढ़े बारह घंटे इस पर चर्चा हो चुकी है।

***m118श्री सौमित्र खान (बिष्णुपुर) :** सभापति महोदय, मैं आपको, स्पीकर सर और शिवराज सिंह चौहान, पार्लियामेंट्री मिनिस्टर और सभी सीनियर मिनिस्टर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी रात के एक बजने जा रहे है। वक्फ बिल के बाद इस बिल पर बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। मैं वर्ष 2014 से माननीय सांसद हूं। मैं इसके पहले माननीय विधायक था, लेकिन इतनी अच्छी चर्चा किसी भी पार्टी की सरकार में नहीं हुई है। यह मोदी जी के शासन में संभव हुआ है। आज ऐसा बिल आया है, जिस पर कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि इस पर चर्चा चाहिए। आज उसके माननीय सांसद भी बहुत कम हो गए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जितने विरोधी पक्ष के जूनियर माननीय सांसद हैं, वे यहां लास्ट तक रहें, लेकिन वे लोग यहां नहीं हैं।

सर, मैं विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन **(**ग्रामीण**) :** वीबी-जी राम जी (विकसित भारत -जी राम जी) विधेयक के लिए इनको धन्यवाद देता हूं। जय श्री राम।

Today, many Hon. Members of Parliament from West Bengal have opposed this Bill. I do not understand why. Instead of 100 days of work, 125 days of work will be provided, yet they are opposing it. Do you know the reason? There is only one reason. A digital attendance system will be implemented, and they will no longer be able to steal. That is why they are opposing it. If they cannot steal wages from the 100-day work scheme, the TMC Government will not be able to function. Previously, there was the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana; its name was changed, and the name of NREGA was also changed. At this juncture, when this VG-GRAM-G Bill is about to be passed, tribal people and daily wage labourers will receive 125 days of work.

I thank the Honourable Minister today for thinking about the people of rural Bengal and the villages of India. We are first in the country in 100-day work because there is no work in Bengal. I believe the TMC should have supported this Bill, which has been brought for the benefit of the people of Bengal, because it provides 125 days of work instead of 100. I would also like to thank Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi and Shri Shivraj

Singh Chouhan for thinking about the people of our villages. During the COVID-19 pandemic, free food was delivered to the homes of 80 crore people. This Modi Government is for the poor, and this Central Government stands firmly by the poor. Thank you.

***m119ADV. GOWAAL KAGADA PADAVI (NANDURBAR):** Thank you, Chairperson, Sir. I directly want to speak about the Bill that is the VB?G RAM G Bill. This Bill may look constitutionally tenable, may be constitutionally tenable, but it is vulnerable. It is not *per se* unconstitutional or lacks legislative competence, but multiple provisions are likely to be struck down or read down by courts because of the dilution of the fundamental rights, violating established constitutional principles, and contradicting binding Supreme Court judgements. Employment and rural development fall under Entry 23 of List 3, that is the Concurrent List as well as the Entry 20 of List 3. Parliament does not have the power to enact this law. So the challenge is not about lack of power, but about how the power is exercised. MNREGA is not just a scheme, it is a rights-based welfare legislation. The VB?G RAM G Bill replaces a demand-driven legal entitlement. With a budget-capped executive control programme, this directly triggers constitutional scrutiny. As the Supreme Court judgement in Olga Tellis states, the right to livelihood is an integral part of Article 21 of the Constitution. In Swaraj Abhiyan vs. Union of India, delayed or denied MNREGA wages violates Article 21. This VB?G RAM G Bill is vulnerable because it caps unemployment irrespective of distress, allows suspension of work for up to 60 days, shifts unemployment allowance burdens to the States at the 60-40 ratio, and makes employment contingent on budget ceilings, not need. This is in violation of the doctrine of non-retrogression. Once the State creates a welfare right, it cannot regress arbitrarily. In the State of Punjab *vs.* Ram Lubhaya Bagga case, the hon. Supreme Court says that welfare measures, once institutionalized, cannot be withdrawn arbitrarily. Similarly, in Navtej Singh Johar's case, fundamental rights jurisprudence prohibits backsliding. I want to say that this is violative of Article 14 as well. I will quickly finish it up. It is because there is an assault on federalism as well as the basic structure of the Constitution because it shifts financial burden on the States, retains rulemaking ceilings, audits with the Centre and leaves States accountable without authority. I just want to finish by stating that there is weak accountability and social audits. This is against Article 21, the rule of law. As well as, there is likely to have a judicial outcome that could be striking down of suspension of work clauses, arbitrary budget caps, and unilateral cost shifting.

In the end, I just want to say one line. The VB?G RAM G Bill may have legislative competence, but it fails the constitutional test of dignity, equality, non-regression, federalism, and right to livelihood under Article 21. Thank you.

***m120श्री अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर) :** सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया है। मुझे अधिक कुछ भी नहीं बोलना है, ये जो आज नाम बदलने की बात आई है, नाम बदलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। समझने की बात इतनी ही है कि राम, हे राम, श्री राम, जय राम, जय-जय राम। श्री राम, जय राम, जय-जय राम, यह बाद में राम नाम सत्य है। लेकिन उसको किसने अपनाया, महात्मा गांधी जी ने अपनाया। ? (व्यवधान) उसमें कहीं से कहीं तक भी कोई गलत बात नहीं है। उनका सम्मान उसी तरह से किया जा रहा है, जिस तरह से हमेशा करते रहे हैं।

सभापति जी, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। यह 'VB-G RAM G' बिल है। इसमें क्या है? 'VB' यानी विकसित भारत, 'G' यानी गारंटी, 'R' यानी रोजगार, 'A' यानी आजीविका, 'M' यानी मिशन, 'G' यानी ग्रामीण। राम जी का नाम आ गया है, तो इतनी चिढ़ क्यों है? मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगर आप इस तरह के सिद्ध मंत्र का तिरस्कार करेंगे, तो दंड मिलेगा। सरकार की नीयत ठीक है। मैंने फिर कहा? 'श्री राम जय राम जय जय राम'। अगर आपका कोई काम अटका हो, तो 'राम' कहिए। देखिए, इसमें 13 अक्षर हैं। कभी-कभी 13 को अशुभ माना जाता है, लेकिन इसे शुभ माना जाता है। बेटी की शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं मिल रही, घर में क्लेश है, पति-पत्नी में नहीं बन रही, बेटा भटक गया है या गाय दूध नहीं दे रही?बस 'श्री राम जय राम जय जय राम' कहिए और रास्ता खुल जाएगा। आप बताएं कि मंशा कहाँ गलत है? मैं अंत में बस इतना कहना चाहता हूं -

?सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भये आस

राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नास। ?

महोदय, सचिव, वैद्य और जितने भी लोग थे, वे प्रिय बोलते रहे, इसलिए आज कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है। इस वजह से इनके दोस्त भी नीचे जाते जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको फिर से आगाह करता हूं कि कहीं भी महात्मा गांधी जी का कोई अनादर नहीं है। वह हमारे दिल में हैं। प्रधानमंत्री खुद उनका स्वागत करते हैं। वह हमारे कुल पुरुष हैं, वह राष्ट्रपिता हैं इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप दिल छोटा मत कीजिए, यह भगवान राम की कृपा है और सब ठीक होने वाला है। मैं इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

***m121एडवोकेट प्रिया सरोज (मछलीशहर) :** धन्यवाद सभापति महोदय, मुझे रात के 12.45 बजे बोलने का मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

महोदय, मनरेगा गया नामों में और मजदूर रह गया सवालों में। मैं आज सदन में सिर्फ एक बिल का विरोध करने नहीं, बल्कि एक सोच, एक मंशा और एक साजिश को बेनकाब करने खड़ी हुई हूं। सरकार ने 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' के नाम से जो बिल लाई है, वह दरअसल मनरेगा को उसके नाम, उसकी आत्मा और उसके विचार से अलग करने की कोशिश है।

सभापति महोदय, सरकार ने मनरेगा का नाम बदल दिया है और आज उसी कानून को 'G RAM G' बिल कहा जा रहा है। मैं दो लाइनें कहना चाहती हूं -

?गांधी से डरते हो, इसलिए नामों का खेल रचते हो,

मजदूर का हक छीनकर, उन्हें राम-राम सिखाते हो।

महलों की चमक में तुम गांवों की भूख भूल गए,

जुमले परोस कर खुद को असली भक्त बताते हो।?

सभापति महोदय, मैं सरकार से सीधे पूछना चाहती हूं कि क्या नाम बदलना ही विकास है? क्या नाम बदलने से गरीब का पेट भरता है? क्या शब्दों का खेल मजदूरों के हाथों में काम लाता है? जिस गांधी ने अपना जीवन मजदूरों को समर्पित कर दिया, जिनके आखिरी शब्द 'हे राम' थे, आज आपने उनके मजदूरों को उनके हक से विस्थापित कर दिया है। सच तो यह है कि गांधी का नाम इसलिए हटाया गया क्योंकि गांधी मजदूरों की आवाज थे और सरकार को आवाज नहीं, खामोशी पसंद है। गांधी जी ने सिखाया था कि भारत की ताकत महलों की दीवारों में नहीं, बल्कि खेतों की मिट्टी और पसीने से भरे हाथों में है।

महोदय, मनरेगा से मजदूर अधिकार मांगता था। नए कानून में मजदूर कृपा मांगने के लिए मजबूर है। पहले लिखा था कि काम मांगो, सरकार देगी। अब इसमें लिखा है कि बजट होगा तो मिलेगा, डेटा सही होगा तो मिलेगा, राज्य के पास पैसा होगा तो देंगे यानी अब रोजगार हक नहीं सरकार की मर्जी बन गया है।

महोदय, सरकार ने कहा है कि 125 दिन काम देंगे, पर मजदूर जानता है कि दिन कागज पर बढ़े हैं, पैसा जमीन पर घटा है।? (व्यवधान) महोदय, आपने बोलने का मौका दिया है तो अब हमें बोलने दीजिए। आपने इसे केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना बना दिया है यानी अब रोजगार मजदूर का अधिकार नहीं, सरकार की मेहरबानी बन गया है। यह विकसित भारत नहीं, केन्द्र का अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना हुआ। मैं यही कहूँगी कि रोजगार दान नहीं होता, रोजगार अधिकार होता है। मैं सदन से विनम्र अपील करती हूँ कि गरीब को नाम नहीं, काम दीजिए। मजदूर को नारा नहीं, इज्जत दीजिए, क्योंकि जो देश अपने मजदूर का सम्मान करता है, वही देश सबसे विकसित कहलाता है। मैं यह कहना चाहूँगी कि राम जी तो हम सबके दिल में बसे हैं, उन्हें किसी कागज या चुनावी बिल की जरूरत नहीं है। जय हिन्द, जय भारत, जय समाजवाद।

***m122श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) :** महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल पर बोलने का अवसर दिया है। मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं सरकार को साधुवाद देता हूँ कि वह देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिला के लिए, मजदूर के लिए, वंचित के लिए, शोषित और पीड़ित के लिए इस बिल को लेकर आयी है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आपको याद होगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी, उस दिन भी उन्होंने यही कहा था कि मेरी सरकार वंचित, शोषित, पीड़ित, गरीब, मजदूर, महिला, जवान और किसान की होगी और वह पूरा स्वरूप इस बिल में देखने को मिलता है। कुछ प्रश्नचिन्ह यहां पर खड़े किए गए कि क्या इसका नाम बदला गया। नामदार आप होंगे, हम कामदार हैं और काम करने में विश्वास रखते हैं। मैं आपको इसके इतिहास में जरूर ले जाना चाहता हूँ। आप देखिए कि पहले इसका नाम क्या था और वर्ष 1980 से इस तरह की योजनाएं चल रही हैं, जहां पर रोजगार की गारंटी की बात करते हैं। 1989 में आपने जवाहर रोजगार योजना नाम रखा। तब आपको महात्मा गांधी जी याद नहीं आए। क्या तब महात्मा गांधी जी याद आए थे? नहीं याद आए। फिर इसका नाम वर्ष 1999 में जवाहर रोजगार समृद्धि योजना रखा गया। In 2001, it was merged with the Sampoorna Grameen Rozgar Yojana, which further integrated with the food for work component.

सर, 2005 में यूपीए की सरकार आई, तब भी आपने महात्मा गांधी जी को याद नहीं किया। नेशनल रूरल इंप्लायमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा ही नाम था। वर्ष 2009 आते-आते, आपको चुनाव के समय महात्मा गांधी जी याद आए।? (व्यवधान)

आज पूरी कांग्रेस यहां पर नहीं है, लेकिन मैं उनको याद करा दूं कि उन्होंने महात्मा गांधी जी को कितना याद किया था। ? (व्यवधान) आप अपने नेताओं को बता दीजिएगा, जो अभी विदेश घूमने गए हैं। ? (व्यवधान) सर, मैं बताता हूं कि इसमें फर्क कितना है।? (व्यवधान) फर्क इतना है कि आप यहां गांधी जी को याद कर रहे हैं, लेकिन आपके गांधी बाहर हैं।? (व्यवधान) मनरेगा में केवल सौ दिनों का रोजगार उपलब्ध था। ?जी राम जी? में उनके लिए 125 दिन के रोजगार के अवसर होंगे। यही नहीं, आप लोग 15 दिन के बाद पेमेंट देने की बात करते थे, लेकिन इसमें हफ्ते में पैसा मिलेगा। आपके समय मस्टरोल में धांधलियां होती थीं, गरीबों का पैसा खा लिया जाता था, हजारों करोड़ रुपये की चपत लगती थी। नरेन्द्र मोदी की सरकार ने जन-धन योजना में खाते खुलवाए। अब उन्हीं खातों में पैसे डलवाने का काम नरेन्द्र मोदी की सरकार ने किया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यूपीए की सरकार में तीस से चालीस हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट नहीं हो पाता था। वह भी ढंग से खर्च नहीं होता था। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में जब कोविड का टाइम था तब भी एक लाख 11 हजार करोड़ रुपया हमने मनरेगा में बजट दिया और कोई पैसे की कमी नहीं आने दी। हमने बढ़-चढ़कर उसमें पैसा दिया है। यही नहीं, मैं आपके माध्यम से दो-तीन बातें और कहना चाहता हूँ।? (व्यवधान) मैं तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूँगा। आप कई राज्यों की बात देखिए। बात ओडिशा और

आन्ध्र प्रदेश की आती है, फंड डायवर्जन की बात आयी। बिहार, यूपी की बात आयी। वर्ष 2013 की घोस्ट जॉब कार्ड की बात आयी। जब महाराष्ट्र में, राजस्थान में, बुन्देलखंड में सूखा पड़ा तब भी यूपीए की सरकार वहां पर पैसे नहीं दे पायी, लेकिन कोविड के समय पर मोदी सरकार ने बजट से ज्यादा पैसा दिया और कभी इसके बजट में कमी नहीं आने दी। आप पिछले चार साल का बजट उठाकर देखिए, 80-90 हजार करोड़ तक बजट जाता है ।? (व्यवधान) मैं दो बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। हमने स्कोप ऑफ वर्क को प्राथमिकता दी है। वाटर सिक्योरिटी, कोल, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट डिजॉस्टर की बात की है ।? (व्यवधान)

***m123माननीय सभापति :** आप एक मिनट रूक जाइए।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : मुझे लगता है कि आपको संख्या का आभास कराना होगा। इस पक्ष की संख्या 299 है और इस पक्ष की 90 है, इसलिए समय इनके साथ अधिक है, आप इस बात को समझिए। आप एक मिनट में खत्म कीजिए।

? (व्यवधान)

***m124श्री अनुराग सिंह ठाकुर :** सर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने आकर जियो टैगिंग भी की, बैंक खाते भी खुलवाए, पारदर्शिता भी लाए, पैसे भी ज्यादा खर्च किए, एसेट भी ज्यादा क्रिएट किए हैं। सर, मैं सदन को एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : अभी निशिकान्त जी भी हैं, और लोग भी हैं।

? (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, एक मिनट तो दे दीजिए। भदौरिया जी, अगर ऐसे टोका-टाकी होगी तो शायद इस सदन में मेरे से ज्यादा तो कोई भी नहीं बोल पाता है। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बोलिए।

? (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : ऐसे तो आपके कितने नेता बोल पाएंगे, इसका मेरे को पता नहीं है। मैं पांचवीं बार का सांसद हूं। पहले यही काम करते रहे हैं। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बोलिए।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

? (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मुझे पता है, मैंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात उजागर की, नाम बदलने की बात उजागर की, इसलिए आपको पीड़ा हो रही है। ? (व्यवधान) लेकिन सच्चाई यह है कि साढ़े चार करोड़ से ज्यादा जॉब कार्ड्स डिलीट किए गए और एक महीने की ड्राइव में भी 1.63 लाख जॉब कार्ड साफ किए गए। सर, टीएमसी के नेताओं पर कट मनी से लेकर अन्य आरोप लगे ।? (व्यवधान) मैं यह सच कह रहा हूं,

इसीलिए पश्चिम बंगाल में मनरेगा में जो धांधली हुई, यह कहा जाता है कि This was not the purge of the poor but this was the purge of parasites. ? (व्यवधान) सर, इसको खाने का काम कुछ राज्य की सरकारों ने और कांग्रेस से लेकर विपक्ष की सरकारों ने किया। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : डॉ. प्रशांत पडोले जी।

? (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, मैं इतना ही कहूंगा कि, इसमें पारदर्शिता लायी जाएगी, एआई सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपकी बात आ गई है।

? (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, मैं यह कह रहा हूं कि हम केवल 'जी राम जी' बिल की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम इसके माध्यम से पारदर्शिता भी ला रहे हैं, 125 दिन का रोजगार भी दे रहे हैं, दिहाड़ी भी बढ़ाकर दे रहे हैं, सिस्टम में पारदर्शिता लाकर, देश के लिए एसेट कराकर विकसित भारत को संकल्प से सिद्धि तक ले जाने का काम नरेन्द्र मोदी की सरकार विकसित भारत 'जी राम जी' बिल के माध्यम से कर रही है। ? (व्यवधान)

***m125डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले (भन्डारा-गोंदिया) :** महोदय, मैं भारत के प्रधान मंत्री मोदी जी से विनती करना चाहूंगा कि हमारे महाराष्ट्र के मनरेगा के करोड़ों रुपये अब तक नहीं दिए हैं, तो आप वह कब तक देंगे? मैं मोदी जी से कुछ सवाल करना चाहूंगा और आप सबसे भी सवाल करना चाहूंगा कि हम सब लोगों का घर किसने बनाया? ? (व्यवधान) हमारे घर के लिए जाने का रास्ता किसने बनाया? ? (व्यवधान) हमारे कपड़े किसने सिले हैं? ? (व्यवधान) हमारे लिए भोजन किसने तैयार किया है? मोदी जी आप बताइए कि मजदूरों की आपने क्या हालत कर दी है। ? (व्यवधान) आपने मात्र 250 रुपये कर दिया है। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : बर्वे जी एक माननीय सांसद बोल रहे हैं। आप सदन के बाहर नहीं है कि आप उनके साथ नारा लगाएं। आप उन्हें बोलने दीजिए।

? (व्यवधान)

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले : सभापति महोदय, धन्यवाद। आज किसानों की हालत क्या है? यह प्रतिदिन मात्र 40 रुपये से नीचे है। आज लेबरों का क्या पेमेंट है, वह कैसे अपने घर को चला रहा है, न उसके पास बीमा की राशि है, न रहने के लिए बराबर घर है और खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उसकी मदद कौन करेगा?

सभापति महोदय, चंद्रापुर में एक किसान ने साहूकारी के कर्जे के कारण अपनी किडनी बेच दी। ? (व्यवधान) आप सोचिए, आज चांद पर जाने की बात चल रही है, मंगल पर जाने की बात चल रही है, लेकिन आज किसानों की वहां पर क्या परिस्थिति है। उसने किडनी बेच दी है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ? (व्यवधान) उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ? (व्यवधान) दूसरी बात यह है कि हमारी होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है? इंडिया में कितना बड़ा रैकेट चल रहा है।

माननीय सभापति : आप कन्क्लूड कीजिए।

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले : आप राम की बात करते हैं। राम हमारे तन, मन है साहब, तन, मन में है। काटेंगे तो राम ही निकलेगा, लेकिन हम यह अन्याय सहन नहीं करेंगे। ? (व्यवधान) हमारे मजदूर भाइयों के ऊपर अन्याय सहन नहीं करेंगे।

***m126माननीय सभापति :** श्री दर्शन चौधरी जी।

? (व्यवधान)

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले: हम यहां पर संकल्प लेते हैं। सर, एक मिनट।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति: अपनी बात कन्क्लूड कर दीजिए। एक लाइन में कन्क्लूड कर दीजिए।

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले: महोदय, भारत का संविधान कहता है कि ?हम भारत के लोग? हैं, लेकिन आप ?अदानी के लोग? बनाने पर क्यों तुले हुए हैं?? (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री दर्शन जी।

-

<u>01.00 hrs (18.12.2025)</u>

***m127श्री दर्शन सिंह चौधरी (होशंगाबाद):** सभापति महोदय, मैं ग्रामीण विकास और शासन के लिए मोदी जी की अनुकरणीय दृष्टि, जो इस विधेयक में माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा प्रतिबिम्बित होती है और उन्होंने मध्य प्रदेश को ?बीमारू मध्य प्रदेश? से ?विकसित मध्य प्रदेश? बनाकर सात-सात कृषि करूणा अवार्ड मध्य प्रदेश को दिलाने का काम किया है।

इस योजना के माध्यम से आज यह ऐतिहासिक कानून की विरासत को नकारने का नहीं, बल्कि उसे नए युग की आवश्यकताओं के अनुरूप उन्नत करने का प्रयास है। यह परिवर्तन आवश्यक है, जो वर्ष 2005 में नरेगा से शुरू हुआ, वर्ष 2009 से मनरेगा आया। उस समय जो चुनौती थी, वह भूख से सुरक्षा की चुनौती थी, लेकिन यह मोदी जी का भारत है, अब आकांक्षाओं को अवसर में बदलने का समय है। काम मिलेगा या नहीं, यह प्रश्न नहीं है, बल्कि काम कैसा होगा, कब मिलेगा,कितना टिकाऊ होगा, और क्या वह गांव को आत्मनिर्भर बनाएगा, यह प्रश्न है। यही कारण है कि यह सरकार रोजगार की गारंटी को सिर्फ़ मजदूरी तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे आजीविका, उत्पादकता और ग्राम-अर्थव्यवस्था से जोड़ती है।

VB-G RAM G विधेयक केवल रोजगार नहीं, ग्राम-निर्माण का संकल्प है। यह विधेयक तीन स्तरों पर क्रांतिकारी है। पहला, अवसर का विस्तार है। इसमें आईटी सुरक्षा और विश्वसनीयता है, जिसमें 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गयी है। दूसरा, काम की दिशा है, जिसमें "खुदाई और भराई" तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका ढाँचे और आपदा-प्रतिरोधक परिसंपत्तियों का निर्माण करेगा, जिसमें काम भी है, संपत्ति भी है, और भविष्य भी है। तीसरा, इसमें पारदर्शिता और तकनीक है, जो डिजिटल निगरानी, सामाजिक अंकेक्षण और सार्वजनिक प्रकटीकरण है। यह सरकार मानती है कि योजना गरीब के लिए हो, और निगरानी पूरे देश के लिए हो। प्रधान मंत्री मोदी जी का नेतृत्व दृष्टि से धरातल तक है।

माननीय सभापति महोदय, इस योजना ने देश को सिखाया है कि गरीब को दया नहीं, बल्कि अधिकार चाहिए और अधिकार के साथ जवाबदेही भी चाहिए। इसलिए, यह सरकार काम की गारंटी देती है और सिस्टम काम के गुणवत्ता की गारंटी देता है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने वर्षों तक जमीन पर रहकर गांवों को केवल अनुदान नहीं, संरचना और सम्मान तक पहुंचाने का काम किया है।

महोदय, यह विधेयक उस भारत का निर्माण करेगा जहाँ गांव पलायन का कारण नहीं, बल्किसंभावनाओं का केन्द्र बनेगा, पंचायत केवल कार्यालय नहीं, विकास की प्रयोगशाला होगी, रोजगार अस्थायी राहत नहीं, स्थायी आजीविका बनेगा और यही तो विकसित भारत की नींव है।

जब ये बार-बार राम की बात कह रहे हैं तो मैं इतना ही कहूंगा ?

राम न मारे काहू को, पापी होय न राम

आपहु ही मर जात है, कर-कर खोटे काम।

यह तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है ?

?राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भए गए सब सोका॥

बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप बिषमता खोई॥

दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहिं काहुहिं व्यापा॥

नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना, नहिं कोउ अबुध न लच्छन हीना॥

यह विकसित भारत की गारंटी है। यदि कोई दे सकता है, तो वह आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय मंत्री जी के नेतृत्व में मिलेगा। धन्यवाद। जय हिन्द।

भगवान बलराम की जय! भारत माता की जय!

***m128डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) :** सभापति महोदय, यह बिल कितना महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से इस बिल को लाया गया है, वह अभी की इस चर्चा से दिखाई दे रहा है। अभी रात के एक बज गए हैं। स्पीकर साहब बैठे हैं, आप बैठे हैं, केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बैठे हुए हैं। यहां किरेन रिजिजू जी बैठै हुए हैं, प्रह्लाद जोशी जी हैं, अर्जुन मेघवाल जी हैं। यहां अनुराग ठाकुर जी, मैं और कमलेश पासवान इत्यादि हैं। यह इस बात को दिखाता है कि पूरी की पूरी सरकार इस बिल को पास कराने के लिए यहां बैठी हुई है। चर्चा में जो लोग भी अपनी बात कह रहे हैं, उसे सभी सुन रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं भी संविधान देख रहा था और संविधान देखने की बुरी आदत है। एक संविधान वह है, जिसे डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया।? (व्यवधान)

***m129माननीय सभापति** : यह अच्छी आदत है। इसे आप बुरी आदत क्यों कह रहे हैं।

***m130डॉ. निशिकान्त दुबे** : सभापति महोदय, संविधान का आर्टिकल 49 है। इसका एक सेक्शन है, जिसके बारे में कल प्रेमचंद्रन जी ने कहा था। वह सेक्शन 51ए है। इसके कारण ?मीसा? का कानून आया था। उसमें जो दो नंबर है, उसे इंदिरा गांधी लेकर आई।? (व्यवधान)

स्पीकर महोदय, इन कांग्रेसियों की दिक्कत है कि मैं जैसे ही खड़ा होता हूं, वैसे ही वे चिल्लाने लगते हैं। अब आप देखिए कि संविधान-संविधान चिल्लाते-चिल्लाते इन्होंने पूरे देश को गुमराह किया। जब मैं संविधान की बात कह रहा हूं तो वे ऐसी बातें कह रहे हैं। संविधान में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 51ए के तहत इमरजेंसी लगाकर इंदिरा जी ?मीसा? का कानून लेकर आईं। उन्होंने ऐसा लिखा था।? (व्यवधान)

सर, बी नंबर बहुत महत्वपूर्ण है ? To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. यह किसने किया? महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा की बात की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी है। संविधान का आर्टिकल 49 कहता है कि महात्मा गांधी का नाम, राष्ट्रपति का नाम और उपराष्ट्रपति का नाम किसी भी योजना में नहीं हो सकता। कांग्रेस ने केवल भ्रष्टाचार के लिए, केवल पैसा कमाने के लिए और बैंड, बाजा तथा बारात को लेकर काम किया।? (व्यवधान) सबको पता है कि जो मनरेगा योजना है,

जितने भी सांसद यहां बैठे हुए हैं, आप सभी अपने दिल पर हाथ रख कर बोलिए कि मनरेगा में भ्रष्ट्राचार है या नहीं? ? (व्यवधान) मनरेगा में 50 परसेंट कमीशन है। ये लोग किसलिए परेशान हैं, क्योंकि हम जो बिल लेकर आए हैं, उससे परेशान हैं।? (व्यवधान)

सभापति महोदय, हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। इन्होंने बिल का शेड्यूल नहीं पढ़ा। पहला शेड्यूल यह है कि लोकपाल प्रत्येक जिले में बनाया जाएगा। जब लोकपाल बनेगा तो ये कांग्रेसी चौदह साल से जो इतने मोटे हो गए हैं, वे सब पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे।? (व्यवधान)

महोदय, जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, मनरेगा में मिट्टी का काम होता है। मिट्टी की मापी दो महीने बाद, तीन महीने बाद, बारिश के बाद, जब बारिश का पूरा पानी खत्म हो जाता है, तब मिट्टी की मापी होती है। मनरेगा का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यही है। इस कानून में मंत्री जी लेकर आए हैं कि तीन दिन के अंदर मापी होगी। यदि तीन दिन के अंदर मापी नहीं होगी तो उसके पैसे का पेमेंट नहीं होगा। आप लोग किस तरह की बात कर रहे हैं? आप गांधी को मारने की बात कह रहे हैं? गांधी जी को आपने कितनी बार मारा, क्या आपको इसका अंदाजा है? भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, क्या आपने गांधी जी को उस दिन नहीं मारा? आपने तिब्बत चीन को दे दिया, क्या आपने उस दिन गांधी जी को नहीं मारा? आपने कश्मीर का दो टुकड़ा कर दिया, क्या आपने उस दिन गांधी जी को नहीं मारा? आपने हिन्दू मैरिज एक्ट बनाया, क्या आपने उस दिन गांधी जी को नहीं मारा? गरीबी हटाओ का नारा देकर गरीबों को और गरीब बना दिया, क्या उस दिन आपने गांधी जी को नहीं मारा? शहबानो के केस में आपने मुस्लिम महिलाओं के हक को खत्म कर दिया, क्या आपने उस दिन गांधी जी को नहीं मारा? गौ हत्या के कारण आपने साधुओं पर गोलियां चलवा दी, क्या आपने उस दिन गांधी जी को नहीं मारा? आप गांधी जी को रोज मारते हैं।? (व्यवधान)

महोदय, आज हम भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं।? (व्यवधान) मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। हमारे यहां दो कहावत हैं ? ?चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए? और ?उल्टा चोर कोतवाल को डांटे?। भ्रष्टाचार करने वाली यह कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में शिवराज सिंह चौहान जी यह बिल लेकर आए हैं। लेकिन, कांग्रेस पार्टी के लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं।

महोदय, संस्कृत में एक श्लोक है। इसे कह कर मैं अपनी बात खत्म करूंगा-

?आपदामापन्तीनां हितोऽप्यायाति हेतुताम्।

मातृजङ्घा हि वत्सस्य स्तम्भीभवति बन्धने॥ ?

मोदी जी इस देश को ?न खाएंगे और न खाने देंगे? के रास्ते पर ले जा रहे हैं। ? (व्यवधान) आपदा है और आप चोरी कर रहे हैं। आपकी चोरी की योजना है। इस चोरी को हम खत्म करेंगे और देश को बचाएंगे। हम विकास का काम करेंगे।

महोदय, इस योजना के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम इस बिल का समर्थन भी करते हैं। जय हिंद ? जय भारत।? (व्यवधान)

***m131श्री नीरज मौर्य (आंवला) :** सभापति महोदय, आपका धन्यवाद।

विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) : वीबी- जी राम जी विधेयक पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, यह विधेयक केवल एक योजना बदलने का प्रयास नहीं है, यह देश के ग्रामीण गरीबों से, श्रमिकों से, खेतिहर मजदूरों से, हमारे पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज यानी पीडीए के अधिकार छीनने की कोशिश है।

मान्यवर, जो यह विकसित भारत की बात करते हैं और वर्ष 2047 का सपना दिखाते हैं, तो मुझे वसीम बरेलवी साहब की ये लाइनें याद आती हैं -

"घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है,

पहले यह तय हो कि इस घर को बचाएँ कैसे।"

मान्यवर, यह विधेयक केवल रोजगार से जुड़ा मसला नहीं है, यह इस सरकार की उस वैचारिक सोच का प्रतिबिम्ब है, जिसमें महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर दोनों की सोच के लिए जगह नहीं है। मान्यवर, यह सरकार और भाजपा के लोग दिखावटी तौर पर गांधी जी, बाबा साहब की तस्वीर के सामने मजबूरन सिर तो झुकाते हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि यह गांधी जी और बाबा साहब का देश है, लेकिन प्रत्येक दिन उनके आदर्शों, उनके विचारों पर, उनके मूल्यों को कुचलने का काम करते हैं। आखिर गांधी जी के नाम से इतनी क्या नफरत है कि योजना का नाम बदलना पड़ गया?

मान्यवर, समाजवादी विचारधारा की जड़ भी गांव गरीब, किसान और मजदूर हैं। उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकारों ने सदैव पंचायतों को मजबूत किया है, रोजगार सृजन के लिए सड़क, सिंचाई, स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र जैसे काम गांवों में प्राथमिकता से करवाए।

मान्यवर, डॉ. राममनोहर लोहिया जी ने कहा था कि -

"दवा पढ़ाई मुफ्ती हो और रोजी-रोटी सस्ती हो।

आज जो महंगाई का दौर है, आज जिस तरह से गांवों में मजदूरों के पास खाने की समस्या है, इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर मजदूरों को 252 रुपये का रोजगार दिया जाता है। ? (व्यवधान) अभी हमारे वरिष्ठ साथी कह रहे थे कि मनरेगा में भ्रष्टाचार है। सारे सांसद अगर दिल पर हाथ रखकर कहें, तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि अगर उसमें भ्रष्टाचार है, तो आपने उत्तर प्रदेश में मनरेगा के कितने भ्रष्टाचारियों को पकड़ा है? आप बताएं यह बात कि उत्तर प्रदेश में कितने मनरेगा के लोगों को भ्रष्टाचार में अंदर भेजा गया?

मान्यवर, भ्रष्टाचार पर रोक लगनी ही चाहिए, ? (व्यवधान) लेकिन उसके लिए केवल बातें करने से काम होने वाला नहीं है, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस योजना के तहत पहले काम के दिनों को बढ़ाना चाहिए। ? (व्यवधान) अगर मजदूर 125 दिन काम करेगा और आप उसे 252 रुपये देंगे, तो आप सोचिए कि सालभर में उसकी क्या आमदनी होगी? ? (व्यवधान) आज जिस तरह की महंगाई है, आज जिस तरह से डॉलर कहां पहुँच गया? ? (व्यवधान) आज रुपये की हालत क्या हो गई है? महंगाई बढ़ रही है और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से डॉलर का मूल्य बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है। ? (व्यवधान) हमारी जीडीपी जो 6-7 परसेंट बता रहे हैं, अगर सही मायने में सरकार रिपोर्ट पेश करें तो 2 से 3 परसेंट से ज्यादा नहीं होगी। ? (व्यवधान)

***m132माननीय सभापति :** 6-7 प्रतिशत नहीं, 8.2 प्रतिशत है।

***m133श्री नीरज मौर्य :** मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार इस बिल पर पुनर्विचार करे। इसे सिलेक्ट कमेटी को दें या जेपीसी बनाएं और इस पर और अध्ययन करके, इसे सही तरीके से लाया जाए। मान्यवर, हमारे देश के जो मजदूर हैं, वो इस सरकार से कह रहे हैं।

माननीय सभापति : धन्यवाद। श्री गुरजीत सिंह औजला।

? (व्यवधान)

श्री नीरज मौर्य : मान्यवर, आखिरी दो लाइनें कहते हुए, मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि -

"कहकहा आंखों का बर्ताव बदल देता है,

हंसने वाले तुझे आँसू नज़र कैसे आएं।"

मान्यवर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

***m134माननीय सभापति :** श्री अनुराग सिंह ठाकुर, ध्यान रहे, आप सिर्फ 30 सेकेण्ड में बोलें।

***m135श्री अनुराग सिंह ठाकुर :** माननीय सभापति जी, मैं दल से ऊपर उठकर सभी सांसदों के हित में एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी सांसद निधि सिर्फ पांच करोड़ रुपये है, जिसमें से 18 परसेंट जीएसटी चला जाता है। मनरेगा में कन्वर्जंस अलाउड है, लेकिन सेल्फ डालने के लिए कई बार तीन महीने-छह महीने का समय लगता है, तो कन्वर्जंस हो नहीं पाती है। अगर प्री अप्रूव्ड एमपीलैड को कन्वर्जंस में माना जाए, तो यह भी सरकार का पैसा है, सांसदों का पैसा है और जब मनरेगा के साथ जुड़ जाएगा, तो बेहतर एसेट क्रिएट हो पाएंगे, अगर सब सांसदों को लगता है। ? (व्यवधान) मुझे लगता है कि आप सबको इसका लाभ ही मिलने वाला है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएंगे।

***m136श्री गुरजीत सिंह औजला (अमृतसर) :** सभापति महोदय, आपने मुझे रात के करीब एक बजे इस बिल पर बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप यह जो बिल ?विकसित भारत?रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) विधेयक, 2025? लेकर आए हैं, उसके विरोध में मैं खड़ा हुआ हूँ।

<u>01.15 hrs (18.12.2025)</u> (Hon. Speaker *in the Chair)*

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुझे यह खुशी है कि यूपीए सरकार के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी गरीबों और गांवों में रहने वाले लोगों के रोजगार के लिए जो योजना लेकर आए थे, उसकी आज चर्चा हो रही है। मेरे सत्ता पक्ष के साथी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम लेने से झिझकते हैं। शायद इनको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम से आपत्ति है।

माननीय अध्यक्ष : आप नाम ले लीजिए।

श्री गुरजीत सिंह औजला : ये उनके कामों से सहमत नहीं हैं। मैं हर बात पर उनका नाम लूंगा। जब तक ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को नहीं मानेंगे, तब तक मैं उनका नाम लेता रहूंगा। ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो मनरेगा कानून है, उसमें इनको महात्मा गांधी जी के नाम से चिढ़ क्यों है? देश की आजादी से पहले जितने लोगों ने भी आजादी के लिए संघर्ष किया था, उनमें से ये तीन नाम आरएसएस के लोगों के बता दें। इनके पास कोई नाम नहीं है। जिन लोगों ने देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, उनके नाम से रोजगार क्यों नहीं होना चाहिए?

दूसरी बात शहीद और भगवान की है। शहादत देश और कौम के लिए होती है। भगवान सृष्टि रचयिता हैं। वे पूरी दुनिया के मालिक हैं। उसको आप गली-ग्राम में नहीं लेकर आ सकते हैं। पूरी दुनिया के मालिक राम हैं, लेकिन ये लोग भगवान राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि यह राजनीति बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। भगवान आपको बहुत दिनों तक यहां पर बैठने नहीं देंगे। ये कहते हैं कि हम भगवान राम को लाए हैं। ये कौन होते हैं भगवान राम को लाने वाले? भगवान राम जी इनको लेकर आए हैं, यह तो हम मान सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल पर एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। इन्होंने 60:40 का जो रेश्यो रखा है, वह गलत है। चूँकि सभी स्टेट्स पहले से ही कर्ज में हैं। उनके पास फंड नहीं है। यह पूरी तरह से गलत योजना है। पहले जो योजना थी, उसी तरीके से केन्द्र को फंड देना चाहिए।

अभी निशिकान्त जी ने कहा कि इसमें 50 परसेंट भ्रष्टाचार था। निशिकान्त जी, अगर 12 सालों से 50 परसेंट भ्रष्टाचार था तो क्या आप सो रहे थे? क्या आपकी सरकार भी सो रही थी? जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, उनको आपने जेल भेज दिया। आप ग्राम पंचायत के सरपंचों की

तौहीन कर रहे हैं। सरपंच ऐसे नहीं हैं। सरपंच भ्रष्टाचारी नहीं हैं। आप लोग भ्रष्टाचारी हो सकते हैं। ? (व्यवधान)

***m137DR. ANGOMCHA BIMOL AKOIJAM (INNER MANIPUR):** Thank you Mr. Speaker Sir. I know it has been quite a long debate and I will not take much time.

***m138माननीय अध्यक्ष :** रात के डेढ़ बजे भी जोश है, यह अच्छी बात है।

***m139DR. ANGOMCHA BIMOL AKOIJAM:** May I continue Sir? First of all, I am very grateful to the hon. Minister who has been listening to all these things even at this hour and I thank you for listening to all of us. I would like to put four specific points.

***m140माननीय अध्यक्ष :** माननीय मंत्री जी ने रात डेढ़ बजे तक आप सबकी जितने ध्यान से बात सुनी है, उतने ही ध्यान से आप कल माननीय मंत्री जी की बात को सुनना। मुझे लगता है कि आपकी तैयारी कुछ और है।

***m141DR. ANGOMCHA BIMOL AKOIJAM:** I would like to put four points without wasting much time.

First of all, I quite admire the fact that our Prime Minister is very good orator and his fascination is his Government?s fascination. The acronym VB- G RAM G is the way they try to make this sound. I think it is reflective of the kind of rhetoric and oratory skill of the Government I suppose.

But, nonetheless, I have these four specific issues to suggest beyond partisan politics.

The first point is that, we have been saying about Gandhiji, and I know that BJP has some issues with Mahatma Gandhi. Nobody is perfect. In *Mahabharat*a, I have learned about Yudhisthira, and Lord Krishna. Even they are not perfect. Once you are born as a human being, you will have some imperfections. I understand that they have problems with that, but the fact of the matter is that they must acknowledge, like the rest of the world acknowledges, the role that Gandhiji played in our freedom struggle. It is said there that the entire modern world was changed the way we look at our world by three or four people, three Jews and one non-Jew. The three Jews are Sigmund Freud, Karl Marx, and Einstein. The only non-Jew who changed, the way we look at the world, in our life is none other than the Indian called Mohandas Karamchand Gandhi. Please do not insult him. उनका नाम मिटाने की कोशिश मत कीजिए। That is my sincere appeal.

There is one more reason why Gandhiji should be respected. We want to recover against the modernity. We, Hindustani, want our own culture and so on. Gandhiji's notion of Ram Rajya and Gram Panchayat was a reaction to the modernist notion of modern State. Therefore, the Government should not try to insult Mahatma Gandhi. That is my first point.

The second point is that, this House has done two great things in the last 75 years by enacting two laws, to my mind as a student of social science. The first is RTI Act, and the second is MGNREGA. One recognizes our right to inquire from the state, those who ever have power, people like you and me who sit here. The ordinary citizens have a right to ask for questions. Weber has said that there is a gap between the ruler and the rule by putting up

something called official secret, and RTI empowers our ordinary citizens. The other one is MGNREGA, which is rooted in the right to work, which is linked to Article 21, the right to life. So please respect this. MGNREGA is rooted in right to work.

The third point is this, you have suggested 125 to 150 work days in this Bill, and if you wanted to bring in this law, please increase the wage to Rs. 500, at least. Please think over that.

The fourth point is that, I expect that this concerns with our own citizens' right to work. So, I would request the Government to learn to work in a cooperative fashion with the Opposition as well. We should not be working with vindictive partisan politics all the time. Whatever is concerned with the welfare of the people, especially the poor and the villagers, I would request our hon. Minister to think over it. Please hand over this Bill to a Select Committee. Let us discuss it in more detail and bring it back to this House.

These are my sincere appeals to the Government. Thank you, Mr. Speaker.

माननीय अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य दो मिनट में समाप्त कर दें।

***m142श्री राजपालसिंह महेंद्रसिंह जादव (पंचमहल) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, इस गरिमामयी सदन में माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत विकसित भारत, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी विधेयक जी-राम-जी के समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, यह विधेयक केवल एक सरकारी प्रस्ताव नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत की करोड़ों नागरिकों की आशाओं-आकांक्षाओं और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। विकसित भारत, 2047 का सपना तभी साकार हो सकता है, जब भारत का गांव सशक्त होगा, समृद्ध होगा और आत्मनिर्भर बनेगा। यह विधेयक इस दिशा में एक ठोस और दूरदर्शी पहल है। ग्रामीण विकास की यह रूप-रेखा, रोजगार, आजीविका, अवसंरचना और सामाजिक सुरक्षा, चारों को एक साथ सुदृढ़ करती है। यह विधेयक के अंतर्गत पात्र ग्रामीण परिवारों को मिलने वाली वैधानिक रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर प्रतिवर्ष 125 दिन किया जाना अत्यंत प्रसन्नता की बात है। इससे ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, उनकी क्रय-शक्ति बढ़ेगी।

यह एक महत्वपूर्ण पक्ष इस विधेयक का है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से शासन व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेही बनाया है। इस विधेयक में डिजिटल पंजीकरण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डीबीटी, ऑन लाइन निगरानी और तकनीक आधारित मूल्यांकन के प्रावधान भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और योजना के क्रियान्वयन में प्रभावी सहायता करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक ग्रामीण युवाओं, महिलाओं, अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य वंचित वर्गों के सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम बनेगा। कौशल आधारित कार्यों और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप रोजगार सृजन के आत्मनिर्भर भारत की नींव और मजबूत होगी। यह विधेयक 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' की भावनाओं को साकार करता है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का मौका दिया।

महोदय, मोदी जी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने यह विधेयक लाकर देश हित में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। मैं दो-तीन बिंदुओं पर बात करूंगा कि सौ दिन के रोजगार को बढ़ाकर 125 दिन करके लोगों को एक राहत दी है क्योंकि हर जगह से

यह डिमांड आती थी कि सौ दिन कम है, हमें ज्यादा दिन दिहाड़ी के लिए चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले मनरेगा के माध्यम से जो काम नहीं होते थे, अब विकसित भारत जी राम जी विधेयक के माध्यम से वे सारे काम हो सकेंगे जो पहले नहीं हो पाते थे। इसके साथ ही यह भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी को काम नहीं मिलेगा तो उसे भत्ता मिलेगा। यह पहली बार देश में हो रहा है। यह एक क्रांतिकारी कदम है। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अनुराग ठाकुर जी कनवर्जेंस की बात कर रहे थे। कनवर्जेंस में काम करने से एक बड़ी राहत मिलेगी और मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट अपना पैसा मनरेगा में लगाकर कनवर्जेंस में भी काम कर सकेगा।

महोदय, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि विकसित भारत जी राम जी विधेयक के माध्यम से गांव का विकास होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। धन्यवाद।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे विकसित भारत जी राम जी विधेयक पर बोलने का अवसर दिया।

महोदय, मैं उस समय भी मौजूद था, जब माननीय शिवराज सिंह जी इस बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। उस समय का इस तरह का शोर हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि इस पर चर्चा नहीं होगी और किसी को अवसर नहीं मिलेगा। जिस समय इस पर चर्चा हो रही थी तो उस समय के.सी. वेणुगोपाल जी थे तो यह बात आयी कि इस पर कितने घंटे चर्चा होगी तो उस समय आपने कहा था कि में इस विधेयक पर चर्चा के लिए सभी को पर्याप्त अवसर दूंगा। इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सभी माननीय सदस्य चर्चा करना चाहते थे। मुझे लगता है कि आपने केवल पर्याप्त अवसर ही नहीं दिया बल्कि 14 घंटे लगातार किसी विधेयक पर चर्चा होना, यह अपने आप में इस सदन में चर्चा का एक रिकॉर्ड है। इस समय लोग सौ रहे होंगे। कल यानी 17 दिसम्बर को सदन 11 बजे शुरू हुआ और 18 दिसम्बर तक चल रहा है। यह आज 11 बजे फिर बैठेगा। मैं केवल क्लॉज़ 4, 5, 6, 11 और 12 का उल्लेख करना चाहता हूं। बर्वे साहब यहां बैठे हुए हैं। बर्वे साहब कह रहे थे कि जिस समय किसान की बुआई और कटाई का समय होता है तो उस समय मनरेगा में काम नहीं दिया जाए। वह जनप्रतिनिधि हैं। हम गांव में जाते हैं।

महोदय, हर गांव में सबसे बड़ी शिकायत थी कि जिस समय मजदूर की जरूरत होती है, जैसे एग्रीकल्चर में जब सबसे पिक ऑवर होता है, बुआई, कटाई और सिंचाई के समय मजदूर इसलिए नहीं मिलते हैं, क्योंकि वे मनरेगा में लगे रहते हैं। कम से काम आज 125 दिन अलग किया जा रहा है। बुआई, कटाई और निराई के समय उस मजदूर को अलग काम मिलेगा। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ऐतिहासिक संशोधन लेकर आए हैं। इसके लिए मैं माननीय श्री शिवराज सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं। गांव में मजदूर की कमी हो गई है। वे गांव में नहीं मिलते हैं।

दूसरी बात कही गई कि स्टेट को नजरअंदाज कर दिया गया। मुझे लगता है कि आप पढ़ते नहीं हैं। सुरेश, जी आप क्लॉज-12 को देख लीजिए। पहली बार इस फेडरल स्ट्रक्चर में भारत सरकार ने राज्य की ताकत को बढ़ाया है। इस संशोधन से पहली बार सेंट्रल ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल का गठन हो रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा कि उसमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होंगे और राज्य सरकार के भी प्रतिनिधि होंगे। उसमें केवल केंद्र और राज्य के प्रतिनिधि ही नहीं होंगे, बल्कि पंचायती राज संस्थाओं के भी प्रतिनिधि होंगे। पहली बार श्रमिक संगठनों के भी प्रतिनिधि होंगे और समाज के कमजोर वर्गों के भी प्रतिनिधि होंगे। जो परिषद् बनेगी, वह पॉलिसी डिसिजन करेगी। मैं सेक्शन-4 और सेक्शन-6 के बारे में बात करना चाहता हूं। आप देखिए कि अभी तक मनरेगा में क्या था? मनरेगा में अभी तक केवल काम यह था कि आप गांव में सड़क, खडंजा और नाली का काम कर सकते थे। पहली बार क्लॉज-4 में माननीय मंत्री जी वाटर सिक्योरिटी का संधोशन लेकर आए हैं। रोज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वाटर कंजर्वेशन होना चाहिए। आज पहली बार संशोधन करने से अब मनरेगा में वाटर सिक्योरिटी का भी काम होगा। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट रेजिलिएंस का भी काम होगा। मुझे लगता है कि ये चारों ऐतिहासिक काम हैं। जब नैचुरल कैलामिटी आ जाती थी, तो उसमें मनरेगा की कोई भूमिका नहीं होती थी।

अभी अनुराग जी ने कन्वर्जेंस की बात की है। एक तरह से यह कन्वर्जेंस की बात है। कहा गया कि जो कानून आ रहा है, उसमें 15 दिन के बाद जो बेरोजगारी थी, उसको घटा रहे हैं। क्लॉज-5 में 125 दिन की गारंटी दी गई है। मैं कहना चाहता हूं, आप देख लीजिए कि क्लॉज-11 क्या कहता है। 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं होगा। मैं तो एक-एक क्लॉज बता सकता हूं। आप क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं। आज इस विषय पर 14 घंटे से चर्चा हो रही है। जब यह विधेयक आएगा तो यह केवल गांव के मनरेगा को परिवर्तित नहीं करेगा, यह विकसित भारत की उस संचरना को भी मजबूत करेगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की आकांक्षा है। यह उसको पूरा करेगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ? (व्यवधान)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण) : अध्यक्ष महोदय, आप इतनी देर रात तक इस सभागृह को चला रहे हैं। अभी रात के एक बजकर तैंतीस मिनट हो गए हैं। इस ऐतिहासिक बिल पर हम सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सिर्फ एक ही सुझाव है कि मनरेगा स्कीम को पूरे गांव में हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम ग्राम रोजगार सेवक करता है, जो ग्राम सेवक और सरपंच के बीच में होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। ग्राम रोजगार सेवक की जो तनख्वाह होती है, वह अभी तक 6 प्रतिशत है। माननीय मंत्री जी इस बिल में उसको 9 प्रतिशत करने जा रहे हैं। जो छोटी ग्राम पंचायत होती है, अगर हम देखें तो छोटी ग्राम पंचायत में कम काम आता है। कम काम आने के कारण ग्राम रोजगार सेवक को हजार रुपये भी नहीं मिलते हैं। मुझे लगता है कि उस ग्राम रोजगार सेवक को, जो छोटी ग्राम पंचायत में काम करता है, उसकी मिनिमम सैलरी फिक्स कर दी जाए, ताकि उस ग्राम रोजगार सेवक को अच्छी तरह से राहत मिल सके।

महोदय, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की सरकार ने ग्राम रोजगार सेवक की सैलरी फिक्स कर दी है। उससे बड़े पैमाने पर हजारों ग्राम रोजगार सेवकों को राहत मिली है। उसी के साथ कम्प्यूटर ऑपरेटर भी होते हैं, जिनकी बहुत अहम भूमिका होती है। डिजिटाइजेशन हो, पूरी प्रक्रिया हो, पूरी मनरेगा की स्कीम को लांच करना हो या उसको लोगों तक पहुंचाना हो, अगर सरकार उस कम्प्यूटर ऑपरेटर के बारे में सोचे और उसकी भी मिनिमम सैलरी फिक्स कर दे तो एक बड़ी राहत हमारे ग्राम रोजगार सेवकों को मिलेगी। वे मनरेगा की स्कीम को गांव में हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज सभी दलों के 98 माननीय सदस्यों के विचार इस महत्वपूर्ण विधेयक पर आए हैं। मुझे आशा है कि सभी माननीय सदस्यों ने जो-जो विचार व्यक्त किए हैं, उन पर माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे।

सभा की कार्यवाही आज गुरुवार, 18 दिसम्बर 2025 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

01.35 hrs (18.12.2025)

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Thursday, December 18, 2025/Agrahayana 27, 1947 (Saka).

---

* Moved with the recommendation of the President.

* Expunged as ordered by the Chair.

* Not recorded.